वार्षिक प्रतिवेदन (भाग - II)
2019-20

सिडबी

अपना सहयोग सुदृढ़ करने में रत

सुदृढ़ एमएसएमई से परिपूर्ण ऊर्जावान अर्थव्यवस्था के लिए

क्रम-सूची

परिशिष्ट-I .... पृष्ठ 01-42

परिशिष्ट-II .... पृष्ठ 43-86

परिशिष्ट-I

सिडबी के लाभ हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरणी के साथ लेखापरीक्षित तुलन पत्र

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

शेयरधारकगण
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

1. मंतव्य

हमने "भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक" ("बैंक") के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, इसमें 31 मार्च, 2020 तक तुलन-पत्र, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि खाता, नकदी प्रवाह, वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है।

हमारे मत में साथ में दिए गए वित्तीय विवरण 31 मार्च 2020 तक बैंक के वित्तीय प्रदर्शन और समाप्त वर्ष के लिए उसका नकदी प्रवाह, बैंक की वित्तीय स्थिति का सत्य और उचित विवरण देते हैं एवं यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 के विनियमन 14(i), और भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुरूप है।

2. मंतव्य का आधार

हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार संपन्न की। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के संबंध में लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व खण्ड के अंतर्गत भी किया गया है। हम उन वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं जो हमारे वित्तीय विवरणों के ऑडिट के अनुसार प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारी धारणा है कि हमने लेखा-परीक्षा के लिए जो प्रमाण लिया है वह हमारे मंतव्य को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

3. महत्त्वपूर्ण विषय

i. हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची XVI के नोट 2 पर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें प्रबंधन की दृष्टि से वैश्विक महामारी का प्रभाव भविष्य के परिवर्धनों पर निर्भर करेगा और बैंक के वित्तीय नियमों के अनुमोदन की तारीख को किए गए अनुमानों से अलग हो सकता है। कोविड -19 वैश्विक महामारी के कारण उधारकर्ताओं को राहत देने वाले 27 मार्च, 2020 के भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र के अनुसार, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार पात्र उधारकर्ताओं को देय ऋण किश्तों / ब्याज में अधिस्थगन अवधि देने की पेशकश की है। तदनुसार, बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार पाँच प्रतिशत की सीमा तक मार्च, 2020 के लिए ₹13.99 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और शेष पाँच प्रतिशत उपरोक्त परिपत्र के अनुसार अगली तिमाही के लिए आस्थगित किया गया है।

ii. हम नोट 3.1 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां वर्ष के दौरान, बैंक ने मानक आस्तियों पर किए गए संपूर्ण प्रावधान पर अपने गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों का पुन: मूल्यांकन किया है। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹96,34,90,214 के आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता दी गई है।

इन मामलों के संबंध में हमारे मंतव्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

4. लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय

लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय वे विषय हैं जो हमारी प्रोफेशनल राय में चालू अवधि के वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। एकल वित्तीय विवरणों की समग्र रूप से लेखा-परीक्षा तथा उन पर हमारी राय कायम करने के परिप्रेक्ष्य में इन विषयों का समाधान प्रस्तुत किया गया और इन विषयों पर हम अलग से कोई राय नहीं देते।

हमारी लेखा-परीक्षा में इन महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा विषयों की पहचान की गई है

क्रम सं	लेखा-परीक्षा के मुख्य विषय	लेखा-परीक्षा के मुख्य विषय पर प्रतिक्रिया
1.	**आकस्मिक देयता और आयकर के लिए प्रावधान**	
	प्रावधानों का निर्धारण और आकलन करने के मामले में समय अथवा देयता के निपटान के लिए भविष्य में किए जानेवाले व्यय की राशि के बारे में अनिश्चितता है। आकस्मिक देयताओं के मामले में प्रकट की जानेवाली राशि के निर्धारण, अनुमान और प्राक्कलन किए गये हैं।	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viiए) (सी) के अंतर्गत बट्टे खाते में डाले गये तथा दावा किए गये अशोध्य ऋणों के संबंध में आयकर विभाग ने दावे को यह कहते हुए नकार दिया है कि बैंक ने दोहरा कर-लाभ लिया है, क्योंकि संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करते समय बैंक को यह लाभ पहले ही दिया जा चुका है।

क्रम सं	लेखा-परीक्षा के मुख्य विषय	लेखा-परीक्षा के मुख्य विषय पर प्रतिक्रिया
	इसके परिणाम-स्वरूप प्रावधानों के निर्धारण और आकलन तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन के लिए बड़े पैमाने पर निर्णय किया जाना अपेक्षित है। बैंक ने आयकर के प्रति ₹5,71,61,67,906/- की आकस्मिक देयता की सूचना दी है, जो बैंक के प्रति दावों से संबंधित है और जिसे वित्तीय विवरणों में ऋण नहीं बताया गया है।	हमने पूर्ववर्ती लंबित आदेशों की जाँच की है। कतिपय वर्षों के दौरान, आय-कर अपीलीय अधिकरण ने बैंक के दावे को स्वीकार किया है, जिसे विभाग ने उच्चतर प्राधिकरणों में चुनौती दी है। साथ ही, अपने दावे की व्यवहार्यता के अवसरों की पुष्टि के लिए बैंक ने बाहरी कर-विशेषज्ञों की राय भी ली है। उनकी राय के आधार पर, उक्त दावे को स्वीकार्य मानते हुए, कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतः धारा 36(1) (viiए) (सी) के अंतर्गत माँगी गयी बकाया राशि नकारे गये अन्य दावों/मामलों में, जहाँ बैंक के विरुद्ध निर्धारण किया गया है और अपीलें लंबित हैं, वहाँ उक्त राशि को आकस्मिक देयता में शामिल किया गया है। अतः कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।
2.	**सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य नियंत्रण:**	
	बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का एक उल्लेखनीय हिस्सा काफी हद तक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों पर निर्भर है, जिसमें सांख्यिकी का संग्रहण, भण्डारण और सूचना प्राप्त करने का कार्य स्वचालित प्रक्रियाओं तथा नियंत्रणों के ज़रिए होता है। इन प्रक्रियाओं और नियंत्रणों का एक बुनियादी घटक उपयुक्त उपयोगकर्ता की पहुँच सुनिश्चित करना है। परिवर्तन प्रबंधन प्रोटोकॉल विद्यमान है और उसका पालन किया जा रहा है। ये प्रोटोकॉल महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों तक पहुँचने और तत्संबंधी डाटा में परिवर्तन का कार्य अधिकृत रूप से और उपयुक्त तरीके से संपन्न किया जाता है।	हमने अपनी लेखा-परीक्षा में उन सूचना प्रौद्योगिकी-प्रणालियों तथा नियंत्रणों पर ध्यान केन्द्रित किया, जो बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। चिह्नित ऐप्लीकेशन प्रणालियों की समुचित अंतराल पर ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेखा-परीक्षा करवाने की व्यवस्था बैंक में की गयी है। बैंक के अधिकारी शाखाओं में समुचित अंतराल पर सूचना प्रणालियों की लेखा-परीक्षा संपन्न करते हैं। हमने बाहरी परामर्शदाताओं द्वारा की गयी ऐप्लीकेशन प्रणाली-लेखा-परीक्षा तथा शाखाओं में की गयी सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षाओं पर भरोसा किया है। बाहरी परामर्शदाताओं की रिपोर्टों तथा शाखाओं में संपन्न सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की हमने नमूना आधार पर समीक्षा की है। वे उपयुक्त पायी गयीं। जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ी, डाटा की सत्यता तथा उसकी विश्वसनीयता व रिपोर्टिंग के सत्यापन के लिए हमने अपेक्षाकृत अधिक गहन परीक्षण किया।

5. अन्य सूचना

बैंक का निदेशक-मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य, निदेशकों की रिपोर्ट, समग्र व्यवसाय-परिचालन, प्रबंधन एवं नैगम अभिशासन समाहित है, किन्तु उसमें समेकित वित्तीय विवरण तथा तत्संबंधी हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे मंतव्य में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन/निष्कर्ष नहीं व्यक्त करते। वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा-परीक्षा के संबंध में अन्य सूचना को पढ़ना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना तथ्यात्मक रूप से वित्तीय विवरण के साथ असंगतिपूर्ण है अथवा क्या लेखा-परीक्षा से प्राप्त अथवा नहीं प्राप्त हुई हमारी जानकारी तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण रूप से व्यक्त की गयी लगती है

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य, निदेशकों की रिपोर्ट, समग्र व्यवसाय-परिचालन, प्रबंधन एवं नैगम अभिशासन संबंधी सामग्री अभी तैयार की जा रही है। जब हम उसे पढ़ेंगे और यदि हमें लगेगा कि उसमें तथ्यात्मक दृष्टि से कोई त्रुटिपूर्ण कथन है तो हम अभिशासन-प्रभारियों को मामले से अवगत कराएँगे।

6. अन्य विषय

इन वित्तीय विवरणों में 25 शाखाओं की विवरणियाँ शामिल हैं जिनकी हमने लेखापरीक्षा के उद्देश्य से दौरा किया / समीक्षा की थी और इसमें प्रधान कार्यालय के खातों सहित अग्रिमों का 96.46%, जमाओं का 99.63%, उधार का 100%, अग्रिमों पर ब्याज आय का 95.64%, जमाराशियों पर ब्याज व्यय का 99.31% तथा उधार पर ब्याज व्यय का 100% भी शामिल है। इन शाखाओं का चयन बैंक के परामर्श से किया गया है। हमने बैंक की शेष शाखाओं का दौरा नहीं किया है और प्रधान कार्यालय में उनकी विवरणियों की समीक्षा की है।

7. वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 और भारत में आम तौर पर मान्य लेखांकन सिद्धांत के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और उचित प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी है, साथ ही, इस तरह के आंतरिक नियंत्रण जो वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन द्वारा निर्धारित करने के लिए आवश्यक है तथा धोखाधड़ी के कारण या त्रुटिवश मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता के आकलन, यथास्थिति लाभप्रद प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटन तथा जब तक प्रबंधन बैक के समापन अथवा उसके परिचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता अथवा ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता, तब तक लाभप्रद प्रतिष्ठान का आधार प्रयोग करते रहने के लिए उत्तरदायी हैं।

अभिशासन के प्रभारी बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

8. वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के संबंध में लेखा-परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य समग्र रूप से वित्तीय विवरण के कपट से अथवा त्रुटिवश होने वाले तथ्यात्मक मिथ्या-कथन से रहित होने का आश्वासन प्राप्त करना, और एक ऐसी लेखा-परीक्षक-रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। समुचित आश्वासन एक उच्च-स्तरीय आश्वासन होता है, किन्तु वह ऐसी गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा-मानक के अनुरूप की गयी लेखा-परीक्षा में सदा ही किसी तथ्यात्मक मिथ्या कथन की मौजूदगी का पता चल जाएगा। मिथ्याकथन कपट अथवा त्रुटिवश हो सकते हैं और उन्हें एकल रूप से अथवा सम्मिलित रूप में तब तथ्यात्मक माना जाता है जब इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों के उन मिथ्याकथनों से पर्याप्त रूप में प्रभावित होने की संभावना हो।

लेखापरीक्षा-मानक के अनुरूप लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में हम समूची लेखापरीक्षा-प्रक्रिया के दौरान पेशेवराना विवेक का उपयोग करते हैं और पेशेवराना सावधानी बनाए रखते हैं। साथ ही, हम:

- कपटपूर्वक अथवा त्रुटिवश वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान व आकलन करते हैं, उक्त जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करके उन्हें संपन्न करते हैं और लेखापरीक्षा का ऐसा प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मंतव्य का आधार बनने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हो। किसी कपट के फलस्वरूप तथ्यात्मक मिथ्याकथन के पता न चलने का जोखिम त्रुटिवश हुए मिथ्याकथन के जोखिम की तुलना में बड़ा होता है, क्योंकि कपट में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, मिथ्या प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी का हाथ हो सकता है।

- आंतरिक नियंत्रण की जानकारी हासिल करते हैं, जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो, ताकि लेखापरीक्षा की ऐसी प्रक्रिया तैयार की जा सके जो उक्त परिस्थिति के लिए उपयुक्त हो।

- उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए तत्संबंधी प्रकटनों का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए लाभप्रद प्रतिष्ठान-आधार के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा-प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं अथवा स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है जिसके फलस्वरूप लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमता पर कोई उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न होता हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हम वित्तीय विवरणों में तत्संबंधी प्रकटनों अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपने मंतव्य में संशोधन की ओर ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गये लेखापरीक्षा-प्रमाणों पर आधारित हैं। किन्तु, भविष्य की घटनाओं अथवा स्थितियों के कारण लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में समूह का जारी रहना बन्द हो सकता है।

- वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करते हैं। इसमें प्रकटन और यह देखना भी शामिल है कि वित्तीय विवरण अंतर्निहित व घटनाओं को इस रूप में दर्शाए, जिससे उचित प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

हम अभिशासन-प्रभारियों के साथ अन्य विषयों के अलावा लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों व आंतरिक नियंत्रण की ऐसी उल्लेखनीय कमियों के बारे में बातचीत करते हैं जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित किया हो।

अभिशासन-प्रभारियों को हम वह विवरण भी प्रदान करते हैं जिसे हमने निष्पक्षता के संबंध में संगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया है। साथ ही, हम उन्हें अपने उन संबंधों व अन्य विषयों की सूचना भी देते हैं जिससे हमारी निष्पक्षता और जहाँ लागू हो, वहाँ तत्संबंधी सुरक्षा-उपायों पर समुचित प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

9. अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

हम सूचित करते हैं कि

i. तुलन-पत्र,लाभ-हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरणी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 के विनियम 14(i) में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

ii. हमने वह समस्त सूचना व स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के

अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

iii. हमारी राय में, जहां तक खाता-बहियों की जाँच से हमारे देखने में आया है, बैंक ने विधित: उपयुक्त खाता बहियाँ तैयार की है।

iv. इस रिपोर्ट के लिए जिस तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण का उपयोग किया गया है वे खाता-बहियों के अनुरूप है।

v. हमारे संज्ञान में आए बैंक के संव्यवहार बैंक की शक्तियों के अंदर ही किए गए हैं।

vi. बैंक की शाखाओं और कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखा-परीक्षा के लिए पर्याप्त थीं।

vii. हमारे मतानुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन हुआ है।

कृते छाजेड एंड दोषी
सनदी लेखाकार
[फर्म का पंजीकरण सं. 101794डब्ल्यू]

किरण के दफ्तरी
साझीदार
सदस्य सं. 010279
यूडीआईएन-20010279AAAAAN2925

स्थान: मुंबई
दिनांक: 15 मई, 2020

तुलन-पत्र
यथा 31 मार्च, 2020

(राशि ₹ में)

		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
पूंजी और देयताएँ	**अनुसूचियाँ**		
पूंजी	I	5,31,92,20,310	5,31,92,20,310
प्रारक्षितियाँ, आधिक्य और निधियाँ	II	1,84,65,53,87,321	1,61,53,16,39,410
जमा राशियाँ	III	10,59,71,64,39,231	7,19,22,47,49,673
उधारियाँ	IV	5,57,03,38,37,542	5,96,99,79,07,871
अन्य देयताएँ और प्रावधान	V	68,64,97,19,422	75,27,76,17,911
आस्थगित कर देयताएँ (नोट 3 का सदर्भ लें)		1,52,32,715	25,71,28,715
योग		**18,75,38,98,36,541**	**15,58,60,82,63,890**
आस्तियां			
नकद एवं बैंक शेष	VI	64,83,38,91,127	54,05,25,12,178
निवेश	VII	1,11,17,85,33,236	88,18,19,96,172
ऋण व अग्रिम	VIII	16,54,21,56,14,553	13,62,30,37,01,258
अचल आस्तियां	IX	2,86,71,15,169	2,85,40,92,585
अन्य आस्तियाँ	X	42,29,46,82,456	51,21,59,61,697
योग		**18,75,38,98,36,541**	**15,58,60,82,63,890**
आकस्मिक देयताएँ	XI	76,13,98,91,761	93,65,32,75,072
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	XV		
लेखांकन विषयक टिप्पणियाँ	XVI		
उपरोल्लिखित अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अविभाज्य अंग हैं			

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते **छाजेड़ व दोषी**
सनदी लेखाकर
फर्म का पंजीकरण सं. 101794 डब्ल्यू

राजेन्द्र अग्रवाल
महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उदभाग)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

किरण के. दफ्तरी
साझीदार
सदस्य सं. 010279

जी गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

लाभ-हानि खाता

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
आय	**अनुसूचियाँ**		
ब्याज एवं बट्टा	XII	1,10,20,93,69,739	94,82,13,19,357
अन्य आय	XIII	10,69,36,41,116	4,34,24,76,550
योग		**1,20,90,30,10,855**	**99,16,37,95,907**
व्यय			
ब्याज और वित्तीय प्रभार (नोट 8 देखें)		77,22,05,87,193	69,03,01,12,006
परिचालन व्यय	XIV	6,07,45,88,592	5,12,37,49,980
प्रावधान और आकस्मिकताएं		9,52,98,06,119	(2,48,79,420)
कुल योग		**92,82,49,81,904**	**74,12,89,82,566**
कर-पूर्व लाभ		**28,07,80,28,951**	**25,03,48,13,341**
आयकर के लिए प्रावधान (नोट 4 देखें)		5,17,47,06,878	6,05,64,69,013
आस्थगित कर समायोजन [(आस्ति / देयता] (नोट 3 देखें)		(24,18,96,000)	(54,36,89,736)
कर-पश्चात लाभ		**23,14,52,18,073**	**19,52,20,34,064**
अग्रानीत लाभ		49,99,16,015	43,13,26,886
कुल लाभ /(हानि)		**23,64,51,34,088**	**19,95,33,60,950**
विनियोजन			
सामान्य आरक्षिति में अंतरण		22,10,00,00,000	16,64,00,00,000
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति में अंतरण		55,00,00,000	70,00,00,000
अन्य			
निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण		33,59,018	44,22,00,000
स्टाफ कल्याण निधि में अंतरण		3,00,00,000	2,00,00,000
शेयरों पर लाभांश		-	1,36,96,99,230
लाभांश पर कर		-	28,15,45,705
अग्रानीत लाभ और हानि खाते में अधिशेष		96,17,75,070	49,99,16,015
कुल		**23,64,51,34,088**	**19,95,33,60,950**
प्रति शेयर मूल / विलयित अर्जन (नोट 20 देखें)		43.51	36.70
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	XV		
लेखा टिप्पणियाँ	XVI		
उक्त अनुसूचियाँ लाभ और हानि लेखे का अभिन्न अंग है।			

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते **छाजेड़ व दोषी**
सनदी लेखाकर
फर्म का पंजीकरण सं. 101794 डब्ल्यू

राजेन्द्र अग्रवाल
महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उदभाग)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

किरण के. दफ्तरी
साझीदार
सदस्य सं. 010279

जी गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

पूंजी और देयताएँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची I: पूंजी	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
(क) प्राधिकृत पूंजी	10,00,00,00,000	10,00,00,00,000
- ईक्विटी शेयर पूंजी (10 रुपये प्रति शेयर की दर से 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	7,50,00,00,000	7,50,00,00,000
- अधिमानी शेयर पूंजी (10 रुपये प्रति शेयर की दर से 25,00,00,000 अधिमानी शेयर)	2,50,00,00,000	2,50,00,00,000
(ख) जारी की गई, अभिदत्त और चुकता पूंजी	5,31,92,20,310	5,31,92,20,310
- ईक्विटी शेयर पूंजी (10 रुपये प्रति शेयर की दर से 53,19,22,031 ईक्विटी शेयर)	5,31,92,20,310	5,31,92,20,310
- अधिमानी शेयर पूंजी	-	-
योग	**5,31,92,20,310**	**5,31,92,20,310**

(राशि ₹ में)

अनुसूची II: आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क) आरक्षित निधि		
i) सामान्य आरक्षित निधि		
- आरंभिक शेष	1,24,63,51,37,200	1,07,99,51,37,200
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	22,10,00,00,000	16,64,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- **अंतिम शेष**	**1,46,73,51,37,200**	**1,24,63,51,37,200**
ii) शेयर प्रीमियम		
- आरंभिक शेष	16,68,07,79,690	16,68,07,79,690
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- **अंतिम शेष**	**16,68,07,79,690**	**16,68,07,79,690**
iii) विशिष्ट आरक्षित निधियाँ		
क) निवेश हेतु आरक्षित निधि		
- आरंभिक शेष	-	-
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- **अंतिम शेष**	**-**	**-**
ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियां		
- आरंभिक शेष	15,67,00,00,000	14,97,00,00,000
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	55,00,00,000	70,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि	-	-
- **अंतिम शेष**	**16,22,00,00,000**	**15,67,00,00,000**
ग) अन्य आरक्षितियाँ		
i) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति		
- आरंभिक शेष	1,14,59,86,026	70,37,86,026
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	33,59,018	44,22,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोजित राशि		
- **अंतिम शेष**	**1,14,93,45,044**	**1,14,59,86,026**

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची II: आरक्षितियां, अधिशेष और निधियां	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
ख) लाभ-हानि खाते में अधिशेष	96,17,75,070	49,99,16,015
ग) निधियाँ		
क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि		
- आरंभिक शेष	2,65,23,89,862	2,56,95,54,646
- वर्ष के दौरान परिवर्धन/पुनरांकन	37,52,970	8,28,35,216
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	**2,65,61,42,832**	**2,65,23,89,862**
ख) स्टाफ कल्याण निधि		
- आरंभिक शेष	24,74,30,617	24,92,32,557
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,00,00,000	2,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग	2,52,23,132	2,18,01,940
- अंतिम शेष	**25,22,07,485**	**24,74,30,617**
ग) अन्य	-	-
योग	**1,84,65,53,87,321**	**1,61,53,16,39,410**

(राशि ₹ में)

अनुसूची III: जमा	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क) सावधि जमा	31,77,53,39,231	64,86,00,49,673
ख) बैंको से		
क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि के अंतर्गत	9,39,05,30,50,000	5,80,00,00,00,000
ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूंजी निधि के अंतर्गत	10,00,00,00,000	15,00,00,00,000
ग) अन्य-विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से	-	-
घ) एमएसएमई भारत नवाकांक्षा निधि के अंतर्गत	7,02,35,25,000	9,36,47,00,000
ञ) एमएसएमई क्षेत्र की उद्यम पूंजी निधि 2014-15 के अंतर्गत	71,86,45,25,000	50,00,00,00,000
(ख) उप-योग	**10,27,94,11,00,000**	**6,54,36,47,00,000**
योग	**10,59,71,64,39,231**	**7,19,22,47,49,673**

(राशि ₹ में)

अनुसूची IV: उधारियां	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
I) भारत में उधारियां		
1. भारतीय रिजर्व बैंक से	-	-
2. भारत सरकार से (नोट 12 का सदर्भ लें)	21,07,48,45,249	21,46,93,19,323
(भारत सरकार द्वारा अभिदत्त बॉण्ड सहित)		
3. बॉण्ड एवं डिबैंचर (नोट 6 का सदर्भ लें)	1,75,62,50,00,000	1,44,95,50,00,000
4. अन्य स्रोतों से		
- वाणिज्यिक पत्र	49,50,00,00,000	47,50,00,00,000
- जमा प्रमाण पत्र	1,98,90,00,00,000	1,51,55,00,00,000
- बैंकों से सावधि ऋण	14,36,35,43,399	1,24,46,56,06,275
- सावधि मुद्रा उधारियां	-	-
- अन्य (नोट 15 का संदर्भ लें)	4,74,98,02,338	14,99,20,398
उप-योग (I)	**4,64,21,31,90,986**	**4,90,08,98,45,996**

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची IV: उधारियां	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
II) भारत से बाहर उधारियां		
(क) केएफडब्ल्यू, जर्मनी	11,60,28,09,154	14,44,29,19,606
(ख) जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका)	34,07,23,44,393	36,80,54,19,486
(ग) आईएफएडी, रोम (नोट 18 का सदर्भ लें)	1,15,34,15,466	1,12,48,25,395
(घ) विश्व बैंक	43,46,01,15,739	51,47,72,81,791
ञ) अन्य	2,53,19,61,804	3,05,76,15,597
उप-योग (II)	**92,82,06,46,556**	**1,06,90,80,61,875**
योग (I &II)	**5,57,03,38,37,542**	**5,96,99,79,07,871**

(राशि ₹ में)

अनुसूची V: अन्य देयताएं व प्रावधान	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
उपचित ब्याज	27,16,74,34,630	28,41,05,15,952
सिडबी कर्मचारी भविष्य निधि के लिए प्रावधान	3,09,97,41,738	2,80,17,62,288
सिडबी पेंशन निधि के लिए प्रावधान	62,60,20,000	45,55,68,252
बीमारी की छुट्टी निधि के लिए प्रावधान	6,27,63,000	11,18,93,681
चिकित्सा सहायता योजना निधि के लिए प्रावधान	21,30,15,000	18,00,58,808
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	1,66,08,07,000	1,09,09,74,143
अन्य (प्रावधान सहित) (नोट 14 एवं 23 का सदर्भ लें)	27,73,24,85,782	33,53,24,69,017
विदेशी मुद्रा दर उतार-चढ़ाव हेतु प्रावधान (नोट 11 का सदर्भ लें)	1,53,73,62,766	1,53,73,62,766
मानक आस्तियों के लिए किए गए आकस्मिक प्रावधान (नोट 24 का सदर्भ लें)	6,55,00,89,506	5,50,57,68,069
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित) (नोट 21 का सदर्भ लें)	-	1,65,12,44,935
योग	**68,64,97,19,422**	**75,27,76,17,911**

आस्तियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची VI: नकदी और बैंक अतिशेष	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1. हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	6,16,569	6,09,656
2. अन्य बैंकों में अतिशेष		
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	31,01,91,553	63,21,22,564
ii) अन्य निक्षेप खातों में	60,47,58,45,836	47,22,98,66,715
(ख) भारत से बाहर		
i) चालू खातों में	5,19,09,337	16,18,137
ii) अन्य निक्षेप खातों में	3,99,53,27,832	6,18,82,95,106
योग	**64,83,38,91,127**	**54,05,25,12,178**

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची VII: निवेश [प्रावधानों को घटाकर]	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क) राजकोषीय परिचालन		
1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	4,91,62,54,874	4,46,80,73,744
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	-	-
3. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	7,39,95,25,696	6,40,56,57,541
4. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	1,99,92,72,771	1,99,92,72,771
5. अल्पावधि बिल पुनर्भुनाई योजना	-	-
6. अन्य	65,76,99,85,928	44,60,07,32,633
उप-योग (क)	**80,08,50,39,269**	**57,47,37,36,689**
ख) व्यवसाय परिचालन		
1. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	1,82,22,71,142	1,78,47,71,142
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	-	-
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	4,63,89,03,959	4,85,32,42,053
4. सहायक संगठनों में निवेश	17,51,04,98,740	17,51,04,98,740
5. अन्य	7,12,18,20,126	6,55,97,47,548
उप-योग (ख)	**31,09,34,93,967**	**30,70,82,59,483**
योग (क+ख)	**1,11,17,85,33,236**	**88,18,19,96,172**

(राशि ₹ में)

अनुसूची VIII: ऋण एवं अग्रिम [प्रावधान के बाद]	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त		
- बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ	14,32,32,64,04,547	11,62,77,55,95,686
- अल्प वित्त संस्थाएँ	18,21,00,01,621	11,71,50,70,388
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	1,03,74,97,12,032	93,69,98,42,689
- बिलों की पुनर्भुनाई	-	-
- अन्य (संसाधन सहायता)	-	-
उप-योग (क)	**15,54,28,61,18,200**	**12,68,19,05,08,763**
ख) प्रत्यक्ष ऋण		
- ऋण एवं अग्रिम	98,66,91,14,927	88,96,65,09,187
- प्राप्य वित्त योजना	1,26,03,81,426	5,14,66,83,308
- भुनाए गए बिल	-	-
उप-योग (ख)	**99,92,94,96,353**	**94,11,31,92,495**
योग (क+ख)	**16,54,21,56,14,553**	**13,62,30,37,01,258**

(राशि ₹ में)

अनुसूचीIX: स्थिर आस्तियां [मूल्यह्रास घटाकर]	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1. परिसर (नोट 10 का सदर्भ लें)	2,83,87,18,310	2,83,23,37,105
2. अन्य	2,83,96,859	2,17,55,480
योग	**2,86,71,15,169**	**2,85,40,92,585**

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची X: अन्य आस्तियां	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
उपचित ब्याज	20,69,30,66,262	32,90,17,83,584
अग्रिम कर (प्रावधान के बाद)	3,88,74,70,623	3,73,69,24,296
अन्य	12,18,97,70,500	7,12,12,90,646
व्यय जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है (नोट 7 का सदर्भ लें)	5,52,43,75,071	7,45,59,63,171
कुल	**42,29,46,82,456**	**51,21,59,61,697**

(राशि ₹ में)

अनुसूची XI: आकस्मिक देयताएं	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
i) बैंक पर वे दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है (नोट 5 का सदर्भ लें)	5,74,27,63,852	6,98,13,20,359
ii) गारंटियों / साख-पत्रों के फलस्वरूप	46,99,22,915	54,95,08,487
iii) वायदा संविदाओं के फलस्वरूप	5,79,87,607	1,03,14,60,100
iv) हामीदारी प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप	-	-
v) आंशिक रूप से चुकता शेयरों, डिबैंचरों पर न मांगी गई राशियों के फलस्वरूप	5,19,13,80,042	6,33,78,34,494
vi) अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है (व्युत्पन्नी संविदाएँ इत्यादि)	64,67,78,37,345	78,75,31,51,632
योग	**76,13,98,91,761**	**93,65,32,75,072**

लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची XII: ब्याज एवं बट्टा	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1. ऋणों अग्रिमों और बिलों पर ब्याज और बट्टा	1,03,92,13,18,393	91,28,15,41,701
2. निवेशों / बैंक अधिशेषों पर आय	6,28,80,51,346	3,53,97,77,656
योग	**1,10,20,93,69,739**	**94,82,13,19,357**

(राशि ₹ में)

अनुसूची XIII: अन्य आय	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1. अग्रिम देय एवं संसाधन शुल्क	47,71,19,491	31,36,51,911
2. कमीशन एवं दलाली	1,25,57,895	1,49,28,003
3. निवेशों की बिक्री पर लाभ	3,98,46,25,620	2,50,74,34,846
4. सहयोगी / सहायक संस्थाओं से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	4,97,93,519	25,62,65,741
5. पिछले वर्षों के पुनरांकन का प्रावधान	-	-
6. अन्य (नोट 11 एवं 17 देखें)	6,16,95,44,591	1,25,01,96,049
योग	**10,69,36,41,116**	**4,34,24,76,550**

(राशि ₹ में)

अनुसूची XIV: परिचालन व्यय	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
कर्मचारियों के लिए किये गए भुगतान और प्रावधान	3,93,57,01,040	3,68,56,94,181
किराया, कर और बिजली	16,53,46,313	18,91,63,591
मुद्रण एवं स्टेशनरी	1,03,25,939	89,85,897
विज्ञापन और प्रचार	9,89,69,313	5,47,52,845
बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / ऋण-परिशोधन	18,27,17,393	18,26,95,963
निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	42,99,620	34,08,920
लेखा परीक्षक शुल्क	29,24,757	30,72,480
विधि प्रभार	1,52,91,720	1,76,48,706
डाक, कोरियर, टेलीफोन आदि	22,66,850	20,68,494
मरम्मत और रखरखाव	17,21,34,109	12,34,73,048
बीमा	51,04,626	43,83,945
सीजीटीएमएसई में योगदान	-	-
अन्य व्यय	1,47,95,06,912	84,84,01,910
योग	**6,07,45,88,592**	**5,12,37,49,980**

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची XV: महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1 तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण सभी महत्त्वपूर्ण दृष्टियों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 तथा उसके विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लागू जारी लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, बैंक द्वारा लागू की गई लेखा-नीतियाँ पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

आकलनों का उपयोग:

आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करें, जो वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्ट की अवधि में रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशियों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान और मान्यताएँ उचित और विवेकपूर्ण हैं। हालांकि वास्तविक परिणाम उक्त अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में किसी संशोधन का निर्धारण संबंधित लेखा-मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाता है।

2 राजस्व निर्धारण

बैंक को जो भी संभव आर्थिक लाभ से राजस्व मिलेगा उसका निर्धारण किया गया है और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

क) आय:

(i) दण्डात्मक ब्याज सहित ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामलों के जहाँ उसे वसूली के बाद हिसाब में लिया गया है।

(ii) लाभ और हानि लेखा में आय, सकल रूप में अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों तथा बैंक की आन्तरिक नीति के अनुसार दर्शायी गई है।

(iii) बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई तथा लिखतों की भुनाई को लिखतों की मीयाद के अनुसार निरंतर प्रतिलाभ आधार पर निर्धारित किया गया है।

(iv) मानक (अर्जक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूँजी/सुलभ ऋण सहायता पर सेवा-प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।

(v) औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है तो लाभांश को वसूली के पश्चात् आय माना गया है।

(vi) उद्यम पूँजी निधियों से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है। उद्यम पूंजी निधि में यूनिट / शेयरों के मोचन को एच टी एम श्रेणी में बिक्री के रूप में नहीं माना जाता।

(vii) अनर्जक आस्तियों की वसूली को निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया गया है:

(क) अनर्जक आस्ति बनने की तारीख तक अतिदेय ब्याज

(ख) मूलधन

(ग) लागत व प्रभार

(घ) ब्याज एवं

(ङ) दंडात्मक ब्याज

(viii) ऋणों एवं अग्रिमों की बिक्री पर प्रत्यक्ष समनुदेशन से हुए लाभ/हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया गया है।

(ix) पहले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सन्दर्भ में प्राप्त राशियों को लाभ हानि लेखे में आय के रूप में लिया गया है।

(x) किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री से लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखा में ले जाया गया है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, लागू करों के समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजित कर दिया गया है।

(xi) सात साल से अधिक की अवधि के लिए दावा न किए गए देनदारियों (सांविधिक देनदारियों के अलावा) के रूप में पड़ी राशि को आय के रूप में लिया गया है।

(xii) बैंक द्वारा आयकर विभाग से जारी किए गए ऐसे रिफंड आदेश / आदेश देने वाले प्रभावों की प्राप्ति पर आयकर रिफंड पर ब्याज को हिसाब में लिया गया है।

(xiii) उधारकर्ताओं से सीजीटीएमएसई शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, अधिवक्ता शुल्क, बीमा इत्यादि की वसूली नकद आधार पर की जाती है।

ख) व्यय:

(i) विकास व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए गए हैं। विकास व्यय को नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।

(ii) जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर बट्टे को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है।

3 निवेश

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' की श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को पुनः निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया हैः

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,

ग) शेयर,

घ) डिबेंचर तथा बॉण्ड

ङ) सहायक संस्थाएँ / संयुक्त उपक्रम और

च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति पावतियां, जमा प्रमाणपत्र आदि)

क) परिपक्वता तक धारित

परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर दर्शाया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। ऐसा होने पर प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया गया है।

इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक कंपनियों में निवेशों के मूल्य में कमी (अस्थायी को छोड़कर) प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग-अलग प्रावधान किया गया है।

ख) व्यापार हेतु धारित

अल्पावधि मूल्य/ब्याज-दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए 90 दिनों में पुनः बेचने के इरादे से किए गए निवेशों को 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ग के निवेशों का समग्र रूप से स्क्रिप-अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास को अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में तत्संगत परिवर्तन करते हुए लाभ-हानि लेखा में हिसाब में लिया गया है। व्यापार / उद्धृत निवेश के संबंध में, बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध ट्रेडों / उद्धरणों से लिया गया है।

ग) बिक्री हेतु उपलब्धः

(i) उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाले निवेशों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यह्रास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया गया है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज कर दिया गया है। अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ii) कोई निवेश परिपक्वता के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है, या बिक्री के लिए उपलब्ध है या इसकी खरीद के समय व्यापार के लिए धारित है तथा बाद में इसकी श्रेणियों में अंतरण और उसका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

(iii) ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र, बट्टा वाले लिखत हैं, लागत मूल्य पर इनका मूल्यांकन किया जाता है।

(iv) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर किया जाता है और जो सरकारी प्रतिभूतियां उद्धृत नहीं है / जिनका व्यापार नहीं हो रहा है उनका मूल्य निर्धारण वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है।

(v) निवेश जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए कॉर्पस या निधि से बने होते हैं और संबंधित निधि शेष से बचे हुए निधि का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं अपितु उसकी लागत पर होता है।

(vi) निवेशों में खरीद और बिक्री की प्रविष्टि 'निपटान तारीख' का पालन करते हुए की गई है।

(vii) जो डिबेंचर / बाण्ड / शेयर अग्रिम की प्रवृत्ति के माने गए हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं।

(viii) निवेशों की लागत भारित औसत लागत पद्धति से निर्धारित की गई है।

(ix) अभिग्रहण / बिक्री के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया गया है।

(x) ऋण-निवेश में प्रदत्त / प्राप्त खंडित अवधि-ब्याज को ब्याज व्यय / आय माना गया है और उसे लागत / बिक्री-राशि से अलग रखा गया है।

(xi) बीज पूँजी योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सूची से इतर निवेशों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(xii) भारतीय रिजर्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार म्यूचुअल फंड की इकाइयों को उनकी पुनर्खरीद मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है।

(xiii) उद्धृत न की गई निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा) का मूल्यांकन केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के समान परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर से उपयुक्त मार्क अप के आधार पर किया गया है। एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संगत दरों के अनुसार परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर और इस तरह के मार्क-अप को लागू किया गया हैं।

4 विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को लेखा-बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में संव्यवहार के दिन लागू विनिमय दरों पर दर्ज़ किया गया है। विदेशी मुद्रा संव्यवहार का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-11 के अनुसार निम्नलिखित उपबंधों के अनुरूप किया गया है।

(i) बकाया अग्रेषण विनिमय अनुबंधों के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटी, स्वीकृतियां, पृष्ठांकनों एवं अन्य देयताओं के संबंध में गणना विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाइ) द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर की जाती है।

(ii) विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाइ) द्वारा तुलन-पत्र की तारीख में प्रभावी अधिसूचित अन्तिम विदेशी मुद्रा-दर में परिवर्तित किया गया है।

(iii) विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय मदों को वास्तविक बिक्री/खरीद के माध्यम से मासिक अन्तरालों पर परिवर्तित किया जाता है और उन्हें तदनुसार लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया गया है।

(iv) विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु विदेशी मुद्रा ऋण-व्यवस्था पर पुनर्मूल्यांकन अन्तर को भारत सरकार के परामर्श से खोले गए एक विशेष खाते में समायोजित और रिकॉर्ड किया जाता है।

(v) व्युत्पन्नी संव्यवहारों के संबंध में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बचाव (हेज) लेखांकन का अनुसरण करता है।

(vi) मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

(vii) बकाया फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स जो ट्रेडिंग के लिए अभिप्रेत नहीं हैं, वे फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद दरों पर पुनर्मूल्यांकित किये जाते हैं।

5 व्युत्पन्नियाँ

बैंक अपनी विदेशी मुद्रा देयताओं के बचाव के लिए वर्तमान में मुद्रा व्युत्पन्नी संव्यवहारों जैसे अंतर-मुद्रा ब्याज-दर विनिमय में व्यवहार करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार बचाव के उद्देश्य से किए गए उक्त व्युत्पन्नी संव्यवहारों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुबंधित रुपया राशि पर व्युत्पन्नी संव्यवहार अनुबंधों पर आधारित देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख पर रिपोर्ट किया गया है।

6 ऋण एवं अग्रिम

(i) ऋण तथा अन्य सहायता संविभागों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

(ii) तुलन-पत्र में उल्लिखित अग्रिम, अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर है।

(iii) मानक आस्तियों के संबंध में सामान्य प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

(iv) चल प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार और बोर्ड अनुमोदित नीतियों अनुसार किए और उपयोग में लाए गए हैं।

7 कराधान

(i) कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर, दोनों शामिल हैं। वर्तमान आय-कर की गणना आय-कर अधिनियम, 1961 के अनुसार आय-कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली संभावित राशि के और आय परिकलन प्रकटीकरण मानकों के आधार पर की जाती है।

(ii) आस्थगित आय-कर, वर्ष की कर-योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतराल के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलन-पत्र की तारीख तक अधिनियम अथवा यथेष्ट रूप में अधिनियमित कर-कानूनों और कर की दरों के आधार पर की गई है।

(iii) आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसे आस्थगित कर की वसूली हो सकती है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।

(iv) जो विवादित कर हैं, जिसमें विभागीय अपील भी शामिल है, को आकस्मिक देयता में लिया गया हैं।

8 प्रतिभूतीकरण

(i) बैंक क्रेडिट रेटिंग-युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति-समूहों को बैंकों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पास-थ्रू-प्रमाणपत्रों के ज़रिए खरीदता है। इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण संव्यवहार निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित / विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।

(ii) बैंक द्विपक्षीय सीधे समनुदेशक के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के श्रेणीनिर्धारित आस्ति-समूह खरीदता है। ऐसे सीधे समनुदेशन संव्यवहारों को बैंक द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।

(iii) बैंक सीधे समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में बैंक इन संव्यवहारों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की चुकौती करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋण एवं अग्रिम पर अवशेष ब्याज का हक़दार होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धान्त के आधार पर सीधे समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई आस्तियों को बैंक की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है।

(iv) बेचे गए ऋणों एवं अग्रिमों पर अवशेष आय को अंतर्निहित ऋणों एवं अग्रिमों के जीवनकाल के अनुसार हिसाब में लिया जा रहा है।

(v) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्ति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसे उपकरणों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

9 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री

i. अनर्जक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति प्राप्ति (एसआर) में निवेश आधार पर की जाती है। एसआर आधार पर बिक्री के मामले में, बिक्री प्रतिफल अथवा उसके भाग को प्रतिभूति-प्राप्ति के रूप में निवेश समझा जाता है।

ii. यदि आस्ति की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् बही-मूल्य में से धारित प्रावधान हटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम पर कर दी जाती है, तो कमी को लाभ-हानि लेखा के नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को उस वर्ष लाभ-हानि लेखे में प्रतिवर्तित किया जा सकता है, जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई हो। बेशी प्रावधान का प्रतिवर्तन उस प्राप्त राशि तक सीमित होता है, जो आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक हो।

10 स्टाफ के हितार्थ प्रावधान

क] सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ

(i) भविष्य निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही एक निश्चित अंशदायी योजना है और उसमें किए गए अंशदान लाभ-हानि लेखे पर प्रभारित होते हैं।

(ii) ग्रैच्युटी देयता तथा पेंशन देयता निश्चित लाभ दायित्व हैं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे- क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ, छुट्टी किराया रियायत आदि का प्रावधान स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन-पत्र की तारीख पर किया जाता है, जो एएस 15 (यथोसंशोधित 2005)- कर्मचारी लाभ के अनुसार अनुमानित इकाई जमा पद्धति पर आधारित होता है।

(iii) बीमांकिक लाभ / हानि लाभ-हानि लेखे में बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर दर्ज़ किए जाते हैं।

(iv) नई पेंशन योजना निश्चित अंशदान वाली योजना है। यह उन कर्मचारियों पर लागू है, जो 1 दिसंबर 2011 या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान करता है और बैंक का दायित्व उक्त निश्चित अंशदान तक सीमित है। यह अंशदान लाभ-हानि खाते में भारित होता है।

(v) बीमांकिक लाभ / हानि तत्काल लाभ-हानि लेखे में दर्ज़ किए जाते हैं और आस्थगित नहीं किए जाते हैं।

(vi) स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अंतर्गत किए गए भुगतान का व्यय जिस वर्ष होता है, उसी वर्ष के लाभ-हानि लेखे में उसे प्रभारित किया जाता है।

ख] सेवा-कालिक (अल्पाविधि) लाभ:

अल्पावधि लाभों से उत्पन्न देयता का निर्धारण गैर-बट्टाकृत आधार पर होता है और उस सेवा अवधि के संबंध में होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का हकदार बनता है।

11 स्थिर आस्तियाँ और मूल्यह्रास:

i) स्थिर आस्तियाँ अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति (यदि हो) को घटाकर दर्शाई गई हैं।

ii) आस्ति की लागत में खरीद लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर किए गए सभी व्यय शामिल हैं। उपयोग में रखी गई आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय केवल तभी पूंजीकृत होंगे जब इन आस्तियों या उनकी कार्यशील क्षमता से भविष्य का लाभ बढ़े।

iii) पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नवत किया गया है (चाहे पूँजीकरण की तारीख जो भी हो)-

क) फर्नीचर और फिक्स्चरः बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- 100 प्रतिशत की दर से

ख) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर- 100 प्रतिशत की दर से

ग) भवन-मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति पर- 5 प्रतिशत की दर से

घ) विद्युत संस्थापनाएं: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- मूल्यह्रासित मूल्य-पद्धति पर- 50 प्रतिशत की दर से

ङ) मोटर कार- सीधी रेखा पद्धति- 50 प्रतिशत की दर से

iv) वस्तुओं के जुड़ाव पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है, किन्तु बिक्री / निस्तारण के वर्ष के लिए मूल्यह्रास नहीं होता।

v) पट्टाधारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि-पर्यन्त किया जाता है।

12 आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान और आकस्मिक आस्तियाँ

ए एस 29 प्रावधानों के अनुसार आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों को बैंक चिन्हीकृत करता है और जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए प्रावधान किए जाते हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण होता है, न ही प्रकटन। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और तुलन-पत्र में उनका प्रकटन होता है तथा विवरण तुलन-पत्र की अनुसूचियों में दिए जाते हैं। आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है।

13 अनुदान एवं सब्सिडी:

सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का लेखांकन करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

14 परिचालनगत पट्टा

पट्टा संबंधी किराए को भुगतान के लिए देय होने पर लाभ-हानि लेखे में खर्च/आय के रूप में दर्शाया जाता है।

15 आस्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की रख-रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि आंतरिक व बाह्य कारणों के आधार पर किसी क्षति का संकेत हो तो निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सके:

क) क्षति- हानि (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रावधान, अथवा

ख) पूर्ववर्ती अवधि में चिह्नित क्षति (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रत्यावर्तन-निर्धारण

यदि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो क्षति-हानि का निर्धारण किया जाता है।

16 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में रोकड़, भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष तथा म्युचुअल फंड में ऐसा निवेश शामिल होता है, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या कम की हो।

अनुसूची XVI: लेखे की टिप्पणियाँ

1 इंड एएस का कार्यान्वयन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 15 मई, 2019 को बैंकों को जारी पत्र के अनुसार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के लिए इंड-एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। तदनुसार, बैंक के वित्तीय विवरण आईजीएएपी के तहत तैयार किए जाते हैं। हालाँकि, बैंक भा रि बैंक को अर्धवार्षिक आधार पर प्रोफार्मा इंड-एएस के रूप में वित्तीय विवरण पहले की तरह प्रस्तुत करना जारी रखेगा जैसाकि भारि बैंक के 15 मई, 2019 के पत्र में सलाह दी गयी है। वर्तमान में, सिडबी आईजीएएपी वित्तीय विवरणियों को इंड-एएस वित्तीय विवरणियों में रूपांतरण के लिए एक्सेल-शीट का उपयोग कर रहा है। बैंक ने पहले ही उपरोक्त परिपत्र के अनुसार 30 सितंबर, 2019 तक भा रि बैंक को वित्तीय विवरणों के रूप में आईजीएएपी परिवर्तित प्रोफार्मा इंड-एस प्रस्तुत कर दिया है।

2 कोविड 19 विनियामक पैकेज

कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी भारत सहित दुनिया भर में तेजी से फैल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 के प्रकोप को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। कोविड-19 और तालाबंदी के कारण, देश भर में सामाजिक-आर्थिक मोर्चे पर अभूतपूर्व स्तर पर व्यवधान है। कोविड-19 महामारी बैंक की भविष्य के परिचालनों एवं वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा जो भविष्य के विकास पर निर्भर है, जो बहुत ही अनिश्चित है। वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का प्रभाव बैंक के वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि से भिन्न हो सकता है और बैंक भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के बदलाव की निगरानी करता रहेगा जिससे बैंक पर कोई वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है। 27 मार्च, 2020 के भा रि बैंक परिपत्र के अनुसार, कोविड-19 महामारी के कारण उधारकर्ताओं को राहत देने के संबंध में, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार पात्र उधारकर्ताओं को देय ऋण किस्तों / ब्याज की अधिस्थगन की पेशकश की है।

तदनुसार, 17 अप्रैल, 2020 को भा रि बैंक के परिपत्र के संदर्भ में, बैंक ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹13.99 करोड़ का प्रावधान किया है:

विवरण	राशि (₹ करोड़)
एसएमए / अतिदेय श्रेणियों में संबन्धित राशि, जहां अधिस्थगन / स्थगन अवधि बढ़ाया गया था	620.66
संबन्धित राशि जहां आस्ति वर्गीकरण का लाभ दिया गया है।	279.89
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	13.99
स्लिपेज और अवशिष्ट प्रावधानों के विरुद्ध संबन्धित लेखांकन अवधि के दौरान समायोजित किया गया प्रावधान।	लागू नहीं

3.1 लेखांकन मानक 22 के अनुसार, आय पर कर के लिए लेखांकन, बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं की समीक्षा की है और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में आस्ति के रूप में ₹24,18,96,000 की राशि को मान्यता दी है (पिछले वर्ष - आस्थगित कर आस्ति ₹54,36,89,736 थी)। इस वर्ष के दौरान, बैंक ने मानक आस्तियों पर किए गए पूरे प्रावधान पर अपने गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹96,34,90,214 के आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता दी गई है।

3.2 31 मार्च, 2020 को आस्थगित कर आस्तियों / (देयताओं) के अलग-अलग आँकड़े

(राशि ₹ में)

समय-अंतर		मार्च 31, 2020 आस्थगित कर आस्ति /(देयता)	मार्च 31, 2019 आस्थगित कर आस्ति /(देयता)
क)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	37,17,630	39,60,413
ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	(3,52,02,16,577)	(4,70,90,89,576)
ग)	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	1,20,50,72,585	2,30,45,14,771
घ)	भारत सरकार बांडों के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम का परिशोधन	(2,12,98,854)	(4,44,56,921)
ङ)	खातों की पुनर्संरचना के लिए प्रावधान	1,63,22,587	1,22,49,123
च)	अग्रेनीत दीर्घकालीन पूँजी हानि	-	22,05,17,373
छ)	गैर-निष्पादक निवेशों के लिए प्रावधान	-	85,10,68,097
ज)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1,64,85,24,603	58,61,97,116
झ)	अन्य	65,26,45,311	51,79,10,889
	निवल आस्थगित कर आस्ति / (देयता)	**(1,52,32,715)**	**(25,71,28,715)**

4 आयकर के प्रावधान में निम्नलिखित शामिल हैं:

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
(i)	वर्तमान आयकर प्रावधान	5,18,46,80,000	6,10,49,78,330
(ii)	पिछले वर्षों का कम / (अधिक) आयकर प्रावधान	(99,73,122)	(4,85,09,317)

कर देयता की जाँच कर-परामर्शदाता द्वारा की गई है

5 अनुसूची XI में उल्लिखित आकस्मिक देयताएँ

₹5,74,27,63,852 (गत वर्ष ₹6,98,13,20,359) की आकस्मिक देयताएँ आयकर / सेवाकर / सिडबी के विरुद्ध दायर विधिक मामलों से संबंधित हैं। यह बैंक द्वारा विवादित है और विशेषज्ञों की राय के आधार पर, इसके लिए प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। इसमें ₹1,73,22,02,927 (गत वर्ष ₹1,63,32,91,167) की राशि शामिल है, जो आयकर विभाग द्वारा बैंक के विरुद्ध दायर की गई अपील से संबंधित है।

6 अनुसूची IV में उधारियों के अंतर्गत 'बॉण्ड व डिबेंचर' में निम्नलिखित शामिल हैं

(राशि ₹ में)

		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क)	अप्रतिभूत बांड	1,75,62,50,00,000	1,44,95,50,00,000

7 अनुसूची x में अन्य आस्तियों के अंतर्गत 'व्यय, जहाँ तक बट्टे खाते नहीं डाले गए' में निम्नलिखित शामिल हैं:

(₹)

	विवरण	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क)	आरबीआई एनआईसी (एलटीओ) के भारत सरकार के बॉण्डों में अंतरण पर प्रीमियम	8,46,26,725	12,70,85,209
ख)	अग्रिम रूप से अदा किया गया बट्टा - जमा पत्र	4,72,11,42,319	6,73,24,68,721
ग)	अग्रिम रूप से अदा किया गया बट्टा - वाणिज्य पत्र	67,03,00,288	56,66,99,947
घ)	अप्रतिभूत बॉण्ड जारी करने पर व्यय	4,83,05,739	2,97,09,294
	योग	**5,52,43,75,071**	**7,45,59,63,171**

8 ब्याज व वित्तीय प्रभार

(राशि ₹ में)

		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क)	उधारियों पर ब्याज	21,44,36,98,531	28,72,48,01,168
ख)	जमा पर ब्याज	51,17,75,96,026	34,90,93,38,998
ग)	वित्तीय प्रभार	4,59,92,92,636	5,39,59,71,840
	योग	**77,22,05,87,193**	**69,03,01,12,006**

(राशि ₹ में)

9

	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
अप्रावधानित पूँजी लेखा पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (प्रदत्त अग्रिम को छोडकर)	21,02,888	2,92,86,993

10 अनुसूची IX में परिसर के अंतर्गत परिसर की अधिप्राप्ति के प्रति ₹11,06,68,896 (गत वर्ष ₹11,06,68,896) का अग्रिम तथा निर्माणाधीन पूँजी कार्य के प्रति ₹21,02,888 (गत वर्ष ₹18,59,429) की राशि शामिल है। परिसर की अधिप्राप्ति के प्रति ₹11,06,68,896 का अग्रिम कार्यालय परिसर की अधिप्राप्ति के लिए अदा किया गया था, जिससे संबंधित प्रस्ताव बाद में परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के कारण निरस्त कर दिया गया। बैंक संबंधित एजेंसी से उक्त राशि की वापसी के लिए पत्राचार कर रहा है। मामला राज्य सरकार के संबंधित विभाग के साथ उठाया गया है और एजेंसी / मंत्रालय मौजूदा चर्चा के अनुसार यह आशा की जाती है कि वापसी की राशि अगले वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त हो जाएगी। हालांकि, चालू वित्तीय वर्ष में इस अग्रिम राशि के विरुद्ध ₹11,06,68,896 (गत वर्ष शून्य) के सम्पूर्ण राशि का प्रावधान किया गया है।

11 जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) (जिसे पहले जापान बैंक आफ इंटरनेशनल कोआपरेशन - जेबीआईसी के नाम से जाना जाता था) से ऋण व्यवस्था V के अंतर्गत प्राप्त 30 बिलियन जापानी येन के विदेशी मुद्रा उधार (31 मार्च 2020 तक 8.78 बिलियन जापानी येन) के संबंध में भारत सरकार के साथ सहमत शर्तों के अनुसार विनिमय दर उतार-चढाव निधि (ईआरएफएफ) सृजित की गई है एवं उसे विदेशी मुद्रा उतार चढाव आरक्षिति निधि में शामिल किया गया है। अधिसूचित दर पर लागू ब्याज को इस ईआरएफएफ खाते में जमा किया जाता है और अनुबंधित दर पर जाइका को देय ब्याज इस खाते से नामे किया जाता है। इसके अलावा, ईआरएफएफ खाते में आरंभिक शेषराशि पर निर्धारित दर से अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि की गणना की जाती है। यदि भविष्य में जरूरी हुआ, तो निधि खाते में भारत सरकार के निदेशानुसार समायोजन किया जाएगा। यदि निधि में अतिशेष अपर्याप्त रहता है तो इसका दावा भारत सरकार से किया जाएगा। चूंकि ईआरएफएफ के तहत मौजूदा बकाया से ऋण सेवा और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव संबंधी आवश्यकता के पूरे हो जाने की आशा है, ईआरएफएफ में आगे योगदान तब तक के लिए समाप्त कर दिया गया है जब तक कि ईआरएफएफ में शेषराशि जाइका - V ऋणसीमा के अंतर्गत बकाया ऋण की तुलना में अधिशेष बनी रहे। इस बीच, भारत सरकार ने जेआईसीए लाइन V के तहत पूरे बकाया के पूर्व भुगतान के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने विदेशी मुद्रा रूपांतरण समायोजन खाते में पड़े ₹371.15 करोड़ की राशि वापस की है, जो कि जेआईसीए वी के संबंध में अधिक प्रावधान / देयता की प्रकृति में थी। अनुसूची XIII के तहत राशि को 'अन्य आय' में शामिल किया गया है।

12 जेबीआईसी ऋण IV के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त ₹1,74,43,55,536 (पिछले वर्ष ₹2,18,04,44,418) की उधारी को तुलनपत्र में 'अनुसूची IV - उधारियों' में अपने ऐतिहासिक रुपये मूल्य में अग्रेनीत किया गया है, क्योंकि करार के अंतर्गत सिडबी की मूलधन चुकौती की देयता रुपये में ऋण और इस ऋण के लिए रखे गए ईआरएफएफ के शेष के योग से अधिक होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसी ईआरएफएफ खाते में 8% पर लागू ब्याज जमा किया जाता है और जेपीवाई (आईएनआर में मुद्रा-विनिमय के उपरांत समतुल्य राशि) में देय ब्याज इस खाते से नामे किया जाता है। इस ऋण के लिए रखे ईआरएफएफ में 31 मार्च, 2020 को शेष ₹1,61,64,60,277 (पिछले वर्ष ₹2,07,46,84,419) है।

13 बैंक ने विश्व बैंक से 300 मिलियन डालर की ऋण-व्यवस्था की संविदा की। यह टिकाऊ और उत्तरदायित्व पूर्ण अल्पवित्त परियोजना को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए है। इसमें 65.9 मिलियन एसडीआर (100 मिलियन अमेरिकी डालर के तुल्य) का आईडीए का हिस्सा भी शामिल है। आईडीए ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार उधारकर्ता है और भारत सरकार सिडबी को रुपया ऋण देती है, यद्‌यपि करार की शर्तों के अनुरूप विनिमय जोखिम का वहन सिडबी द्‌वारा किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार यद्‌यपि भारत सरकार ने सिडबी को रुपया फंड जारी किया, इसे सिडबी के खातों में सही स्थिति दर्शाने हेतु एसडीआर देयता के रूप में दर्ज किया गया, ताकि वर्ष के अंत में आंकड़ों में पुनर्मूल्यांकन अंतर उपयुक्त रूप से प्रदर्शित हो। तदनुसार उक्त ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत 31 मार्च 2020 तक 49.43 मिलियन अमेरिकी डालर (₹510.25 करोड़ के बराबर) [गत वर्ष 52.72 मिलियन अमेरिकी डालर (₹506.09 करोड़ के बराबर)] के आहरण को भारत सरकार के प्रति रुपया देयता के रूप में दर्ज किया गया है तथा विनिमय जोखिम का बचाव सिडबी द्‌वारा विदेशी मुद्रा वायदा करार के जरिये किया जा रहा है। इसे अनुसूची IV - 'भारत में उधारियाँ' के अंतर्गत समूहित किया गया है।

14 (क) भारत सरकार ने सिडबी में ₹300 करोड़ की समूह निधि वाली "इंडिया माइक्रोफाइनान्स ईक्विटी निधि" सृजित की है, जिसका सिडबी द्वारा परिचालन / प्रबंधन किया गया था। हालांकि, मुद्रा के अभिविन्यास और पहुँच को देखते हुए, आईएमईएफ संविभाग और इसके संचालन को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सिडबी से मुद्रा में स्थानांतरित कर दिया गया।

(ख) एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने निधियों की निधि के लिए ₹310 करोड़ की आकांक्षा निधि (ऐस्पायर फंड) का आवंटन सिडबी को किया है जिसका प्रबंध सिडबी को करना है। उक्त निधि का उपयोग ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में कृषि आधारित उद्योगों एवं क्षेत्रों से संबंधित स्टार्ट-अप / नए उद्यमों में उद्यम पूंजी निधियों में निवेश तथा नवोन्मेषिता, उद्यमिता, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में उत्पादनोपरांत और उत्पादन-पूर्व वैल्यू चेन से लिंकेज को बढ़ावा देने तथा त्वरित रूप से सहायता उपलब्ध कराने के लिए होगा। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ₹310 करोड़ की पूरी समूहनिधि सिडबी को जारी कर दी गई है, जिसमें से ₹210 करोड़ की राशि वित्तवर्ष 2019 में जारी की गई है। ये निवेश न्यासी रूप में सिडबी के पास सुरक्षित हैं। निवेश की धनराशि को हटाकर, आकांक्षा निधि की शेष निधि को तुलनपत्र की अन्य देयताओं" के अंतर्गत समूहित किया गया है तथा सभी लाभ / हानियां / आय / व्यय इस निधि का हिस्सा हैं। यथा 31 मार्च 2020 तक निधि में शेष राशि ₹2,83,15,39,259 करोड़ (गत वर्ष ₹2,88,16,92,244) रही।

(ग) भारत सरकार ने स्टार्ट अप्स में ईक्विटी सहायता बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से निधियों की निधि योजना बनाई है। योजना के अंतर्गत ₹10,000 करोड़ की निधियों की निधि योजना प्रस्तावित है, जिसका प्रबंध सिडबी को करना है। सरकार ने निधियों की निधि की उक्त समूह निधि से ₹1,031.30 करोड़ सिडबी को दिए हैं तथा निधियों की निधि के अंतर्गत अतिरिक प्रतिबद्धता की भी अनुमति प्रदान की है। वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने सिडबी को सूचित किया है कि वह वैकल्पिक निवेश निधि को प्रतिबद्धता जारी रखे। ये निवेश न्यासी रूप में सिडबी के पास सुरक्षित हैं। निवेश की धनराशि को हटाकर, निधियों की निधि की शेष राशि को तुलनपत्र की "अन्य देयताओं" के अंतर्गत समूहित किया गया है तथा सभी लाभ / हानियां / आय / व्यय इस निधि का हिस्सा है। यथा 31 मार्च 2020 तक निधि में शेष राशि ₹1,57,78,06,412 (पिछले वर्ष ₹2,58,51,15,337) रही।

15 बैंक ने कुल अंकित मूल्य ₹4,97,82,00,000 (बही मूल्य ₹4,91,62,54,874) [गत वर्ष ₹4,52,82,00,000 (बही मूल्य ₹4,46,80,73,744)] की भारत सरकार की प्रतिभूतियों को त्रिपक्षीय रेपो सौदों व निपटान (ट्रेप्स) हेतु क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के पास गिरवी रखी हैं।

16 बचाव (हेजिंग) रणनीति के हिस्से के रूप में बैंक ने विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं के अंतर्गत आहरित विदेशी मुद्रा निधियों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में रखा है और इन विदेशीमुद्रा निक्षेपों (जमा राशियों) के प्रति भारतीय रुपये में ऋण ओवरड्राफ्ट की सुविधा ली है। इन ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 को बकाया राशि ₹11,35,47,446 (गत वर्ष ₹3,77,40,11,137) थी। यथा 31 मार्च, 2020 को इन विदेशी मुद्रा निक्षेपों पर प्राप्य ब्याज विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं के उधारों पर देय ब्याज से मेल खाता है।

17 अन्य आय - अनुसूची XIII में विगत वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए अग्रिमों से वसूल हुए ₹1,02,21,91,305 (गत वर्ष ₹36,79,23,266) शामिल हैं।

18 आईएफएडी ने 18 फरवरी, 2002 के ऋण करार के माध्यम से, सिडबी को 16.35 मिलियन एसडीआर का विदेशी मुद्रा ऋण दिया है। ऋण करार की शर्तों के अनुसार, आईएफएडी ने यूएस डालर में ऋण संवितरण किया है और इसकी चुकौती एसडीआर के समतुल्य यूएस डालर में की जानी है। बैंक ने अपनी लेखा बहियों में तदनुसार लेखांकन किया है। 31 मार्च, 2020 को इस ऋण के संबंध में शेष राशि ₹1,15,34,15,466 (गत वर्ष ₹1,12,48,25,395) है।

19 कर्मचारी लाभ

"कर्मचारी लाभ" (एएस 15) (2005 में संशोधित) के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक के अनुसार बैंक ने अपने कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है:

(क) सुपरिभाषित अंशदान योजना

बैंक ने निम्नलिखित राशियाँ लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित की है

(राशि ₹ में)

विवरण	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	8,01,88,984	8,45,92,109
नई पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान	2,47,85,687	2,27,84,810

(ख) बैंक की सुपरिभाषित लाभ पेंशन एवं ग्रेच्युटी योजनाएं हैं, जिनका प्रबंध ट्रस्ट के जरिये किया जाता है।

(₹ करोड़)

		पेंशन		ग्रेच्युटी	
		वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2020	वित्त 2019
1.	**धारणाएँ**				
	भुनाई दर	7.00%	7.78%	7.00%	7.64%
	नियोजित आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.00%	7.78%	7.00%	7.64%
	वेतन बढोतरी	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	ह्रास दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
2.	**लाभ देयता में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका**				
	वर्ष के आरंभ में देयता	439.65	452.03	91.36	111.05
	ब्याज लागत	34.20	34.94	6.63	8.59
	वर्तमान सेवा लागत	13.79	12.05	5.18	4.47
	पिछली सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
	देयता अंतरण आगम	0.00	0.00	0.00	0.00
	(देयता अंतरण निर्गम)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(प्रदत्त लाभ)	(35.02)	(24.25)	(11.07)	(12.40)
	देयताओं पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	77.26	(35.12)	7.54	(20.35)
	वर्ष के अंत में देयता	529.88	439.65	99.64	91.36
3.	**योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य संबंधी तालिकाएं**				
	वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	410.23	405.46	110.98	115.25
	योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	33.28	31.34	8.06	8.43
	अंशदान	35.02	0.00	0.09	0.05
	अन्य कंपनी से अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00
	(अन्य कंपनी को अंतरण)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(प्रदत्त लाभ)	(35.02)	(24.25)	(11.07)	(12.40)
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	25.18	(2.32)	0.09	(0.35)
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	468.69	410.23	108.15	110.98
4.	**बीमांकिक लाभ (हानि) की पहचान की तालिका**				
	अवधि के दायित्व के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)	77.26	(35.12)	7.54	(20.35)
	अवधि के लिए आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(25.18)	2.32	(0.09)	0.35
	आय और व्यय खाते में चिह्नित बीमांकिक लाभ / (हानि)	52.08	(32.80)	7.45	(20.00)
5.	**योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल**				
	योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	33.28	31.34	8.06	8.43
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	25.18	(2.32)	0.09	(0.35)
	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	58.46	29.02	8.15	8.08
6.	**तुलनपत्र में निर्धारित की गई राशि**				
	वर्ष के अंत में देयता	(529.88)	(439.65)	(99.64)	(91.36)
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	468.69	410.23	108.15	110.98
	अंतर	(61.19)	(29.42)	8.51	19.62
	वर्ष के अंत में अनिर्धारित विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में अनिर्धारित संक्रमणीय देयता	0.00	0.00	0.00	0.00
	तुलनपत्र में निर्धारित की गई निवल राशि	(61.19)	(29.42)	8.51	19.62

(₹ करोड़)

	पेंशन		ग्रेच्युटी	
	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2020	वित्त 2019
7. आय विवरणी में निर्धारित व्यय				
चालू सेवा लागत	13.79	12.05	5.18	4.47
ब्याज लागत	34.20	34.94	6.63	8.59
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	(33.28)	(31.34)	(8.06)	(8.43)
वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान निर्धारण में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान संक्रमणीय देयता का निर्धारण	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ) / हानि	52.08	(32.80)	7.45	(20.00)
लाभ और हानि लेखा में निर्धारण में लिए गए व्यय	66.79	(17.15)	11.20	(15.37)
8. तुलनपत्र समाधान				
आरंभिक निवल देयता	29.42	46.57	(19.62)	(4.20)
यथोक्त व्यय	66.79	(17.15)	11.20	(15.37)
नियोक्ता का अंशदान	(35.02)	0.00	(0.09)	(0.05)
तुलनपत्र में निर्धारित राशि	61.19	29.42	(8.51)	(19.62)

9. अन्य विवरण

बैंक की सूचना के अनुसार वेतन बढोतरी को ध्यान में रखा जाता है, जो कर्मचारियों की पदोन्नति, मांग व आपूर्ति के संबंध में उद्योग में प्रचलित परंपरा के अनुरूप है।

(₹ करोड़)

	पेंशन		ग्रेच्युटी	
	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2020	वित्त 2019
10. आस्तियों की श्रेणी				
भारत सरकार आस्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
कारपोरेट बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
सूचीबद्ध कंपनियों के ईक्विटी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
संपत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	468.69	410.23	108.15	110.98
अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**468.69**	**410.23**	**108.15**	**110.98**

11. अनुभवजन्य समायोजन

	पेंशन					ग्रेच्युटी				
	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2018	वित्त 2017	वित्त 2016	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2018	वित्त 2017	वित्त 2016
योजनागत देयता (लाभ) / हानि पर	46.87	(22.03)	66.81	(5.53)	22.70	3.28	(19.71)	10.18	(7.91)	(6.20)
योजनागत आस्ति (हानि) / लाभ पर	25.17	(2.32)	0.32	0.58	(0.17)	(0.09)	(0.35)	(0.10)	0.29	(0.40)

टिप्पणी: चूँकि 31 मार्च, 2020 को पेंशन और ग्रेच्युटी निधि की इतिशेष राशियाँ संबंधित बीमांकिक दायित्व से अधिक हैं, अत: चालू वित्तवर्ष, के दौरान कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया है।

(ग) स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रदत्त बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित अन्य दीर्घावधि लाभ योजनाओं से संबंधित राशियां, जो लाभ -हानि खाते में प्रभारित की गईं, इस प्रकार हैं।

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1	साधारण छुट्टी का नकदीकरण	23.43	20.63
2	बीमारी छुट्टी	(4.91)	0.00
3	पुनर्स्थापन व्यय	0.12	0.88
4	सेवानिवृत्ति उपरांत स्वास्थ्य योजना की सुविधाएँ	10.50	0.43

20 प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (एएस-20)

बैंक लेखांकन मानक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल और मंदित (डायल्यूटेड) अर्जन के संबंध में रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर-पश्चात् शुद्ध लाभ को विभाजित कर की जाती है। मंदित प्रति शेयर अर्जन उस संभावित कमी को दर्शाता है, जो उस स्थिति में हो सकती है, जब संबंधित अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या संविदागत ईक्विटी शेयर जारी कर निष्पादन या रूपांतरण किया गया हो। मंदित प्रति शेयर अर्जन का परिकलन, कर-पश्चात् निवल लाभ को वर्षांत पर बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा मंदित किए जाने योग्य संभावित ईक्विटी शेयरों के योग से विभाजित कर किया जाता है।

	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
अर्जित प्रति शेयर परिकलन के लिए निवल लाभ (₹)	23,14,52,18,073	19,52,20,34,064
प्रति शेयर रु. 10/ के अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	53,19,22,031	53,19,22,031
प्रति शेयर अर्जन (₹)	43.51	36.70

* मूल प्रति शेयर अर्जन तथा मंदित प्रति शेयर अर्जन समान है, क्योंकि कोई मंदित संभावित ईक्विटी शेयर नहीं हैं.

21 लेखाबही में प्रस्तावित लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) देयता के रूप में अनुसूची V में गिना जाएगा.

22 प्रबंधतंत्र की राय में लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि के नजरिये से बैंक की स्थिर आस्तियों की कोई महत्त्वपूर्ण हानि नहीं हुई है।

23 लेखांकन मानक 29 के अंतर्गत आकस्मिकताओं के संबंध में प्रावधान हेतु प्रकटन। बैंक के कर्मचारियों के वेतन भत्तों का प्रत्येक पाँच वर्षों के अंतराल पर समीक्षा की जाती है। इस प्रकार की समीक्षा 01 नवंबर, 2017 से अपेक्षित है।

(राशि ₹ में)

विवरण	वि व 2020 बकाया वेतन / प्रोत्साहन	वि व 2019 बकाया वेतन / प्रोत्साहन
आरम्भ शेष	**34,00,00,000**	**1,87,31,68,333**
जोड़े:		
बकाया वेतन	42,00,00,000	34,00,00,000
प्रोत्साहन	-	-
उपयोग:		1,43,16,70,278
पुनरांकन	-	44,14,98,055
अंतिम शेष	**76,00,00,000**	**34,00,00,000**

24 बैंक ने अपने आरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम से बचाव के लिए एक पद्धति बना रखी है। आवधिक आधार पर इस प्रकार के अरक्षित विदेशी मुद्रा संविभाग की समीक्षा की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15/01/2014 के परिपत्र संख्या डीबीओबीडी बीपी बीसी 85/21.06.200/2013-14 एवं दिनांक 03/06/2014 के पत्र संख्या डीबीओबीडी बीपी बीसी 116/21.06.200/2013-14 के अनुवर्ती स्पष्टीकरण से अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम से बचाव के लिए यथा 31 मार्च 2020 तक ₹0.07 करोड़ (गत वर्ष ₹0.15 करोड़) का प्रावधान किया गया है, जिसे अनुसूची V में मानक आस्तियों हेतु प्रावधान में शामिल किया गया है।

25 निरंतर पालन की जा रही प्रथा के अनुसार, वेंचर पूँजी निधियों के मोचन का लेखांकन वेंचर पूँजी निधियों से प्राप्त वितरण-पत्र के अनुसार किया जाता है, चाहे अंशदान करार में निर्दिष्ट विनियोजन नीति कुछ भी रही हो। वेंचर पूँजी निधियों के यूनिटों / शेयरों में निवेश पुष्टि / समाधान के अध्यधीन होता है।

26 निवेशकों की शिकायतें

यथा 1 अप्रैल 2019 तक बैंक के पास निवेशकों की "1" शिकायत निपटान के लिए लंबित थी। वर्तमान वित्तवर्ष के दौरान निवेशकों से "41" शिकायतें प्राप्त हुई थीं और वर्ष में "42" शिकायतों (01 अप्रैल, 2019 को लंबित शिकायत सहित) का निपटारा किया गया। इस प्रकार, यथा 31 मार्च 2020 तक कोई शिकायत निपटान हेतु लंबित नहीं है।

27 अप्रत्यक्ष कर / प्रत्यक्ष कर (टीडीएस) के कारण होने वाली देयता का निर्धारण दाखिल की गई विवरणी / जीएसटी लेखापरीक्षा / पूर्ण किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया गया है,

28 कतिपय जीएल कूटों की शेष राशियाँ संबंधित एसएल के साथ समाधान की प्रक्रिया में हैं, जिनका कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा, जिस का प्रबंधन के अनुमान के अनुसार वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

29 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अधीन पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के ऋणों की पुनर्संरचना

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अधीन पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के ऋणों की पुनर्संरचना के संबंध में दिनांक 11 फरवरी, 2020 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार तथा उक्त परिपत्र में वर्णित अन्य शर्तों को पूरा करने के संबंध में, योजना के अंतर्गत पुनर्संरचित एमएसएमई खाते निम्नवत् हैं

पुनर्संरचित खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़)
28	30.26

30 दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण रूपरेखा

द्बावग्रस्त आस्ति के समाधान के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जून, 2019 के परिपत्र के अनुसार बैंक ने जिन मामलों में समाधान योजना (आरपी) लागू किया है, वह शून्य है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसार "कोविड19 विनियामक पैकेज - समाधान समय की समीक्षा, द्बावग्रस्त आस्ति के समाधान पर प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क" के तहत 'शून्य' है।

31 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनयमन के विनियमन 14, 2000 लघु उद्योग विकास सहायता कोष (एसआईडीएएफ़) और सामनी निधि के तहत खातों की प्रस्तुति के लिए अलग प्रारूप निर्धारित करता है। चूंकि केंद्र सरकार द्वारा अलग से एसआईडीएएफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए सिडबी द्वारा इसका रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

32 बैंक में दीर्घकालिक संविदाएँ प्रमुख रूप से व्युत्पन्नी संविदाओं की प्रकृति की हैं, जिन्हें महत्त्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों के लिए निर्धारित किया जाता है। वर्ष के अंत में, बैंक ने बहीखाते में दीर्घकालिक संविदाओं पर महत्त्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों के लिए यथा अपेक्षित पर्याप्त प्रावधान की समीक्षा की है और उसे अभिलिखित किया है।

33 पिछले वर्ष के आंकडों को पुनर्समूहित और पुनर्वगीकृत किया गया है, ताकि जहां कहीं भी आवश्यक हो, उन्हें चालू वर्षों के आंकड़ों से तुलनायोग्य बनाया जा सके।

अतिरिक्त प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार

1 पूंजी पर्याप्तता

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
i)	सामान्य ईक्विटी*	लागू नहीं	लागू नहीं
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी *	लागू नहीं	लागू नहीं
iii)	कुल टियर 1 पूंजी	18,366.02	15,757.23
iv)	टियर 2 पूंजी	0.00	0.00
v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	18,366.02	15,757.23
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (जोभाआ)	68,996.21	58,114.11
vii)	सामान्य ईक्विटी अनुपात (जोभाआ का सामान्य इक्विटी में प्रतिशत)*	लागू नहीं	लागू नहीं
viii)	टियर 1 अनुपात (जोभाआ का टियर 1 पूंजी में प्रतिशत)	26.62%	27.11%
ix)	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (जोखिम भारित आस्तियों के प्रति कुल पूंजी अनुपात)	26.62%	27.11%
x)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	15.40	15.40
xi)	उगाही गई ईक्विटी पूंजी की राशि	0.00	0.00
xii)	उगाही गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जो	-	-
	क) सतत गैर संचयी अधिमान शेयर	-	-
	ख) सतत ऋण पत्र (पीडीआई)	-	-
xiii)	वर्धित टियर 2 पूंजी राशि जो	-	-
	क) ऋण पूंजी लिखत	-	-
	ख) सतत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)	-	-
	ग) शोध्य गैर संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)	-	-
	घ) शोध्य संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)	-	-

* चूँकि बासेल III नहीं लागू है अत: आंकड़ों का वर्तमान में परिकलन नहीं किया गया है

2 निर्बंध आरक्षित निधियां और प्रावधान

(क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
मानक आस्तियों (संचयी) पर प्रावधान	655.01	550.58

(ख) चल प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
चल प्रावधान खाते में अथशेष	1,348.53	1,742.21
लेखा वर्ष में किए गए चल प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00
लेखा वर्ष में की गयी गिरावट की राशि*	248.57	393.68
चल प्रावधान खाते में इतिशेष	1,099.96	1,348.53

* राशि का उपयोग, चल प्रावधान पर बैंक की बोर्ड द्वारा मंजूर नीति के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियां / अनर्जक निवेश के प्रावधान के लिए किया गया

3 आस्ति गुणवत्ता एवं विशिष्ट प्रावधान

क) अनर्जक अग्रिम

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i) निवल अग्रिमों का निवल अनर्जक परिसंपत्तियां (%)	0.40%	0.21%
(ii) अनर्जक परिसंपत्तियों की प्रगति (सकल)		
(क) अथशेष	867.91	902.42
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	871.56	308.38
(ग) वर्ष के दौरान कमी	698.63	342.89
(घ) इति शेष	1,040.84	867.91
(iii) निवल अनर्जक परिसंपत्तियों की प्रगति*		
(क) अथशेष	292.55	250.63
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	445.77	107.40
(ग) वर्ष के दौरान कमी	79.68	65.48
(घ) इति शेष	658.64	292.55
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में प्रगति (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथशेष	575.35	651.78
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	429.11	201.51
(ग) वर्ष के दौरान कमी	622.27	277.94
(घ) इति शेष	382.19	575.35

* यदि चल प्रावधान की राशि उसके साथ समायोजित है तो पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान निवल अनर्जक आस्ति शून्य होगी

(ख) अनर्जक निवेश

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i) निवल निवेश का निवल अनर्जक निवेश (%)	0.00%	8.03%
(ii) अनर्जक निवेश (सकल) की प्रगति		
(क) अथशेष	1,292.17	410.03
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.01	955.69
(ग) वर्ष के दौरान कमी	948.56	73.55
(घ) इतिशेष	343.62	1,292.17
(iii) निवल अनर्जक निवेश में परिवर्तन		
(क) अथशेष	708.44	0.00
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	708.44
(ग) वर्ष के दौरान कमी	708.44	0.00
(घ) इतिशेष	0.00	708.44
(iv) अनर्जक निवेश के प्रावधानों की प्रगति (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़ कर)		
(क) अथशेष	583.73	410.03
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	708.45	247.25
(ग) वर्ष के दौरान कमी	948.56	73.55
(घ) इतिशेष	343.62	583.73

(ग) अनर्जक आस्तियां (क+ख)

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i) निवल आस्तियों का निवल अनर्जक आस्तियां (अग्रिम + निवेश) (%)	0.37%	0.69%
(ii) अनर्जक आस्तियों की प्रगति (सकल अग्रिम + सकल निवेश)		
(क) अथशेष	2,160.08	1,312.45
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	871.57	1,264.07
(ग) वर्ष के दौरान कमी	1,647.19	416.44
(घ) इतिशेष	1,384.44	2,160.08
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन		
(क) अथशेष	1,000.98	250.63
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	445.77	815.83
(ग) वर्ष के दौरान कमी	788.12	65.48
(घ) इतिशेष	658.63	1,000.98
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में परिवर्तन (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथशेष	1,159.09	1,061.81
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,137.56	448.77
(ग) वर्ष के दौरान कमी	1,570.83	351.49
(घ) इतिशेष	725.82	1,159.09

3 (घ) पुनर्संरचित खाते
पुनर्संरचित खातों का प्रकटन

[₹ करोड़]

क्र	पुनर्संरचित प्रकार →		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचित प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण →		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण ↓																					
1	वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को पुनर्संरचित खाते (प्रारम्भिक संख्या)*	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	21	10	34	-	**65**	21	10	34	-	**65**
		बकाया राशि	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	82.23	19.13	115.08	-	**216.43**	82.23	19.13	115.08	-	**216.43**
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	0.28	0.16	0.11	-	**0.55**	0.28	0.16	0.11	-	**0.55**
2	वर्ष के दौरान नये पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की संख्या					**-**					**-**	2	4	1	-	**7**	2	4	1	-	**7**
		बकाया राशि					**-**					**-**	1.06	16.27	1.83	-	**19.15**	1.06	16.27	1.83	-	**19.15**
		उस पर किए गया प्रावधान					**-**					**-**	0.05	2.03	-	-	**2.08**	0.05	2.03	-	-	**2.08**
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या					**-**					**-**	3	(2)	(1)	-	**-**	3	(2)	(1)	-	**-**
		बकाया राशि					**-**					**-**	10.55	(4.47)	(6.08)	-	**-**	10.55	(4.47)	(6.08)	-	**-**
		उस पर किए गया प्रावधान					**-**					**-**	0.01	(0.01)	-	-	**-**	0.01	(0.01)	-	-	**-**
4	पुनर्संरचित खाते, जिन पर वित्र के अंत में उच्चतर प्रावधान और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भार नहीं है और इसलिए उन्हें अगले वित्र के आरम्भ में पुनर्संरचित मानक ऋणों के रूप में नहीं दर्शाना है	उधारकर्ताओं की संख्या					**-**					**-**	(6)				**(6)**	(6)				**(6)**
		बकाया राशि					**-**					**-**	(26.26)				**(26.26)**	(26.26)				**(26.26)**
		उस पर किए गया प्रावधान					**-**					**-**	(0.03)				**(0.03)**	(0.03)				**(0.03)**
5	वित्र के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या					**-**					**-**	(4)	(1)	5	-	**-**	(4)	(1)	5	-	**-**
		बकाया राशि					**-**					**-**	(21.14)	16.42	4.72	-	**-**	(21.14)	16.42	4.72	-	**-**
		उस पर किए गया प्रावधान					**-**					**-**	-	(0.13)	0.13	-	**-**	-	(0.13)	0.13	-	**-**
6	वित्र के दौरान पुनर्संरचित खातों का बट्टेखाते में डालना #	उधारकर्ताओं की संख्या					**-**					**-**	(1)	(1)	(25)	-	**(27)**	(1)	(1)	(25)	-	**(27)**
		बकाया राशि					**-**					**-**	(4.30)	(0.71)	(67.23)	-	**(72.24)**	(4.30)	(0.71)	(67.23)	-	**(72.24)**
		उस पर किए गया प्रावधान					**-**					**-**	0.25	(0.02)	(0.01)	-	**0.23**	0.25	(0.02)	(0.01)	-	**0.23**
7	31 मार्च को समाप्त वित्र को पुनर्संरचित खाते (अंतिम संख्या) *	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	15	10	14	-	**39**	15	10	14	-	**39**
		बकाया राशि	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	42.15	46.63	48.32	-	**137.09**	42.15	46.63	48.32	-	**137.09**
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**	0.56	2.03	0.23	-	**2.82**	0.56	2.03	0.23	-	**2.82**

* मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर, जिन पर उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार नहीं लगता (यदि लागू हो)
# पुनर्संरचित खातों की कमी को शामिल कराते हुए

(ङ) अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
01 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां	867.91	902.42
वर्ष के दौरान (नए अनर्जक आस्तियां) परिवर्धन	871.55	308.38
उप योग (क)	**1,739.46**	**1,210.80**
घटाएँ:-		
(i) उन्नयन	50.90	8.46
(ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से की गयी वसूलियां)	88.43	112.54
(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टा खाता	558.18	221.79
(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते में डाले गए*	1.11	0.10
उप जोड़ (ख)	**698.62**	**342.89**
यथा 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां (क - ख)	**1,040.84**	**867.91**

(च) बट्टे खाते में डालना एवं वसूलियाँ

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
यथा 1 अप्रैल तक तकनीकी / बट्टे खाते में अथशेष	1,563.29	1,458.52
जोड़िए: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते	558.18	221.79
उप योग (क)	**2,121.47**	**1,680.31**
घटाएं: वास्तविक बट्टे खाते	12.24	87.51
घटाएँ: वर्ष के दौरान पिछलें तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में से की गई वसूली	102.22	29.51
उप योग (ख)	**114.46**	**117.02**
31 मार्च को इति शेष (क-ख)	**2,007.01**	**1,563.29**

(छ) विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां एवं राजस्व

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
कुल आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल अनर्जक आस्तियाँ	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

(ज) मूल्यह्रास एवं निवेशों पर प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(1) निवेश		
(i) सकल निवेश	11,466.32	9,407.09
(क) भारत में	11,466.32	9,407.09
(ख) भारत से बाहर	-	-
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	348.48	588.90
(क) भारत में	348.48	588.90
(ख) भारत से बाहर	-	-
(iii) निवल निवेश	11,117.83	8,818.19
(क) भारत में	11,117.83	8,818.19
(ख) भारत से बाहर	-	-
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में प्रगति		
(i) अथशेष	5.16	49.38
(ii) जोड़िए: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	7.08	6.36
(iii) वर्ष के दौरान निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति खाते में से कोई समायोजन, यदि कोई	7.08	-
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों को पुनरांकित / बट्टे खाते में डाले गए	-	-
(v) घटाएं: निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में, यदि कोई अंतरण*	7.41	50.58
(vi) इति शेष	4.83	5.16

* निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए ₹0.34 करोड़ के प्रावधान और वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए ₹44.22 करोड़ के प्रावधान को घटाकर निवल है।

(झ) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़)

लाभ और हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
निवेश पर अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान	703.89	(98.61)#
अनर्जक आस्ति के प्रति प्रावधान	118.50#	(1.32)#
आयकर के सन्दर्भ में किया गया प्रावधान (आस्थगित कर आस्ति / देयता शामिल)	493.28	551.28
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (विवरण सहित)	130.59$	97.44$

चल प्रावधानों का निवल पुनरांकन

$ इसमें मानक आस्तियों के लिए प्रावधान भी शामिल है

(ञ) प्रावधान संवरण अनुपात (पीसीआर)

	वि व 2019-20	वि व 2018-19
प्रावधान संवरण अनुपात (पीसीआर)*	78%	87%

* पीसीआर के परिकलन के समय चल प्रावधान को विचार में नहीं लिया गया है

(ट) मौजूदा ऋणों की लचीली संरचना पर प्रकटन

(₹ करोड़)

अवधि	लचीले रूप से संरचना के लिए किए गए उधारकर्ताओं की संख्या	लचीले संरचना के लिए ली गई राशि		लचीले संरचना के लिए ली गई ऋणों की भारित औसत अवधि एक्सपोजर	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना के लिए आवेदन करने से पूर्व	लचीली संरचना के लिए आवेदन करने के पश्चात
पिछला वर्ष वित्त वर्ष 2018-19		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
चालू वर्ष वित्त वर्ष 2019-20		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ठ) कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचित योजना पर प्रकटीकरण (खाते जो अभी सुप्तावधि के अंतर्गत हैं)

(₹ करोड़)

कुल खातों की संख्या जिनमेंएसडीआर को आहूत किया गया है।	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन होना अभी लंबित है, रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन हो चुका है, रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि	
	मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ड) एस डी आर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो अभी सुप्तावस्था अवधि में हैं)

ऐसे खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावी करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन / बंधक ईक्विटी शेयरों को वापस लिया गया है, रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन / बंधक ईक्विटी शेयरों को वापस लिया गया है, रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ नये शेयर जारी कर / अथवा प्रवर्तकों के ईक्विटी की विक्री कर परिवर्तन अभिकल्पित है में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि	
	मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ढ) क्रियान्वयाधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटन (खाते जो अभी सुप्तावधि में हैं)

ऐसे खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावी करने का निर्णय लिया है	रिपोर्ट किए जाने की तिथि को बकाया राशि		
	मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक व पुनर्संरचित के रूप में वर्गीकृत	गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ण) दबावग्रस्त आस्तियों की समर्थनीय पुनर्संरचना (एस4ए) योजना के बारे में यथा 31 मार्च, 2020 को प्रकटन

खातों की संख्या जहाँ एसए 4 लागू किया गया है	सकल बकाया राशि	बकाया राशि		रखा गया प्रावधान
		भाग ए में	भाग बी में	
मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4 निवेश संविभाग: संघटन और परिचालन

(क) रेपो संव्यवहार

	वर्ष के दौरान बकाया का अधिकतम स्तर	वर्ष के दौरान बकाया का अधिकतम स्तर	वर्ष के दौरान दैनिक बकाया का औसत स्तर	यथा 31 मार्च, 2020 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रतिवर्ती रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii. नैगम ऋण संबंधी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) ऋण-प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ताओं की संघटना विषयक खुलासे

(₹ करोड़)

जारीकर्ता	राशि	की राशि			
		निजी प्लेसमेंट के जरिये किया गया निवेश	निवेश श्रेणी नीचे के स्तर की धारित प्रतिभूतियाँ	बिना रेटिंग के प्रतिभूति में धारित	असूचीबद्ध प्रतिभूति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	719.04	-	-	-	-
(ii) वित्तीय संस्थायें	279.84	96.94	-	78.55	103.00
(iii) बैंक	3,300.50	15.00	-	103.50	103.50
(iv) निजी कार्पोरेट्स	487.15	172.05	-	360.30	351.41
(v) अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम	1,751.05	1,751.05	-	1,751.05	1,751.05
(vi) अन्य	4,928.74	1,027.12	-	1,027.12	4,437.12
(vii) मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान	(348.45)	-	-	-	-
जोड़	**11,117.87**	**3,062.16**	**-**	**3,320.52**	**6,746.08**

(ग) एच टी एम श्रेणी से प्रतिभूति की बिक्री एवं अंतरण

चालू वित्त वर्ष के दौरान, एचटीएम श्रेणी में / से बाहर निवेशों का कोई अंतरण नहीं हुआ

5 खरीदी / बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(क) आस्ति पुनर्संरचना के खातिर प्रतिभूतीकरण / पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गईं आस्तियाँ

(i) बिक्री का ब्यौरा

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i) खातों की संख्या	1	1
(ii) एस सी / आर सी को बेंचे गए खातों का (प्रावधान घटाकर) सकल मूल्य	0.56#	0
(iii) सकल प्रतिफल	3.72 (नकद-0.56)	15
(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंद्ध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	5.24	28.05
(v) निवल बही मूल्य के प्रति सकल लाभ / हानि	5.80	3.30

केवल नकदी घटक को ही विचार में लिया गया है

(ii) प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेशों के बही मूल्य का ब्यौरा

(₹ करोड़)

विवरण	प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेशों के बही मूल्य	
	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i) एआईएफआई द्वारा बेंची गयी अनर्जक आस्तियों की पृष्ठभूमि वाली	0.27	0.27
(ii) बैंकों / अन्य वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा बेंची गयी अनर्जक आस्तियों की पृष्ठभूमि	0.00	0.00
कुल	**0.27**	**0.27**

(ख) खरीदी गयी / बेंची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(i) खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

विवरण			वि व 2019-20	वि व 2018-19
1.	(क)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(ख)	सकल बकाया	शून्य	शून्य
2.	(क)	वर्ष के दौरान इन पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(ख)	सकल बकाया	शून्य	शून्य

(ii) बेची गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(₹ करोड़)

विवरण		वि व 2019-20	वि व 2018-19
1.	बेंचे गए खातों की संख्या	1	1
2.	सकल बकाया	6.77	76.44
3.	सकल प्राप्त प्रतिफल	3.72 (नकद-0.56)	15.00

6 परिचालनगत परिणाम

विवरण		वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i)	औसत कार्यशील निधि का ब्याज आय प्रतिशत (%)	6.47	6.94
(ii)	औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज आय (%)	0.63	0.32
(iii)	(प्रावधान पूर्व) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (%)	2.21	1.83
(iv)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कराधान प्रावधान के पूर्व) (%)	1.65	1.83
(v)	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	2.21	1.76

7 ऋण संकेन्द्रण जोखिम

(क) पूंजी बाजारगत जोखिम

(₹ करोड़)

विवरण		वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i)	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों में प्रत्यक्ष निवेश और ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों के कार्पस की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जो कि विशिष्ट रूप से कारपोरेट ऋण में निवेश न किया गया हो	459.43	488.27
(ii)	शेयरों / बांडों / ऋण पत्रों के एवज में अग्रिम अथवा व्यक्तिगत रूप से शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों में व्यक्तिगत रूप से किया गया निवेश।	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिमों जहां शेयरों, अथवा परिवर्तनीय बोंड्स अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल निधियों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	-	-
(iv)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जो कि संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों के जरिये प्रतिभूत हो यानी जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों की प्रतिभूति से अग्रिम आवरित नहीं है।	-	-
(v)	स्टाक ब्रोकरों और मार्केट मेकरों की और से स्टाक ब्रोकरों को प्रतिभूति सहित और प्रतिभूति रहित अग्रिम / गारंटियाँ जारी करना	-	-

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्त्तकों के अंशदान की प्रतिपूर्ति के लिए सीधा आधार पर अथवा ऋण पत्रों / बांडों शेयरों की प्रतिभूति के एवज में कार्पोरेट्स को मंजूर ऋण	-	-
(vii) अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह / जारी करने के लिए कंपनियों को ब्रिज ऋण देना	-	-
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल निधियों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी वादा	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टाक ब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
(x) वेंचर पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत) को सभी एक्सपोजर	1,541.26	1,596.22
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**2,000.69**	**2,084.49**

(ख) देश जोखिम का एक्सपोजर

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक का विदेश में कोई एक्सपोजर नहीं था

(ग) विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमायें - एआईएफआई द्वारा एकल उधारकर्ता / सामूहिक उधारकर्ता सीमा को बढ़ाया जाना

(i) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक के एक्सपोजर की संख्या और राशि (उधारकर्ता का नाम नहीं)

(₹ करोड़)

क्र. सं.	पैन संख्या	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कूट सं	उद्योग का नाम	क्षेत्र	प्रदत्त निधि राशि	गैर-निधि राशि	जोखिम, पूंजी निधियों के % में
	-	-	-	-	-	-	-	-

ii) पूंजी निधियों का प्रतिशत के रूप में ऋण एक्स्पोजर और कुल आस्तियों के सन्दर्भ में उसका प्रतिशत

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वि व 2019-20		वि व 2018-19	
		कुल आस्तियों के % में	पूंजी निधियों के % में	कुल आस्तियों के % में	पूंजी निधियों के % में
1	एकल बड़े उधारकर्ता	9.32	95.20	9.80	96.89
	बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋण दात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			
2	20 बड़े एकल उधारकर्ता	68.47	699.18	71.01	702.36
	20 बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋण दात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			

iii) कुल ऋण आस्तियों का पाँच बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत

(₹ करोड़)

उद्योग के स्वरूप का नाम	वि व 2019-20		वि व 2018-19	
	ऋण जोखिम-राशि	कुल ऋण आस्तियों के % में	ऋण जोखिम-राशि	कुल ऋण आस्तियों के % में
ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट	2,930.06	1.77	1,492.04	1.09
वाणिज्यिक वाहन	1,646.58	0.99	813.53	0.59
धातु उत्पाद एन.ई.सी.	865.67	0.52	496.71	0.36
ऑटो अनुषंगी	602.87	0.36	815.70	0.60
मशीनरी छोड़कर मेटल उत्पाद पार्ट्स	473.29	0.29	432.30	0.32

(iv) यथा 31 मार्च 2020 कुल अग्रिम राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अनुज्ञप्तियां, प्राधिकार आदि लिया गया है वह ₹15.11 करोड़ है और यथा 31 मार्च 2020 अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य शून्य है.

(v) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक को फैक्टरिंग का एक्सपोजर नहीं था।

(vi) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया।

(घ) उधारियों / ऋण व्यवस्थाओं, ऋण जोखिम-राशि एवं अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(i) उधारियों और ऋण व्यवस्थाओं का संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां	1,24,109.00	96,518.43
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां का उधारियों में प्रतिशत	76.99%	73.33%

(ii) ऋण जोखिम का संकेद्रण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	1,24,205.94	1,10,147.71
कुल अग्रिमों का बीस बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	74.91%	80.51%
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	1,28,411.56	1,10,673.09
कुल एक्सपोजर का बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों में एक्सपोजर का प्रतिशत	69.99%	74.82%

(iii) ऋण-जोखिम-राशि और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्र-वार संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

क्र.	क्षेत्र	वि व 2019-20			वि व 2018-19		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत
I.	औद्योगिक क्षेत्र	1,53,362.14	340.45	0.22%	1,26,257.02	860.68	0.68%
1	केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-
2	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-	-	-
3	राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-
4	राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	112.92	-	-	295.25	111.05	37.61%
5	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1,43,119.72	-	-	1,16,010.07	-	0.00%
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-
7	सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-
8	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	10,129.50	340.45	3.36%	9,951.70	749.63	7.53%
II.	अल्प वित्त क्षेत्र*	1,821.80	0.80	0.04%	1,178.73	7.23	0.61%
III.	अन्य*	10,619.83	699.59	6.59%	9,369.98	-	0.00%
	योग (I+II+III)	**1,65,803.77**	**1,040.84**	**0.63%**	**1,36,805.73**	**867.91**	**0.63%**

* गैरबैंकिंग वित्त कंपनियों को दिए गए अग्रिम भी शामिल हैं।

8 व्युत्पन्नियाँ

(क) वादा दर करार / ब्याज दर विनिमय

क्र.सं.	विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
i)	विनिमय करारों का अनुमानिक मूल्य	यूएसडी 40,310,000	यूएसडी 40,310,000
ii)	इस करार के तहत पक्षकार द्वारा देयता पूरी न कर पाने के कारण होने वाली हानियाँ	यूएसडी 1,709,172.73	यूएसडी 209,019
iii)	इस विनिमय में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक	लागू नहीं	लागू नहीं
iv)	इस विनिमय से होने वाले जोखिम ऋणों का संकेन्द्रण	यूएसडी 1,910,722.73	यूएसडी 6,193
v)	विनिमय बही का उचित मूल्य	यूएसडी 1,709,172.73	यूएसडी (19,056)

(ख) विनिमय बाजार में खरीदे-बेचे जाने वाले ब्याज दर व्युत्पन्नियाँ

क्र.सं.	विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
i)	वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
ii)	यथा 31 मार्च बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
iii)	बकाया और अत्यन्त प्रभावी नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) और “अत्यधिक प्रभावी” नहीं।	शून्य	शून्य
iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों का मार्केट मूल्य और (लिखत-वार) और” अत्यधिक प्रभावी” नहीं।	शून्य	शून्य

(ग) व्युत्पन्नों में सम्बद्ध जोखिम राशि का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(1) ब्याज दर तथा आस्ति एवं देयताओं में विसंगति से उत्पन्न विनिमय जोखिम की हेजिंग के लिए बैंक व्युत्पन्नियों का उपयोग करता है। बैंक द्वारा ली गयी सभी व्युत्पन्नियाँ हेजिंग के उद्देश्य से और ऐसी विदेशी मुद्रा के उधार के रूप में है जो एम टी एम न होकर केवल रूपांतरित हैं। बैंक व्युत्पन्नियों का व्यापार नहीं करता है।

(2) आंतरिक नियंत्रण संबंधी दिशा- निर्देश तथा लेखांकन नीतियां बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित की जाती है। व्युत्पन्नी संरचना को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के पश्चात ही अपनाया गया है। व्युत्पन्नों के सौदों संबंधी विवरणों की जानकारी आस्ति देयता प्रबंध समिति / बोर्ड को भी दी जाती है।

(3) बैंक ने व्युत्पन्नी सौदों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों को कम करने के लिए सिस्टम स्थापित किया है। बैंक व्युत्पन्न सौदे से उत्पन्न होने वाले लेन-देन का लेखांकन करने के लिए उपचित विधि का पालन करता है।

(ii) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वि व 2019-20		वि व 2018-19	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1	व्युत्पन्नियाँ (आनुमानिक मूल राशि)	6,467.78		7,875.32	
	(i) बचाव के लिए	6,467.78	-	7,875.32	-
	(ii) व्यापार के लिए	-	-	-	-
2	मार्केट स्थितियों के लिए चिह्नित [1]	645.81	-	134.09	-
	(i) आस्ति (+)	645.81	-	134.09	-
	(ii) देयता (-)	-	-	-	-
3	ऋण एक्सपोजर [2]	999.34	-	698.06	-
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव से होने वाला प्रभाव (100* पी वी 01)	131.06	-	143.04	-
	(i) बचाव व्युत्पन्नियों पर	131.06	-	143.04	-
	(ii) व्यापारिक व्युत्पन्नियों पर		-	-	-
5	वर्ष के दौरान परिलक्षित अधिकतम एवं न्यूनतम 100 पी वी 01				
	(i) बचाव पर	186.29/131.05	-	170.56/143.04	-
	(ii) व्यापार पर	-	-	-	-

9 एआईएफ़आई द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट का प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान जारी कम्फर्ट पत्रों का विवरण, आकलित वित्तीय प्रभाव और पहले के जारी किए गए कम्फर्ट पत्रों के आकलित संचयी वित्तीय देयताओं का विवरण निम्नवत है:

(₹ करोड़)

यथा 31 मार्च, 2019 को एलओसी विषयक बकाया		वर्ष के दौरान जारी एल ओ सी		वर्ष के दौरान उन्मोचित की गयी एलओसी		यथा 31 मार्च, 2020 को एलओसी विषयक बकाया	
एल ओ सी की संख्या	राशि	एल ओ सी की संख्या	राशि	एल ओ सी की संख्या	राशि	एल ओ सी की संख्या	राशि
1	0.94	-	-	1	0.94	-	-

10 आस्ति-देयता प्रबंध

(₹ करोड़)

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीना	3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमा	13	2,208	2,399	2,528	15,571	82,587	16	702	1,06,024
अग्रिम	5,624	9,086	20,454	18,947	39,569	64,403	3,826	762	1,62,671
निवेश	10,336	475	629	461	1,010	363	58	3,784	17,116
उधारियां	2,625	500	10,435	5,622	10,066	16,876	167	340	46,631
विदेशी मुद्रा आस्तियां	15	6	576	141	683	3,565	4,513	104	9,603
विदेशी मुद्रा देयताएं	7	8	606	174	801	2,954	3,147	2,059	9,756

11 आरक्षितियों से आहरित

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान आरक्षितियों में से आहरण द्वारा कोई कमी नहीं हुई है

12 व्यवसायगत अनुपात

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
औसत ईक्विटी पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)	16.00	16.15
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)	1.65	1.83
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़ में)	2.21	1.76

13 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटन

आरबीआई द्वारा बैंक पर पिछले वर्ष और इस वर्ष किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया गया है।

14 ग्राहकों की शिकायतें

	विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
i	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	10	2
ii	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	216	183
iii	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	223	175
iv	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	3	10

15 प्रायोजित किये गए तुलन पत्रेतर एस पी वी

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक का एस पी वी प्रायोजित कोई तुलनपत्रेतर आंकड़ा नहीं है

16 विशिष्ट लेखांकन- मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

(क) लेखांकन मानक 5- अवधि का निवल लाभ अथवा हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

अनुसूची XIII में आय - वि व 2019-20 के दौरान अन्य आय में पूर्व अवधि कि आय ₹372,25,52,439 शामिल है [पिछले वर्ष में ₹3,21,69,155] और अनुसूची XIV में वर्णित अन्य व्यय - वि व 2019-20 के परिचालन व्यय मे पूर्व अवधि के व्यय ₹1,66,93,694 [पिछले वर्ष का व्यय (₹19,33,197)] शामिल है।

(ख) लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश और लेखांकन मानक 17 खंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत अपेक्षित है, बैंक ने व्यवसाय खंड का प्रकटन प्राथमिक खंड के रूप में किया है। चूंकि बैंक भारत में परिचालनरत है अत: रिपोर्टिंग योग्य भौगोलिक खंड नहीं है। बैंक ने व्यवसाय खंड के अंतर्गत समग्र परिचालन (प्रत्यक्ष वित्त), समग्र परिचालन (पुनर्वित्त) और समग्र परिचालन (ट्रेजरी) - ये तीन रिपोर्टिंग खण्ड निर्धारित किए हैं। ये खंड उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और जोखिम स्वरूप, संगठनात्मक ढांचे तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था पर विचार के बाद निर्धारित किए हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू पद्धति के अनुसार बनाने के लिए पुनर्समूहित तथा वर्गीकृत किया गया है।

भाग क: व्यवसाय खण्ड

(₹ करोड़)

	व्यवसाय खंड	समग्र परिचालन (प्रत्यक्ष ऋण)		समग्र परिचालन (पुनर्वित्त)		ट्रेजरी		कुल	
	विवरण	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2020	वित्त 2019
1	**खंड राजस्व**	1,048	1,007	9,633	8,261	1,038	649	11,719	9,917
	असाधारण मदें							371	-
	योग							**12,090**	**9,917**
2	**खंड परिणाम**	165	191	2,832	2,101	(317)	359	2,680	2,651
	असाधारण मदें							371	-
	योग							**3,051**	**2,651**
	अविनिधानीय खर्चे							243	148
	परिचालन लाभ							2,808	2,503
	आयकर (पुनरांकन के बाद)							493	551
	निवल लाभ							2,315	1,952
3	**अन्य सूचनाएँ**								
	खंड आस्तियां	10,121	9,526	1,57,312	1,29,971	17,675	14,236	1,85,108	1,53,733
	अविनिधानीय आस्तियां							2,431	2,128
	कुल आस्तियां							1,87,539	1,55,861
	खण्ड देयताएं	7,281	6,726	1,45,082	1,18,901	15,092	12,016	1,67,455	1,37,643
	अविनिधानीय देयताएं							1,377	1,655
	योग							**1,68,832**	**1,39,298**
	पूंजी / आरक्षितियाँ	2,848	2,812	12,078	10,960	3,781	2,791	18,707	16,563
	योग							**18,707**	**16,563**
	कुल देयताएं							**1,87,539**	**1,55,861**

भाग ख: भौगोलिक खंड - शून्य

(ग) लेखांकन मानक 18 - सबंधित पक्षकार प्रकटन

(₹ करोड़)

मदें / संबंधित पक्ष	मूल (स्वामित्व के अनुसार अथवा नियन्त्रण)	अनुषंगी	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंध कार्मिक@	मुख्य प्रबंधक के संबंधी	योग
उधारियां #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
जमा #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	187.29	13.92	0.27	-	201.48
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	187.29	13.92	1.00	-	202.21
जमा स्थान #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-

(₹ करोड़)

मदें / संबंधित पक्ष	मूल (स्वामित्व के अनुसार अथवा नियन्त्रण)	अनुषंगी	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंध कार्मिक@	मुख्य प्रबंधक के संबंधी	योग
अग्रिम #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
निवेश #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	1,751.50	32.35	-	-	1,783.85
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	1,751.50	32.35	-	-	1,783.85
अनिधिकृत वचनबद्धताएं #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
उपयोग की गयी पट्टा व्यवस्था	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त पट्टा व्यवस्था #	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की खरीद	-	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों बिक्री	-	-	-	-	-	-
भुगतान किया गया ब्याज	-	10.16	0.52	0.08	-	10.75
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-	-
सेवा देना*	-	4.26	2.88	-	-	7.14
सेवाओं की प्राप्ति*	-	0.08	0.03	-	-	0.11
प्रबंधन संविदाएं*	-	-	-	1.13	-	1.13

@ निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक
# वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का प्रकट किया जाना है।
* करार गत सेवाएं आदि किन्तु रेमिटेंस सुविधाएँ, लाकर सुविधाएँ इत्यादि जैसी सेवाएं नहीं हैं
** मुख्य प्रबंध कार्मिकों के पारिश्रमिक

17 अपरिशोधित पेंशन एवं उपदान देयताएँ

पेंशन एवं उपदान देयतओं को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रायोजना इकाई जमा आधार पर किया जाता है। बीमांकिक लाभ / हानि को तुरंत लाभ हानि लेखे में लिया गया है, उनका परिशोधन नहीं किया गया है।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते **छाजेड़ व दोषी**
सनदी लेखाकर
फर्म का पंजीकरण सं. 101794 डब्ल्यू

राजेन्द्र अग्रवाल
महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उदभाग)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

किरण के. दफ्तरी
साझीदार
सदस्य सं. 010279

जी गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

31 मार्च, 2019		विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2020
	1.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
25,03,48,13,341		लाभ-हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		28,07,80,28,951
		निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
18,26,95,963		मूल्यह्रास	18,27,17,393	
(3,41,44,22,655)		निवेशों में निवल ह्रास के लिए प्रावधान	7,03,89,36,030	
3,75,59,67,739		किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद)	3,39,32,25,949	
(2,50,74,34,846)		निवेश बिक्री से लाभ (निवल)	(3,98,46,25,620)	
(1,58,59,255)		स्थिर आस्तियों की बिक्री से लाभ	(44,18,584)	
(39,74,12,153)		निवेशों पर प्राप्त लाभांश	(48,48,52,951)	6,14,09,82,217
22,63,83,48,134		**परिचालनों से उपार्जित नकदी**		**34,21,90,11,168**
		(परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पहले)		
		निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन:		
(19,82,00,32,174)		चालू आस्तियाँ	9,07,18,25,569	
6,03,25,70,598		चालू देयताएँ	(19,77,01,32,561)	
3,92,85,72,063		विनिमय बिल	3,96,15,78,214	
(4,12,47,82,85,157)		ऋण एवं अग्रिम	(2,93,93,81,01,120)	
1,30,90,67,95,800		बांडों व ऋणपत्रों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियाँ	(39,96,40,70,330)	
3,15,47,86,35,474		प्राप्त जमा	3,40,49,16,89,558	
24,04,82,56,604				**(14,72,10,670)**
46,68,66,04,738				34,07,18,00,498
(6,45,75,03,905)		कर अदायगी	(5,32,52,53,205)	(5,32,52,53,205)
40,22,91,00,833		**परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह**		**28,74,65,47,293**
	2.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
(61,25,56,356)		स्थिर आस्तियों का निवल (क्रय) / विक्रय	(19,13,21,393)	
(4,22,87,50,013)		निवेशों का निवल (क्रय) / विक्रय / शोधन	2,63,38,96,495	
39,74,12,153		निवेशों पर प्राप्त लाभांश	48,48,52,951	
(4,44,38,94,216)		**निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**		**2,92,74,28,053**
	3.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
-		शेयर पूंजी व शेयर प्रीमियम के निर्गम से आय	-	
(1,32,79,39,690)		ईक्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर	(1,65,12,44,935)	
(1,32,79,39,690)		**वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**		**(1,65,12,44,935)**
34,45,72,66,927	4.	**नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी/(कमी)**		**30,02,27,30,411**
16,45,80,65,958	5.	**अवधि के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**50,91,53,32,885**
50,91,53,32,885	6.	**अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**80,93,80,63,296**

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

31 मार्च, 2019	विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2020
	7. अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी-तुल्य राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं		
6,09,656	हाथ में नकदी		6,16,569
63,37,40,702	बैंक में चालू खाते में अतिशेष		36,21,00,890
5,00,00,00,000	म्यूचुअल फ़ंड		34,10,00,00,001
45,28,09,82,527	जमाराशियाँ		46,47,53,45,836

टिप्पणी: नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ए एस - 3 (संशोधित) 'नकदी प्रवाह विवरण' में विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ XV

लेखा टिप्पणियाँ XVI

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते **छाजेड़ व दोषी**
सनदी लेखाकर
फर्म का पंजीकरण सं. 101794 डब्ल्यू

राजेन्द्र अग्रवाल
महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उदभाग)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

किरण के. दफ्तरी
साझीदार
सदस्य सं. 010279

जी गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

परिशिष्ट-II

सिडबी के लाभ हानि लेखा और नकदीप्रवाह विवरणी के साथ समेकित तुलन पत्र

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

शेयरधारकगण
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

1. मंतव्य

हमने "भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक" (बैंक), इसकी सहायक संस्थाओं (बैंक, इसकी सहायक संस्थाओं के साथ मिलकर "समूह" कहलाता है) और सहयोगी संस्थाओं के 31 मार्च 2020 तक की संलग्न समेकित वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा की है। इसमें 31 मार्च 2020 तक का तुलनपत्र तथा उक्त तारीख को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ-हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश ("समेकित वित्तीय विवरण") शामिल है।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण समूह की 31 मार्च 2020 तक की समेकित स्थिति, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ व समेकित नकदी-प्रवाह की सत्य और उचित स्थिति दर्शाते हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप हैं।

2. मंतव्य का आधार

हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक के अनुसार संपन्न की। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के संबंध में लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व खण्ड के अंतर्गत भी किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता संहिता के अनुसार उक्त समूह से स्वतंत्र हैं। हमारी धारणा है कि हमने लेखा- परीक्षा के लिए जो प्रमाण लिया है वह हमारे मंतव्य का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

3. महत्त्वपूर्ण विषय

i. हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची XVI के नोट 2 पर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें प्रबंधन की दृष्टि से वैश्विक महामारी का प्रभाव भविष्य के परिवर्धनों पर निर्भर करेगा और बैंक के वित्तीय नियमों के अनुमोदन की तारीख को किए गए अनुमानों से अलग हो सकता है। कोविड -19 वैश्विक महामारी के कारण उधारकर्ताओं को राहत देने वाले 27 मार्च, 2020 के भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र के अनुसार, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार पात्र उधारकर्ताओं को देय ऋण किश्तों / ब्याज में अधिस्थगन अवधि देने की पेशकश की है। तदनुसार, बैंक ने दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार पाँच प्रतिशत की सीमा तक मार्च, 2020 के लिए ₹13.99 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और शेष पाँच प्रतिशत उपरोक्त परिपत्र के अनुसार अगली तिमाही के लिए आस्थगित किया गया है।

ii. हम नोट 3.1 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां वर्ष के दौरान, बैंक ने मानक आस्तियों पर किए गए संपूर्ण प्रावधान पर अपने गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों का पुन: मूल्यांकन किया है। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹96,34,90,214 के आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता दी गई है।

iii. हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क) समेकित वित्तीय विवरणों के अनुबंध I की टिप्पणी सं. 4 ख, जो 5 सहयोगी संगठनों का समेकन न किए जाने से संबंधित है और जिसमें प्रबंधन का कथन है कि निवेश में दर्शायी गयी राशियाँ वसूली योग्य नहीं हैं और उनके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

ख) समेकित वित्तीय विवरणों के अनुबंध I की टिप्पणी सं. 4ग और 4 घ जो 5 सहयोगी संगठनों का समेकन न किए जाने से संबंधित है, क्योंकि प्रबंधन के मतानुसार ये महत्त्वपूर्ण घटक नहीं हैं, इसलिए इनके समेकन पर विचार नहीं किया गया।

इन मामलों के संबंध में हमारे मंतव्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

4. लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय

लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय वे विषय हैं जो हमारी प्रोफेशनल राय में चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण थे। समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र रूप से लेखा-परीक्षा तथा उन पर हमारी राय कायम करने के परिप्रेक्ष्य में इन विषयों का समाधान प्रस्तुत किया गया और इन विषयों पर हम अलग से कोई राय नहीं देते।

लेखा-परीक्षा के जो महत्त्वपूर्ण विषय केवल बैंक पर लागू हैं, वे निम्नवत:

क्रमांक	लेखा-परीक्षा के मुख्य विषय	लेखा-परीक्षा के मुख्य विषय पर प्रतिक्रिया
1.	**आकस्मिक देयता और आयकर के लिए प्रावधान:**	
	प्रावधानों का निर्धारण और आकलन करने के मामले में समय अथवा देयता के निपटान के लिए भविष्य में किए जानेवाले व्यय की राशि के बारे में अनिश्चितता है। आकस्मिक देयताओं के मामले में प्रकट की जानेवाली राशि के निर्धारण, अनुमान और प्राक्कलन किए गये हैं। इसके परिणाम-स्वरूप प्रावधानों के निर्धारण और आकलन तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन के लिए बड़े पैमाने पर निर्णय किया जाना अपेक्षित है। बैंक ने आयकर के प्रति ₹5,71,61,67,906/- की आकस्मिक देयता की सूचना दी है, जो बैंक के प्रति दावों से संबंधित है और जिसे वित्तीय विवरणों में ऋण नहीं बताया गया है।	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viiए) (सी) के अंतर्गत बट्टे खाते डाले गये तथा दावा किए गये अशोध्य ऋणों के संबंध में आयकर विभाग ने दावे को यह कहते हुए नकार दिया है कि बैंक ने दोहरा कर-लाभ लिया है, क्योंकि संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करते समय बैंक को यह लाभ पहले ही दिया जा चुका है। हमने पूर्ववर्ती लंबित आदेशों की जाँच की है। कतिपय वर्षों के दौरान, आय-कर अपीलीय अधिकरण ने बैंक के दावे को स्वीकार किया है, जिसे विभाग ने उच्चतर प्राधिकरणों में चुनौती दी है। साथ ही, अपने दावे की व्यवहार्यता के अवसरों की पुष्टि के लिए बैंक ने बाहरी कर-विशेषज्ञों की राय भी ली है। उनकी राय के आधार पर, उक्त दावे को स्वीकार्य मानते हुए, कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतः धारा 36(1) (viiए) (सी) के अंतर्गत माँगी गयी बकाया राशि नकारे गये अन्य दावों / मामलों में, जहाँ बैंक के विरुद्ध निर्धारण किया गया है और अपीलें लंबित हैं, वहाँ उक्त राशि को आकस्मिक देयता में शामिल किया गया है। अतः कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।
2.	**सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य नियंत्रण:**	
	बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का एक उल्लेखनीय हिस्सा काफी हद तक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों पर निर्भर है, जिसमें सांख्यिकी का संग्रहण, भण्डारण और सूचना प्राप्त करने का कार्य स्वचालित प्रक्रियाओं तथा नियंत्रणों के ज़रिए होता है। इन प्रक्रियाओं और नियंत्रणों का एक बुनियादी घटक उपयुक्त उपयोगकर्ता की पहुँच सुनिश्चित करना है। परिवर्तन प्रबंधन प्रोटोकॉल विद्यमान है और उसका पालन किया जा रहा है। ये प्रोटोकॉल महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों तक पहुँचने और तत्संबंधी डाटा में परिवर्तन का कार्य अधिकृत रूप से और उपयुक्त तरीके से संपन्न किया जाता है।	हमने अपनी लेखा-परीक्षा में उन सूचना प्रौद्योगिकी-प्रणालियों तथा नियंत्रणों पर ध्यान केन्द्रित किया, जो बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। चिह्नित ऐप्लीकेशन प्रणालियों की समुचित अंतराल पर ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेखा-परीक्षा करवाने की व्यवस्था बैंक में की गयी है। बैंक के अधिकारी शाखाओं में समुचित अंतराल पर सूचना प्रणालियों की लेखा-परीक्षा संपन्न करते हैं। हमने बाहरी परामर्शदाताओं द्वारा की गयी ऐप्लीकेशन प्रणाली-लेखा-परीक्षा तथा शाखाओं में की गयी सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षाओं पर भरोसा किया है। बाहरी परामर्शदाताओं की रिपोर्टों तथा शाखाओं में संपन्न सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की हमने नमूना आधार पर समीक्षा की है। वे उपयुक्त पायी गयीं। जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ी, डाटा की सत्यता तथा उसकी विश्वसनीयता व रिपोर्टिंग के सत्यापन के लिए हमने अपेक्षाकृत अधिक गहन परीक्षण किया।

5. अन्य सूचना

बैंक का निदेशक-मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य, निदेशकों की रिपोर्ट, समग्र व्यवसाय-परिचालन, प्रबंधन एवं नैगम अभिशासन समाहित है, किन्तु उसमें समेकित वित्तीय विवरण तथा तत्संबंधी हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मंतव्य में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उसपर किसी प्रकार का आश्वासन / निष्कर्ष नहीं व्यक्त करते। वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा-परीक्षा के संबंध में अन्य सूचना को पढ़ना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना तथ्यात्मक

रूप से समेकित वित्तीय विवरण के साथ असंगतिपूर्ण है अथवा क्या लेखा-परीक्षा से प्राप्त अथवा नहीं प्राप्त हुई हमारी जानकारी तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण रूप से व्यक्त की गयी लगती है।

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य, निदेशकों की रिपोर्ट, समग्र व्यवसाय-परिचालन, प्रबंधन एवं नैगम अभिशासन संबंधी सामग्री अभी तैयार की जा रही है। जब हम उसे पढ़ेंगे और यदि हमें लगेगा कि उसमें तथ्यात्मक दृष्टि से कोई त्रुटिपूर्ण कथन है तो हम अभिशासन-प्रभारियों को मामले से अवगत कराएँगे।

6. अन्य विषय

हमने उन 2 (दो) सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में ₹51,29,38,503 की कुल आस्तियाँ, ₹12,97,87,262 का कुल राजस्व तथा ₹1,06,13,612 का नकारात्मक निवल नकदी प्रवाह दर्शाया गया है और जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में लिया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में निवल हानि में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में 2(दो) सहयोगी संस्थाओं के समूह का ₹20,46,639 का हिस्सा शामिल है। उनके वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा हमारे लेखा-परीक्षकों ने नहीं की है। इन वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचना की लेखा-परीक्षा अन्य लेखा-परीक्षकों ने की है, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2 (दो) सहायक संस्थाओं और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए और 2 (दो) सहयोगी संस्थाओं से संबंधित रिपोर्टें प्रबन्धन ने हमें उपलब्ध कराई हैं। जहाँ तक समेकित वित्तीय विवरण में इन सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं से संबंधित राशि एवं प्रकटनों का संबंध है, हमारा मंतव्य और हमारी रिपोर्ट पूर्णतया अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

हमने उस 1(एक) सहायक संस्था के वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा नहीं की, जिसकी 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में कुल आस्तियाँ ₹1,96,99,47,75,631 कुल राजस्व ₹11,21,68,02,744 तथा निवल नकदी प्रवाह ₹20,98,07,08,556 दर्शाया गया है और जिसे समेकित विवरण में लिया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में निवल हानि में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में ₹2,28,52,353 की निवल हानि का हिस्सा भी शामिल है। इसे समेकित वित्तीय विवरण में लिया गया है और यह 5 (पाँच) सहयोगी संस्था से संबंधित है, जिसके वित्तीय विवरणों की हमने लेखा-परीक्षा नहीं की है। इन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की गयी है और इन्हें प्रबंधन ने हमें दिया है। जहाँ तक समेकित वित्तीय विवरण में इन सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं से संबंधित राशि एवं प्रकटनों का संबंध है, हमारा मंतव्य पूर्णतया ऐसे अनअंकेक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। यदि उपर्युक्त सहयोगी संस्थाओं की लेखा-परीक्षा हुई होती तो उसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लाभ में समूह के हिस्से पर क्या प्रभाव पडा होता, इस पर टिप्पणी करने में हम असमर्थ हैं।

अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और उनकी रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा अधिप्रमाणित वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचना पर हमारी निर्भरता की दृष्टि से समेकित वित्तीय विवरणों पर इन मामलों में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

7. प्रबंधन तथा समेकित वित्तीय विवरणों के अभिशासन के प्रभारियों का उत्तरदायित्व

इन समेकित वित्तीय विवरणों को बनाने और प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबन्धन का है। ये विवरण अलग-अलग वित्तीय विवरणों तथा ऐसे घटकों से संबंधित अन्य वित्तीय सूचना पर आधारित हैं जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा समूह के नकदी प्रवाह की सच्ची और उचित स्थिति दर्शाते हैं, और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी व संबंधित लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं। कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने, समूह की आस्तियों की सुरक्षा तथा कपट व अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन व प्रयोग, औचित्यपूर्ण तथा विवेकसम्मत निर्णय व प्राक्कलन करने, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता सुनिश्चित करने की दृष्टि से परिचालन वाले ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के निर्धारण, कार्यान्वयन व उन्हें कायम रखने के लिए उत्तरदायी हैं, जिन्हें बैंक के प्रबंधन ने उपर्युक्त रूप में समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किया हो, और जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनके प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक हों, सच्ची तथा उचित स्थिति दर्शाते हों और कपटपूर्ण अथवा त्रुटिवश हुए तथ्यात्मक मिथ्याकथन से रहित हों।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में बैंक तथा समूह में शामिल कंपनियों और इसके सहयोगी संगठनों के संबंधित निदेशक-मंडल लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में समूह के जारी रहने की क्षमता के आकलन, यथास्थिति लाभप्रद प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटन तथा जब तक प्रबंधन समूह के समापन अथवा परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता अथवा ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता, तब तक लाभप्रद प्रतिष्ठान का आधार प्रयोग करते रहने के लिए उत्तरदायी हैं।

बैंक व समूह में शामिल कंपनियों तथा सहयोगी संगठनों के संबंधित निदेशक-मंडल समूह की रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

8. वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के संबंध में लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण के कपट से अथवा त्रुटिवश होने वाले तथ्यात्मक मिथ्या-कथन से रहित होने का आश्वासन प्राप्त करना, और एक ऐसी लेखा-परीक्षक-रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। समुचित आश्वासन एक उच्च-स्तरीय आश्वासन होता है, किन्तु वह ऐसी गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा-मानक के अनुरूप की गयी लेखा-परीक्षा में सदा ही किसी तथ्यात्मक मिथ्या कथन की मौजूदगी का पता चल जाएगा। मिथ्याकथन कपट अथवा त्रुटिवश हो सकते हैं और उन्हें एकल रूप से अथवा सम्मिलित रूप में तब तथ्यात्मक माना जाता है जब इन समेकित वित्तीय विवरणों के

आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों के उन मिथ्याकथनों से पर्याप्त रूप में प्रभावित होने की संभावना हो।

लेखापरीक्षा-मानक के अनुरूप लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में हम समूची लेखापरीक्षा-प्रक्रिया के दौरान पेशेवराना विवेक का उपयोग करते हैं और पेशेवराना सावधानी बनाए रखते हैं। साथ ही, हम:

- कपटपूर्वक अथवा त्रुटिवश वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान व आकलन करते हैं, उक्त जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करके उन्हें संपन्न करते हैं और लेखापरीक्षा का ऐसा प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मंतव्य का आधार बनने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हो। किसी कपट के फलस्वरूप तथ्यात्मक मिथ्याकथन के पता न चलने का जोखिम त्रुटिवश हुए मिथ्याकथन के जोखिम की तुलना में बड़ा होता है, क्योंकि कपट में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, मिथ्या प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी का हाथ हो सकता है।

- आंतरिक नियंत्रण की जानकारी हासिल करते हैं, जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो, ताकि लेखापरीक्षा की ऐसी प्रक्रिया तैयार की जा सके जो उक्त परिस्थिति के लिए उपयुक्त हो।

- उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए तत्संबंधी प्रकटनों का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए लाभप्रद प्रतिष्ठान-आधार के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा-प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं अथवा स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है जिसके फलस्वरूप लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमता पर कोई उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न होता हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हम वित्तीय विवरणों में तत्संबंधी प्रकटनों अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपने मंतव्य में संशोधन की ओर ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गये लेखापरीक्षा-प्रमाणों पर आधारित हैं। किन्तु, भविष्य की घटनाओं अथवा स्थितियों के कारण लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में समूह का जारी रहना बन्द हो सकता है।

- वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करते हैं। इसमें प्रकटन और यह देखना भी शामिल है कि वित्तीय विवरण अंतर्निहित व घटनाओं को इस रूप में दर्शाए, जिससे उचित प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

हम अभिशासन-प्रभारियों के साथ अन्य विषयों के अलावा लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों व आंतरिक नियंत्रण की ऐसी उल्लेखनीय कमियों के बारे में बातचीत करते हैं जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित किया हो।

अभिशासन-प्रभारियों को हम वह विवरण भी प्रदान करते हैं जिसे हमने निष्पक्षता के संबंध में संगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया है। साथ ही, हम उन्हें अपने उन संबंधों व अन्य विषयों की सूचना भी देते हैं जिससे हमारी निष्पक्षता और जहाँ लागू हो, वहाँ तत्संबंधी सुरक्षा-उपायों पर समुचित प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

9. अन्य विधिक एवं विनियामकीय अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

हम सूचित करते हैं किः

i. बैंक के प्रबन्धन ने समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन मानक (एएस) 21, भारतीय सनदी लेखाकार संसथान द्वारा जारी “समेकित वित्तीय विवरण”, लेखांकन मानक (एएस) 23, “सहयोगी संस्थाओं में निवेश का समेकित वित्तीय विवरण में लेखांकन” के अनुरूप तथा बैंक, इसकी सहायक व सहयोगी संस्थाओं के पृथक वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किये हैं।

ii. हमने वह समस्त सूचना व स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

iii. हमारी राय में, जहाँ तक हमने उक्त बहियों तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की जाँच की है, उससे प्रकट होता है कि उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए विधितः उपयुक्त बही-खाते रखे गये हैं।

iv. इस रिपोर्ट में जिस समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ-हानि खाते तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण का उपयोग किया गया है, वे समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से रखी गयी लेखा-बहियों के अनुरूप हैं।

v. हमारे मतानुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन हुआ है।

कृते छाजेड एंड दोषी
सनदी लेखाकार
[फर्म का पंजीकरण सं. 101794डब्ल्यू]

किरण के दफ्तरी
साझीदार
सदस्य सं. 010279
यूडीआईएन-20010279AAAAAP9378

स्थान: मुंबई
दिनांक: 15 मई, 2020

समेकित तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2020

(राशि ₹ में)

		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
पूँजी एवं देयताएँ	**अनुसूचियां**		
पूँजी	I	5,31,92,20,310	5,31,92,20,310
आरक्षितियाँ, अधिशेष और निधियां	II	1,90,99,72,09,992	1,65,57,54,95,457
जमा	III	12,28,46,64,39,231	8,69,22,47,49,673
उधार	IV	5,55,26,26,04,342	5,96,99,79,07,872
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	V	73,90,24,11,267	77,16,91,50,528
आस्थगित कर देयता		-	25,71,28,714
कुल		**20,53,94,78,85,142**	**17,14,54,36,52,554**
आस्तियां			
नकदी एवं बैंक अतिशेष	VI	1,67,48,39,13,036	1,02,21,13,95,206
निवेश	VII	94,31,56,18,297	76,35,87,98,386
ऋण एवं अग्रिम	VIII	17,45,11,06,62,486	14,80,77,29,95,380
स्थिर आस्तियां	IX	2,87,28,92,360	2,86,08,41,637
अन्य आस्तियां	X	44,16,47,98,963	52,33,96,21,945
कुल		**20,53,94,78,85,142**	**17,14,54,36,52,554**
आकस्मिक देयताएं	XI	76,13,98,91,761	93,65,32,75,072

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (अनुसूची XV) तथा लेखा-टिप्पणियाँ (अनुबंध I)
उक्त अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते **छाजेड़ व दोषी**
सनदी लेखाकर
फर्म का पंजीकरण सं. 101794डब्ल्यू

राजेन्द्र अग्रवाल
महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उदभाग)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

किरण के. दफ्तरी
साझीदार
सदस्य सं. 010279

जी गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

समेकित लाभ-हानि खाता

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
आय	**अनुसूचियाँ**		
ब्याज एवं बट्टा	XII	1,21,19,65,15,276	1,02,65,97,31,674
अन्य आय	XIII	10,79,07,90,942	4,88,04,64,863
योग		**1,31,98,73,06,218**	**1,07,54,01,96,537**
व्यय			
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार		83,70,61,45,787	74,16,16,92,565
परिचालन व्यय	XIV	6,51,78,02,426	5,22,29,08,970
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		10,13,16,71,331	2,88,16,40,963
योग		**1,00,35,56,19,544**	**82,26,62,42,498**
कर-पूर्व लाभ		**31,63,16,86,674**	**25,27,39,54,039**
आयकर के लिए प्रावधान		6,25,50,50,250	7,23,63,53,979
आस्थगित कर-समायोजन [(आस्ति) / देयता]		(9,68,48,721)	(1,55,60,01,189)
सहयोगी संस्थाओं में अर्जन / (हानि) का हिस्सा		2,48,98,992	7,52,668
कर-पश्चात लाभ		**25,44,85,86,153**	**19,59,28,48,581**
अग्रानीत लाभ		1,04,83,25,536	1,01,96,45,697
कुल लाभ / (हानि)		**26,49,69,11,689**	**20,61,24,94,278**
विनियोजन			
सामान्य आरक्षिति में अंतरण		23,60,00,00,000	16,64,35,00,000
आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति में अंतरण		55,00,00,000	70,00,00,000
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षिति का अंतरण		46,79,71,244	5,64,46,957
अन्य			
क) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण		33,59,018	44,22,00,000
स्टाफ कल्याण निधि में अंतरण		3,00,00,000	2,00,00,000
विकास निधि		-	-
शेयरों पर लाभांश		-	1,36,96,99,230
लाभांश पर कर		99,74,273	33,23,22,555
अग्रनीत लाभ-हानि खाते में अधिशेष		1,83,56,07,154	1,04,83,25,536
योग		**26,49,69,11,689**	**20,61,24,94,278**
प्रति शेयर मूल / विलयित अर्जन		47.84	36.83

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा लेखा-टिप्पणियाँ (अनुसूची XV) और लेखों पर टिप्पणियाँ (अनुलग्नक I) उक्त अनुसूचियां लाभ-हानि लेखे का अभिन्न अंग हैं

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते **छाजेड़ व दोषी**
सनदी लेखाकर
फर्म का पंजीकरण सं. 101794डब्ल्यू

राजेन्द्र अग्रवाल
महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उदभाग)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

किरण के. दफ्तरी
साझीदार
सदस्य सं. 010279

जी गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

पूंजी एवं देयताएँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची I: पूंजी	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
(क) प्राधिकृत पूंजी		
- ईक्विटी शेयर पूंजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से - 75,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	7,50,00,00,000	7,50,00,00,000
- अधिमान शेयर पूंजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से - 25,00,00,000 शोध्य अधिमान शेयर)	2,50,00,00,000	2,50,00,00,000
(ख) जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी		
- ईक्विटी शेयर पूंजी (₹10/- प्रति शेयर की दर से 53,19,22,031 ईक्विटी शेयर)	5,31,92,20,310	5,31,92,20,310
- अधिमान शेयर पूंजी	-	-
कुल	**5,31,92,20,310**	**5,31,92,20,310**

(राशि ₹ में)

अनुसूची II: आरक्षितियां, अधिशेष और निधियाँ	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क) आरक्षितियां		
i) सामान्य आरक्षितियां		
- अथ शेष	1,27,39,01,55,390	1,10,47,31,22,302
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	23,60,45,72,817	16,91,70,33,088
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	**1,50,99,47,28,207**	**1,27,39,01,55,390**
ii) शेयर प्रीमियम		
- अथ शेष	16,68,07,79,690	16,68,07,79,690
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	**16,68,07,79,690**	**16,68,07,79,690**
iii) विशेष आरक्षितियां		
क) निवेश आरक्षिति		
- अथ शेष	-	-
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	**-**	**-**
ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार निर्मित एवं सुरक्षित विशेष आरक्षितियां		
- अथ शेष	15,67,00,00,000	14,97,00,00,000
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	55,00,00,000	70,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	**16,22,00,00,000**	**15,67,00,00,000**
ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सृजित सांविधिक आरक्षिति		
- अथ शेष	72,04,28,337	66,39,81,380
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	46,79,71,244	5,64,46,957
- वर्ष के दौरान उपयोग		
- अंतिम शेष	**1,18,83,99,581**	**72,04,28,337**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची II: आरक्षितियां, अधिशेष और निधियाँ	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
घ) अन्य आरक्षितियाँ		
i) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति		
- अथ शेष	1,14,59,86,025	70,37,86,025
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	33,59,018	44,22,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग		-
- अंतिम शेष	**1,14,93,45,043**	**1,14,59,86,025**
ख) लाभ-हानि खाते में अधिशेष	**1,83,56,07,154**	**1,04,83,25,536**
ग) निधियाँ		
क) राष्ट्रीय ईक्विटी निधि		
- अथ शेष	2,65,23,89,862	2,56,95,54,646
- वर्ष के दौरान परिवर्धन/पुनरांकन	37,52,970	8,28,35,216
- वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
- अंतिम शेष	**2,65,61,42,832**	**2,65,23,89,862**
ख) स्टाफ कल्याण निधि		
- अथ शेष	24,74,30,617	24,92,32,557
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,00,00,000	2,00,00,000
- वर्ष के दौरान उपयोग	2,52,23,132	2,18,01,940
- अंतिम शेष	**25,22,07,485**	**24,74,30,617**
ग) अन्य	2,00,00,000	2,00,00,000
योग	**1,90,99,72,09,992**	**1,65,57,54,95,457**

(Amount in ₹)

अनुसूची III: जमा	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क) सावधि जमा	**31,77,53,39,231**	**64,86,00,49,673**
ख) बैंको से		
क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुनर्वित्त निधि के अंतर्गत	9,39,05,30,50,000	5,80,00,00,00,000
ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जोखिम पूंजी निधि के अंतर्गत	10,00,00,00,000	15,00,00,00,000
ग) अन्य-विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों से	-	-
घ) एमएसएमई भारत नवाकांक्षा निधि के अंतर्गत	7,02,35,25,000	9,36,47,00,000
ञ) एमएसएमई क्षेत्र की उद्यम पूंजी निधि 2014-15 के अंतर्गत	71,86,45,25,000	50,00,00,00,000
च) प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित अंतराल के अंतर्गत	1,68,75,00,00,000	1,50,00,00,00,000
उप-योग (ख)	**11,96,69,11,00,000**	**8,04,36,47,00,000**
कुल	**12,28,46,64,39,231**	**8,69,22,47,49,673**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची IV: उधारियां	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
I) भारत में उधारियां		
1. भारतीय रिजर्व बैंक से	-	-
2. भारत सरकार से	21,07,48,45,249	21,46,93,19,323
(भारत सरकार द्वारा अभिदत्त बॉण्ड सहित)		
3. बॉण्ड एवं डिबैंचर		
	1,75,62,50,00,000	1,44,95,50,00,000
4. अन्य स्रोतों से		
- वाणिज्यिक पत्र	49,50,00,00,000	47,50,00,00,000
- जमा प्रमाण पत्र	1,97,12,87,66,800	1,51,55,00,00,000
- बैंकों से सावधि ऋण	14,36,35,43,399	1,24,46,56,06,275
- सावधि मुद्रा उधारियां	-	-
- अन्य	4,74,98,02,338	14,99,20,398
उप-योग (I)	**4,62,44,19,57,786**	**4,90,08,98,45,996**
II) भारत से बाहर उधारियां		
(क) केएफडब्ल्यू, जर्मनी	11,60,28,09,154	14,44,29,19,606
(ख) जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका)	34,07,23,44,393	36,80,54,19,487
(ग) आईएफएडी, रोम	1,15,34,15,466	1,12,48,25,395
(च) विश्व बैंक	43,46,01,15,739	51,47,72,81,791
(छ) अन्य	2,53,19,61,804	3,05,76,15,597
उप-योग (II)	**92,82,06,46,556**	**1,06,90,80,61,876**
योग (I&II)	**5,55,26,26,04,342**	**5,96,99,79,07,872**

(राशि ₹ में)

अनुसूची V: अन्य देयताएं व प्रावधान	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
उपचित ब्याज	28,57,11,85,566	29,73,55,86,890
सिडबी कर्मचारी भविष्य निधि के लिए प्रावधान	3,09,97,41,738	2,80,17,62,288
सिडबी पेंशन निधि के लिए प्रावधान	62,60,20,000	45,55,68,252
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	6,27,63,000	11,18,93,681
चिकित्सा सहायता निधि के लिए प्रावधान	21,30,15,000	18,00,58,808
कर्मचारियों के हित के लिए प्रावधान	1,66,82,59,449	1,09,09,74,143
अन्य (प्रावधान सहित)	31,21,32,36,819	33,62,50,53,519
विदेशी मुद्रा दर उतार-चढ़ाव हेतु प्रावधान	1,53,73,62,766	1,53,73,62,766
मानक आस्तियों के लिए किए गए आकस्मिक प्रावधान	6,91,08,26,929	5,97,96,45,246
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	-	1,65,12,44,935
योग	**73,90,24,11,267**	**77,16,91,50,528**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

आस्तियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची VI: नकदी और बैंक अतिशेष	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1. हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	6,30,354	6,14,123
2. अन्य बैंकों में अतिशेष		
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	31,51,18,718	68,23,37,125
ii) अन्य निक्षेप खातों में	1,63,12,09,26,795	95,33,85,30,715
(ख) भारत से बाहर		
i) चालू खातों में	5,19,09,337	16,18,137
ii) अन्य निक्षेप खातों में	3,99,53,27,832	6,18,82,95,106
योग	**1,67,48,39,13,036**	**1,02,21,13,95,206**

(राशि ₹ में)

अनुसूची VII: निवेश [प्रावधानों को घटाकर]	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क) राजकोषीय परिचालन		
1. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	4,91,62,54,874	4,46,80,73,744
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	-	-
3. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	7,39,95,25,696	6,40,56,57,540
4. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	1,99,92,72,771	1,99,92,72,771
5. अल्पावधि बिल पुनर्भुनाई योजना	-	-
6. अन्य	65,76,99,85,928	44,60,07,32,633
उप-योग (क)	**80,08,50,39,269**	**57,47,37,36,688**
ख) व्यवसाय परिचालन		
1. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	1,82,22,71,142	1,78,47,71,142
2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	5,65,33,000	5,65,33,000
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड्स और डिबैंचर्स	4,63,89,03,959	4,85,32,42,053
4. सहायक संगठनों में निवेश	-	-
5. अन्य	7,71,28,70,927	12,19,05,15,503
उप-योग (ख)	**14,23,05,79,028**	**18,88,50,61,698**
योग (क+ख)	**94,31,56,18,297**	**76,35,87,98,386**

समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची VIII: ऋण एवं अग्रिम [प्रावधान के बाद]	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
क) निम्नलिखित को पुनर्वित्त		
- बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ	14,95,23,02,04,547	12,56,89,55,95,686
- अल्प वित्त संस्थाएँ	29,33,28,48,488	16,50,04,35,388
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	1,20,61,81,13,099	1,12,34,37,42,688
- बिलों की पुनर्भुनाई	-	-
- अन्य (संसाधन सहायता)	-	92,00,29,123
उप-योग (क)	**16,45,18,11,66,134**	**13,86,65,98,02,885**
ख) प्रत्यक्ष ऋण		
- ऋण एवं अग्रिम	98,66,91,14,926	88,96,65,09,187
- प्राप्य वित्त योजना	1,26,03,81,426	5,14,66,83,308
- भुनाए गए बिल	-	-
उप-योग (ख)	**99,92,94,96,352**	**94,11,31,92,495**
योग (क+ख)	**17,45,11,06,62,486**	**14,80,77,29,95,380**

(राशि ₹ में)

अनुसूची IX: स्थिर आस्तियां [मूल्यह्रास घटाकर]	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1. परिसर	2,83,87,18,309	2,83,23,37,105
2. अन्य	3,41,74,051	2,85,04,532
योग	**2,87,28,92,360**	**2,86,08,41,637**

(राशि ₹ में)

अनुसूची X: अन्य आस्तियां	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
उपचित ब्याज	21,60,56,24,776	33,80,66,88,189
अग्रिम कर (प्रावधान के बाद)	4,08,79,40,451	3,79,52,73,496
अन्य	12,94,68,58,666	7,27,41,57,841
व्यय जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है	5,52,43,75,070	7,46,35,02,419
योग	**44,16,47,98,963**	**52,33,96,21,945**

(राशि ₹ में)

अनसूची XI: आकस्मिक देयताएं	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
i) बैंक पर वे दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	5,74,27,63,852	6,98,13,20,359
ii) गारंटियों / साख-पत्रों के फलस्वरूप	46,99,22,915	54,95,08,487
iii) वायदा संविदाओं के फलस्वरूप	5,79,87,607	1,03,14,60,100
iv) अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है हामीदारी प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप	-	-
v) आंशिक रूप से चुकता शेयरों, डिबैंचरों पर न मांगी गई राशियों के फलस्वरूप	5,19,13,80,042	6,33,78,34,494
vi) अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है (व्युत्पन्नी संविदाएँ इत्यादि)	64,67,78,37,345	78,75,31,51,632
योग	**76,13,98,91,761**	**93,65,32,75,072**

समेकित लाभ-हानि खाते की अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची XII: ब्याज और बट्टा	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1. ऋणों, अग्रिमों और बिलों पर ब्याज एवं बट्टा	1,10,02,35,82,062	96,67,92,56,917
2. निवेश / बैंक अतिशेष पर आय	11,17,29,33,214	5,98,04,74,757
योग	**1,21,19,65,15,276**	**1,02,65,97,31,674**

(राशि ₹ में)

अनुसूची XIII: अन्य आय	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1. अपफ्रंट और संसाधन शुल्क	57,92,69,491	35,06,51,911
2. कमीशन और दलाली	1,25,57,895	1,49,28,003
3. निवेशों की बिक्री से लाभ	4,01,85,64,459	3,24,91,18,727
4. सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं से लाभांश, आदि के जरिये अर्जित आय	12,75,000	92,75,000
5. पिछले वर्षों के पुनरांकन का प्रावधान	-	-
6. अन्य	6,17,91,24,097	1,25,64,91,222
योग	**10,79,07,90,942**	**4,88,04,64,863**

(राशि ₹ में)

अनुसूची XIV: परिचालन व्यय:	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
कर्मचारियों के लिए किए गए भुगतान और प्रावधान	3,94,77,42,252	3,68,87,39,790
किराया, कर और बिजली	17,31,83,525	19,69,05,286
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री	1,16,19,046	1,03,02,916
विज्ञापन और प्रचार	38,31,97,069	5,63,94,542
बैंक की संपत्ति में मूल्यह्रास / परिशोधन	18,36,84,906	18,43,71,236
निदेशकों की फीस, भत्ते व व्यय	56,56,120	42,61,620
लेखा परीक्षकों की फीस	33,64,757	35,07,480
विधि प्रभार	1,84,04,109	2,69,58,423
डाक, कूरियर, दूरभाष, आदि	26,42,172	24,78,076
मरम्मत और रखरखाव	17,23,03,019	12,35,98,554
बीमा	57,33,487	49,18,746
सीजीटीएमएसई को अंशदान	-	-
अन्य व्यय	1,61,02,71,964	92,04,72,301
योग	**6,51,78,02,426**	**5,22,29,08,970**

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची XV: महत्त्वपूर्ण समेकित लेखांकन नीतियाँ

1 तैयार करने के आधार

समेकित वित्तीय विवरण सभी महत्त्वपूर्ण दृष्टियों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (मूल) एवं उसकी सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं तथा उसके विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लागू जारी लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं। जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, बैंक द्वारा लागू की गई लेखा-नीतियाँ पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

आकलनों का उपयोग:

आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करें, जो समेकित वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्ट की अवधि में रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशियों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान और मान्यताएँ उचित और विवेकपूर्ण हैं। हालांकि वास्तविक परिणाम उक्त अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में किसी संशोधन का निर्धारण संबंधित लेखा-मानक की वर्तमान और भविष्य की अवधि में अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाता है।

समेकन प्रक्रिया:

सहायक संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं:

1) माइक्रो यूनिट्स डेवलेपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा)
2) सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)
3) सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)

सहयोगी संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं:

1) एक्यूटे रेटिंग्स लिमिटेड (पूर्व में स्मेरा)
2) इण्डिया एसएमई ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आइसार्क)
3) इण्डिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड
4) दिल्ली वित्त निगम
5) रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल)
6) फिटको लिमिटेड
7) एपिटको लिमिटेड

समूह (3 सहायक और 7 सहयोगी संस्थाओं जिनके विवरण ऊपर दिए गए हैं) के समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है

क. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (मूल) लेखापरीक्षित लेखे

ख. भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस 21 (समेकित वित्तीय विवरण) के अनुसार वसूल न किये हुए लाभ / हानि और सभी सामग्री अंतर-समूह शेष / संव्यवहार को समाप्त करने के बाद और मूल के सन्दर्भ में 3 सहायक कंपनियों की आस्ति / देयता / आय / व्यय के प्रत्येक मद का पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है।

ग. सहयोगी संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी एएस 23 (सहयोगी संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश के लिए लेखांकन) के अनुसार सहयोगी संस्थाओं में निवेश को ईक्विटी विधि के अंतर्गत माना गया है।

घ. लेखांकन नीतियों में अंतर के मामले में, मूल संस्था की लेखांकन नीतियों के अनुरूप, सहायक और सहयोगी संस्थाओं के वित्तीय विवरण जहां भी आवश्यक और व्यावहारिक होते हैं, समायोजित किए जाते हैं।

2 राजस्व निर्धारण:

बैंक को जो भी संभव आर्थिक लाभ से राजस्व मिलेगा उसका निर्धारण किया गया है और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

क) आय:

i. दण्डात्मक ब्याज सहित ब्याज आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामलों के जहाँ उसे वसूली के बाद हिसाब में लिया गया है।

ii. लाभ और हानि लेखा में आय, सकल रूप में अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों तथा बैंक की आन्तरिक नीति के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों हेतु प्रावधान जैसे अन्य प्रावधानों से पहले दर्शायी गई है।

iii. बिलों की भुनाई / पुनर्भुनाई तथा लिखतों की भुनाई को लिखतों की मीयाद के अनुसार निरंतर प्रतिलाभ आधार पर निर्धारित किया गया है।

iv. मानक (अर्जक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूँजी / सुलभ ऋण सहायता पर सेवा-प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।

v. औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर लाभांश को वसूली के पश्चात् आय माना गया है।

vi. उद्यम पूंजी निधि में एच टी एम श्रेणी में यूनिट / शेयरों के मोचन को बिक्री के रूप में नहीं माना जाता है।

vii. अनर्जक आस्तियों की वसूली को निम्नलिखित क्रम से विनियोजित किया गया है:

(क) अनर्जक आस्ति बनने की तारीख तक अतिदेय ब्याज

(ख) मूलधन

(ग) लागत व प्रभार

(घ) ब्याज एवं

(ङ) दंडात्मक ब्याज

viii. ऋणों एवं अग्रिमों की बिक्री पर प्रत्यक्ष समनुदेशन से हुए लाभ / हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया गया है।

ix. पहले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सन्दर्भ में प्राप्त राशियों को लाभ हानि लेखे में आय के रूप में लिया गया है।

x. किसी भी श्रेणी के निवेशों की बिक्री से लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखा में ले जाया गया है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजित कर दिया गया है।

xi. सात साल से अधिक की अवधि के लिए दावा न किए गए देनदारियों (सांविधिक देनदारियों के अलावा) के रूप में पड़ी राशि को आय के रूप में लिया गया है।

xii. बैंक द्वारा आयकर विभाग से जारी किए गए ऐसे रिफंड आदेश / आदेश देने वाले प्रभावों की प्राप्ति पर आयकर रिफंड पर ब्याज को हिसाब में लिया गया है।

xiii. उधारकर्ताओं से सीजीटीएमएसई शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, अधिवक्ता शुल्क, बीमा इत्यादि की वसूली नकद आधार पर की जाती है।

xiv. **एसवीसीएल** - राजस्व को इस हद तक चिन्हीकृत किया जाता है कि यह संभावना है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे तो उस राजस्व को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकता है। उद्यम पूंजी निधि / एएफआई द्वारा प्रबंधित निधियों पर यह तिमाही आधार पर प्रबंधन शुल्क उपचित करता है। सावधि जमा / कर मुक्त बांड पर ब्याज को समय अनुपात के आधार पर हिसाब में लिया गया है। आईआईबीआई द्वारा समनुदेशित निवेश की बिक्री से प्राप्त निवल लाभ के 5% की आय को कंपनी द्वारा आय में लिया गया है।

ख) व्यय:

i. विकास व्यय को छोड़कर शेष सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए गए हैं। विकास व्यय को नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ii. जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर बट्टे को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है।

3 निवेश

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' की श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को पुनः निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है:

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,

ग) शेयर,

घ) डिबेंचर तथा बॉण्ड

ङ) सहायक संस्थाएँ / संयुक्त उपक्रम और

च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति पावतियां,जमा प्रमाणपत्र आदि)

क) परिपक्वता तक धारित

परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर दर्शाया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। ऐसा होने पर प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया गया है। सहायक कंपनियों में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक कंपनियों में निवेशों के मूल्य में कमी (अस्थायी को छोड़कर) प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग-अलग प्रावधान किया गया है।

(ख) व्यापार हेतु धारित

अल्पावधि मूल्य / ब्याज-दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए 90 दिनों में पुनः बेचने के इरादे से किए गए निवेशों को 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ग के निवेशों का समग्र रूप से स्क्रिप-अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास को अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में तत्संगत परिवर्तन करते

हुए लाभ-हानि लेखा में हिसाब में लिया गया है। व्यापार / उद्धृत निवेश के संबंध में, बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध ट्रेडों / उद्धरणों से लिया गया है।

ग). **बिक्री हेतु उपलब्ध:**

उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाले निवेशों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यह्रास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया गया है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज कर दिया गया है। अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के बाद परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ii) कोई निवेश परिपक्वता के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है, या बिक्री के लिए उपलब्ध है या इसकी खरीद के समय व्यापार के लिए धारित है तथा बाद में इसकी श्रेणियों में अंतरण और उसका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

(iii) ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र, बट्टा वाले लिखत हैं, लागत मूल्य पर इनका मूल्यांकन किया जाता है।

(iv) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर किया जाता है और जो सरकारी प्रतिभूतियां उद्धृत नहीं है / जिनका ब्यापार नहीं हो रहा है उनका मूल्य निर्धारण वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है।

(v) निवेश जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए कॉर्पस या निधि से बने होते हैं और संबंधित निधि शेष से बचे हुए निधि का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं अपितु उसकी लागत पर होता है।

(vi) निवेशों में खरीद और बिक्री की प्रविष्टि 'निपटान तारीख' का पालन करते हुए की गई है।

(vii) जो डिबेंचर / बाण्ड / शेयर अग्रिम की प्रवृत्ति के माने गए हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं।

(viii) निवेशों की लागत भारित औसत लागत पद्धति से निर्धारित की गई है।

(ix) अभिग्रहण / बिक्री के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया गया है।

(x) ऋण-निवेश में प्रदत्त / प्राप्त खंडित अवधि-ब्याज को ब्याज व्यय / आय माना गया है और उसे लागत / बिक्री-राशि से अलग रखा गया है।

(xi) बीज पूँजी योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सूची से इतर निवेशों के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(xii) भारतीय रिजर्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार म्यूचुअल फंड की इकाइयों को उनकी पुनर्खरीद मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है।

(xiii) उद्धृत न की गई निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा) का मूल्यांकन केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के समान परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर से उपयुक्त मार्क अप के आधार पर किया गया है। एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संगत दरों के अनुसार परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर और इस तरह के मार्क-अप को लागू किया गया हैं।

4 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को लेखा-बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में संव्यवहार के दिन लागू विनिमय दरों पर दर्ज़ किया गया है। विदेशी मुद्रा संव्यवहार का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-11 के अनुसार किया गया है।

i. बकाया अग्रेषण विनिमय अनुबंधों के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटी, स्वीकृतियां,पृष्ठांकनों एवं अन्य देयताओं के संबंध में गणना विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाइ) द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर की जाती है।

ii. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाइ) द्वारा तुलन-पत्र की तारीख में प्रभावी अधिसूचित अन्तिम विदेशी मुद्रा-दर में परिवर्तित किया गया है।

iii. विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय मदों को वास्तविक बिक्री / खरीद के माध्यम से मासिक अन्तरालों पर परिवर्तित किया जाता है और उन्हें तदनुसार लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया गया है।

iv. विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु विदेशी मुद्रा ऋण-व्यवस्था पर पुनर्मूल्यांकन अन्तर को भारत सरकार के परामर्श से खोले गए एक विशेष खाते में समायोजित और रिकॉर्ड किया जाता है।

v. व्युत्पन्नी संव्यवहारों के संबंध में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बचाव (हेज) लेखांकन का अनुसरण करता है।

vi. मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

vii. बकाया फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स जो ट्रेडिंग के लिए अभिप्रेत नहीं हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन फेडाइ के बंद दरों पर की जाती है।

5 व्युत्पन्नियाँ

बैंक अपनी विदेशी मुद्रा देयताओं के बचाव के लिए वर्तमान में मुद्रा व्युत्पन्नी संव्यवहारों जैसे अंतर-मुद्रा ब्याज-दर विनिमय में व्यवहार करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार बचाव के उद्देश्य से किए गए उक्त व्युत्पन्नी संव्यवहारों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुबंधित रुपया राशि पर व्युत्पन्नी संव्यवहार अनुबंधों पर आधारित देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख पर रिपोर्ट किया गया है।

6 ऋण एवं अग्रिम

i. आस्तियों, अर्थात् ऋण तथा अन्य सहायता संविभागों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

ii. तुलन-पत्र में उल्लिखित अग्रिम, अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर है।

iii. मानक आस्तियों के संबंध में सामान्य प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

iv. चल प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार किए और उपयोग में लाए गए हैं।

7 कराधान

(i) कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर, दोनों शामिल हैं। वर्तमान आय-कर की गणना आय-कर अधिनियम, 1961 के अनुसार आय-कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली संभावित राशि के और आय परिकलन प्रकटीकरण मानकों के आधार पर की जाती है।

(ii) आस्थगित आय-कर, वर्ष की कर-योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतराल के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलन-पत्र की तारीख तक अधिनियम अथवा यथेष्ट रूप में अधिनियमित कर-कानूनों और कर की दरों के आधार पर की गई है।

(iii) आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसे आस्थगित कर की वसूली हो सकती है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।

(iv) जो विवादित कर हैं, जिसमें विभागीय अपील भी शामिल है, को आकस्मिक देयता में लिया गया हैं।

8 प्रतिभूतीकरण:

(i) बैंक क्रेडिट रेटिंग-युक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आस्ति-समूहों को बैंकों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी पास-थ्रू-प्रमाणपत्रों के ज़रिए खरीदता है। इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण संव्यवहार निवेश के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित / विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।

(ii) बैंक द्विपक्षीय सीधे समनुदेशक के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के श्रेणीनिर्धारित आस्ति-समूह खरीदता है। ऐसे सीधे समनुदेशन संव्यवहारों को बैंक द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।

(iii) बैंक सीधे समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में बैंक इन संव्यवहारों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की चुकौती करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋण एवं अग्रिम पर अवशेष ब्याज का हक़दार होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धान्त के आधार पर सीधे समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई आस्तियों को बैंक की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है।

(iv) बेचे गए ऋणों एवं अग्रिमों पर अवशेष आय को अंतर्निहित ऋणों एवं अग्रिमों के जीवनकाल के अनुसार हिसाब में लिया जा रहा है।

(v) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्ति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसे उपकरणों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

9 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री:

(i) अनर्जक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति प्राप्ति (एसआर) में निवेश आधार पर की जाती है। एसआर आधार पर बिक्री के मामले में, बिक्री प्रतिफल अथवा उसके भाग को प्रतिभूति-प्राप्ति के रूप में निवेश समझा जाता है।

(ii) यदि आस्ति की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् बही-मूल्य में से धारित प्रावधान हटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम कर दी जाती है, तो कमी को लाभ-हानि लेखा के नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को उस वर्ष लाभ-हानि लेखे में प्रतिवर्तित किया जा सकता है, जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई हो। बेशी प्रावधान का प्रतिवर्तन उस प्राप्त राशि तक सीमित होता है, जो आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक हो।

10 स्टाफ के हितार्थ प्रावधान

1. मूल संस्था:

क) सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ

(i) भविष्य निधि बैंक द्वारा चलाई जा रही एक निश्चित अंशदायी योजना है और उसमें किए गए अंशदान लाभ-हानि लेखे पर प्रभारित होते हैं।

(ii) ग्रैच्युटी देयता तथा पेंशन देयता निश्चित लाभ दायित्व हैं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, जैसे- क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ, छुट्टी

किराया रियायत आदि का प्रावधान स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन-पत्र की तारीख पर किया जाता है, जो एएस 15 (यथोसंशोधित 2005)- कर्मचारी लाभ के अनुसार अनुमानित इकाई जमा पद्धति पर आधारित होता है।

(iii) बीमांकिक लाभ / हानि लाभ-हानि लेखे में बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर दर्ज़ किए जाते हैं।

(iv) नई पेंशन योजना निश्चित अंशदान वाली योजना है। यह उन कर्मचारियों पर लागू है, जो 1 दिसंबर 2011 या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं। बैंक पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान करता है और बैंक का दायित्व उक्त निश्चित अंशदान तक सीमित है। यह अंशदान लाभ-हानि खाते में भारित होता है।

(v) उस अवधि के लिए जिसमें वे घटित होते है, बीमांकिक लाभ / हानि लाभ-हानि लेखे में बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर दर्ज़ किए जाते हैं।

(vi) वर्ष के दौरान हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत किए गए भुगतान को लाभ-हानि खाते में भारित होता है।

ख) सेवा-कालिक (अल्पाविधि) लाभ:

अल्पावधि लाभों से उत्पन्न देयता का निर्धारण गैर-बट्टाकृत आधार पर होता है और उस सेवा अवधि के संबंध में होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का हकदार बनता है।

एसवीसीएल:
कर्मचारियों के लाभ:
<u>परिभाषित अंशदान योजनाएं:</u>

भविष्य निधि आदि में कंपनी के अंशदान को व्यय के समय लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

<u>परिभाषित लाभ योजनाएं:</u>

कंपनी ग्रैच्युटी के रूप में सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराती है। ऐसे लाभ स्वतंत्र बीमांकक के मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। रिपोर्टिंग दिनांक के अनुसार अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित वृद्धिशील दायित्व लाभ और हानि के विवरण के व्यय के रूप में लिया जाता है। कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम ("एलआईसी") के साथ एक समूह ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है और इसे वित्त पोषित किया गया है।

<u>निष्पादन वेतन:</u>

कार्यनिष्पादन वेतन कर्मचारियों को एक वार्षिक प्रोत्साहन है जो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर आधारित है।

<u>छुट्टी नकदीकरण:</u>

छुट्टी नकदीकरण के रूप में कंपनी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करता है। ऐसे लाभ स्वतंत्र बीमांकक द्वारा तुलन पत्र की तिथि को मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। शेष अवकाश को लघु अवधि और लंबी अवधि के लिए छुट्टी नीति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि के अनुसार अल्पकालिक और दीर्घकालिक अवकाश को बीमांकिक आधार पर मूल्यांकित गया गया है। इसके अलावा, कर्मचारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी एकत्रित छुट्टी में से 15 दिन के अवकाश का नकदीकरण कर सकते हैं।.

11 स्थिर आस्तियाँ और मूल्यह्रास

1. मूल संस्था:

क) स्थिर आस्तियाँ अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति (यदि हो) को घटाकर दर्शाई गई हैं।

ख) आस्ति की लागत में खरीद लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर किए गए सभी व्यय शामिल हैं। उपयोग में रखी गई आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय केवल तभी पूंजीकृत होंगे जब इन आस्तियों या उनकी कार्यशील क्षमता से भविष्य का लाभ बढ़े।

ग) पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नवत किया गया है (चाहे पूँजीकरण की तारीख जो भी हो)-

(i) फर्नीचर और फिक्स्चरः बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- 100 प्रतिशत की दर से

(ii) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर- 100 प्रतिशत की दर से

(iii) भवन-मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति पर- 5 प्रतिशत की दर से

(iv) विद्युत संस्थापनाएं: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- मूल्यह्रासित मूल्य-पद्धति पर- 50 प्रतिशत की दर से

(v) मोटर कार- सीधी रेखा पद्धति- 50 प्रतिशत की दर से

घ) वस्तुओं के जुड़ाव पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है, किन्तु बिक्री / निस्तारण के वर्ष के लिए मूल्यह्रास नहीं होता।

ङ) पट्टाधारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि-पर्यन्त किया जाता है।

2. मुद्रा -

आकस्मिक व्यय सहित अधिग्रहण की लागत पर आस्तियों को दर्शाया गया हैं। वित्त पोषण लागत सहित अपने इच्छित उपयोग के लिए आस्ति को कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए सीधे लागत वाली सभी लागतों को भी पूंजीकृत किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत उपयोगी जीवन के आधार पर सीधे लाइन विधि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। ₹ 5,000/- या उससे कम की लागत वाली संपत्तियों को एक वर्ष की अवधि में मूल्यह्रासित कर दिया गया है।

3. एसवीसीएल -

अधिग्रहण की लागत पर आस्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया गया हैं। स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास दर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित तरीके से लिखित डाउन वैल्यू विधि पर प्रदान किया गया है। खरीदे गए मोबाइल / टेलीफोन उपकरणों / टैबलेट

उपकरणों की लागत को खरीद के वर्ष में राजस्व व्यय में ले लिया गया है। उन आस्तियों पर मूल्यह्रास जिनकी वास्तविक लागत पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है, को 100% की दर से मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। मूल्यह्रास मासिक आधार पर प्रभारित किया गया है।.

12 आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान और आकस्मिक आस्तियाँ

ए एस 29 प्रावधानों के अनुसार आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों को बैंक चिन्हीकृत और जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए प्रावधान किए जाते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण होता है, न ही प्रकटन। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और तुलन-पत्र में उनका प्रकटन होता है तथा विवरण तुलन-पत्र की अनुसूचियों में दिए जाते हैं। आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है।

13 अनुदान एवं सब्सिडी

सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का लेखांकन करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

14 परिचालनगत पट्टा:

पट्टा संबंधी किराए को भुगतान के लिए देय होने पर लाभ-हानि लेखे में खर्च / आय के रूप में दर्शाया जाता है।

15 आस्तियों की क्षति:

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की रख-रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि आंतरिक व बाह्य कारणों के आधार पर किसी क्षति का संकेत हो तो निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सकेः

क. क्षति- हानि (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रावधान, अथवा

ख. पूर्ववर्ती अवधि में चिह्नित क्षति (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रत्यावर्तन-निर्धारण

यदि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो क्षति-हानि का निर्धारण किया जाता है।

16 नकदी और नकदी समतुल्य:

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में रोकड़, भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष तथा म्युचुअल फंड में ऐसा निवेश शामिल होता है, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या कम की हो।

समेकित लेखों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ

अनुबंध - I

1 एकल वित्तीय विवरण की अनुसूची XV में उल्लिखित सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में पालन किया गया है।

2 बैंक और इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को पंक्ति दर पंक्ति आधार पर मिश्रित किया गया है, जिसके लिए एएस 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार अंतःसमूह शेष तथा अंतर-समूह संव्यवहारों को पूरी तरह घटाने के बाद एक जैसी विभिन्न मदों जैसे आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के बही मूल्यों को परस्पर जोड़ा गया है। सहयोगी संस्थाओं का लेखांकन एएस-23 "सहयोगी संस्थाओं में निवेश का समेकित वित्तीय विवरण में लेखांकन" में विहित ईक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए किया गया है।

3 समेकित वित्तीय विवरण में समाहित अनुषंगी संस्थाओं के ब्यौरे

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	सहायक संस्था का नाम	निगमन देश	स्वामित्व का अनुपात*	लाभ / हानि	
				मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1	सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)	भारत	100%	3,18,16,213	3,15,61,019
2	सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)	भारत	100%	51,13,156	47,62,125
3	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा लि.)	भारत	100%	2,33,98,56,222	28,22,34,783
योग				**2,37,67,85,591**	**31,85,57,927**

मुद्रा लिमिटेड को छोड़ कर अन्य सभी सहायक संस्थाओं की वित्तीय विवरणियाँ अंकेक्षित हैं

*चूंकि अनुषंगी संस्थाओं के सभी शेयर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिडबी के स्वामित्व में हैं, अल्पसंख्य हित के बारे में कोई अलग प्रकटन दर्शित नहीं किया गया है

4 क समेकित वित्तीय विवरण में समाहित सहायक संस्थाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	सहयोगी संस्था का नाम	धारिता का (%)		विवरण	निवेश	निवेश		लाभ / (हानि) का हिस्सा		आरक्षितियों में हिस्सा [1]	
		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019			मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1	एक्यूटे रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व स्मेरा) [2]	35.73	34.29	एसएमई के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	5,10,00,000	**5,10,00,000**	5,10,00,000	2,75,32,675	98,63,924	3,21,02,945	2,68,29,742
2	इण्डिया एसएमई टेक्नालजी सर्विसेज लिमिटेड [2]	22.73	22.72	एसएमई को प्रौद्योगिकी सहयोग	1,00,00,000	**1,00,00,000**	1,00,00,000	(2,22,338)	18,00,797	89,96,541	68,65,267
3	इंडिया एसएमई आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड [2]	26.00 [3]	26.00[3]	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी	2,60,00,000	**26,00,00,000**	26,00,00,000	(2,22,31,686)	(2,39,44,518)	5,38,73,573	7,78,18,091
4	दिल्ली वित्त निगम [4]	23.71	23.71	राज्य वित्त निगम	3,13,87,500	**3,13,87,500**	3,13,87,500	(51,43,321)	19,23,661	10,52,48,961	11,33,04,245
5	रिसीवेब्ल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड [5]	30.00	30.00	व्यापारिक प्राप्य राशियों की फैक्टरिंग / भुनाई के लिए आन लाइन प्लेटफार्म ट्रेड्स	11,25,00,000	**11,25,00,000**	7,50,00,000	(2,37,70,722)	(1,17,68,479)	(3,72,98,218)	(2,48,55,859)
6	एपिटको लिमिटेड [4]	41.29	41.29	तकनीकी परामर्श संगठन	80,10,000	**54,70,975**	54,70,975	30,96,682	(1,63,14,522)	3,66,34,212	5,29,48,734
7	किटको लिमिटेड [5]	49.77	49.77	तकनीकी परामर्श संगठन	4,90,00,000	**24,95,296**	24,95,296	(41,60,282)	3,76,86,469	27,97,11,717	22,25,39,362
योग						**47,28,53,771**	**43,53,53,771**	**(2,48,98,992)**	**(7,52,668)**	**47,92,69,731**	**47,54,49,582**

1. समेकित तुलन पत्र की अनुसूची II ए (i) में, ₹1,50,99,47,28,207/ - (पिछले वर्ष ₹1,10,75,55,22,814) के आरक्षित निधि में शामिल।
2. एक्विट रेटिंग प्रा लि, इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड और इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के आंकड़े लेखापरीक्षित नहीं है।
3. एसवीसीएल की 11% होल्डिंग (सिडबी की 100% सहायक संस्था) शामिल है।
4. 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए डीएफसी और एपिट्को के आंकड़ों की लेखापरीक्षा की गई है।
5. वर्ष 31 मार्च 2020 के लिए इंड-एएस पर आधारित वित्तीय आंकड़ों पर विचार किया गया।

ख समेकित वित्तीय विवरण में निम्नलिखित सहयोगी संस्थाओं के परिणाम शामिल नहीं हैं। किन्तु निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए वित्तीय विवरणों में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	सहयोगी संस्था का नाम	अंशधारिता (%)		विवरण	निवेश	निवेश के मूल्य में ह्रास	
		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019			मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1	बीएसएफसी	48.43	48.43	राज्य वित्त निगम	18,84,88,500	(18,84,88,500)	(18,84,88,500)
2	जीएसएफसी	28.41	28.41	राज्य वित्त निगम	12,66,00,000	(12,66,00,000)	(12,66,00,000)
3	एमएसएफसी	39.99	39.99	राज्य वित्त निगम	12,52,41,750	(12,52,41,750)	(12,52,41,750)
4	पीएफ़सी	25.92	25.92	राज्य वित्त निगम	5,23,51,850	(5,23,51,850)	(5,23,51,850)
5	यूपीएसएफसी	20.27	20.27	राज्य वित्त निगम	21,67,59,000	(21,67,59,000)	(21,67,59,000)
योग					**70,94,41,100**	**(70,94,41,100)**	**(70,94,41,100)**

एमएसएफसी, पीएफसी और यूपीएसएफसी के अलावा अन्य एसएफसी के आंकड़े 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित हैं। एमएसएफसी और पीएफसी के बारे में, आंकड़े क्रमशः 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष और 31 मार्च, 2018 के लेखापरीक्षा किए गए परिणामों पर आधारित हैं। यूपीएसएफसी के संबंध में, 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए अनंतिम परिणाम उपलब्ध हैं।

हालांकि राजस्थान एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा लि में बैंक की हिस्सेदारी है और कर्नाटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा लि में 20% से अधिक हिस्सेदारी है, इन्हें समेकित विवरणों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि निवेश की गई राशि को महत्वपूर्ण निवेश के रूप में नहीं माना जाता है।

ग हालांकि निम्नलिखित निकायों के मामले में,बैंक के पास 20% से अधिक मताधिकार है, किन्तु उन्हें एएस 23 'सहयोगी संस्थाओं में निवेश का समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन' के अनुसार सहयोगी संस्था में निवेश नहीं माना गया है, क्योंकि उन्हें एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार निवेश का बुक मूल्य ₹1/- लिया गया है।

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	सहयोगी संस्था का नाम	अंशधारिता का (%)		विवरण	निवेश	
		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
1	बिहार औद्योगिकी एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	49.25	49.25	तकनीकी परामर्श संगठन	1	1
2	पूर्वोत्तर औद्योगिकी एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	43.44	43.44	तकनीकी परामर्श संगठन	1	1
3	ओड़ीशा औद्योगिकी एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	49.42	49.42	तकनीकी परामर्श संगठन	1	1
योग					3	3

5 सहयोगी संस्थाओं से महत्वपूर्ण लेनदेन के विवरण निम्नवत हैं

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	सहयोगी संस्था का नाम	विवरण	संवितरण		चुकौती (ब्याज सहित)	
			31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
1	डीएफसी	पुनर्वित्त सहायता	-	-	-	5,59,00,000

6 सिडबी की मूल्यह्रास नीति के अंतर्गत एसएलएम / डब्ल्यूडीवी के अनुसार पूर्व-निर्धारित दरों से आस्तियों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। इसके विपरीत सहायक एवं सहयोगी संस्थाएँ कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार एसएलएम / डब्ल्यूडीवी आधार पर मूल्यह्रास का परिकलन करती हैं। इस प्रकार समेकित वित्तीय विवरण में समाहित ₹18,36,84,906/- (गत वर्ष ₹18,43,71,236/-) के कुल मूल्यह्रास में ₹9,67,513/- यानी राशि का 0.53% (गत वर्ष ₹16,75,273/- यानी राशि का 0.90%) का निर्धारण कंपनी अधिनियम 2013 में विहित मूल्यह्रास के अनुसार किया गया है।

7 पूर्णकालिक निदेशकों को अदा किया गया सकल पारिश्रमिक सिडबी के लिए ₹1,12,63,195/- है (गत वर्ष ₹93,15,485) एसवीसीएल के लिए ₹52,76,465/- है (गत वर्ष ₹58,74,807) और मुद्रा लि. के लिए ₹69,99,996/- है (गत वर्ष ₹46,47,848)

8 कर्मचारियों के हितलाभ

(i) सिडबी

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा कर्मचारी हितलाभों के बारे में जारी लेखांकन मानकों (एएस 15) (2005 में पुनरीक्षित) के अनुसार कर्मचारियों को प्रदत्त विभिन्न हितलाभों को बैंक ने निम्नानुसार वर्गीकृत किया है:

(क) परिभाषित अंशदान योजना

बैंक ने लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित राशियों को अभिनिर्धारित किया है

(राशि ₹ में)

विवरण	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
भविष्य निधि में नियोजक का अंशदान	8,01,88,984	8,45,92,109
नव पेंशन योजना में नियोजक का अंशदान	2,47,85,687	2,27,84,810

(ख) बैंक में सुपरिभाषित पेंशन और ग्रेच्युटी हितलाभ योजनाएं हैं जिनका प्रबंध ट्रस्ट द्वारा किया जाता है

(₹ करोड़)

	पेंशन		उपदान	
	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2020	वित्त 2019
1. धारणा				
बट्टा दर	7.00%	7.78%	7.00%	7.64%
योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.00%	7.78%	7.00%	7.64%
वेतन में बढ़ोत्तरी	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
ह्रास दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
2. हितलाभ देनदारियों में बदलाव को दिखाती सारणी				
वर्ष के आरंभ में देयताएँ	439.65	452.03	91.36	111.05
ब्याज लागत	34.20	34.94	6.63	8.59
मौजूदा सेवा लागत	13.79	12.05	5.18	4.47
पिछली सेवा लागत (गैर-अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत (अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
भीतर अंतरित देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
(बाहर अंतरित देयताएँ)	0.00	0.00	0.00	0.00
(अदा किए गए हितलाभ)	(35.02)	(24.25)	(11.07)	(12.40)
देनदारियों पर बीमांकित (लाभ)	77.26	(35.12)	7.54	(20.35)
वर्ष के अंत में देयता	**529.88**	**439.65**	**99.64**	**91.36**
3. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी				
वर्ष के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	410.23	405.46	110.98	115.25
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	33.28	31.34	8.06	8.43
अंशदान	35.02	0.00	0.09	0.05
अन्य कंपनी से अंतरित	0.00	0.00	0.00	0.00
(अन्य कंपनी को अंतरित)	0.00	0.00	0.00	0.00
(अदा किए गए हितलाभ)	(35.02)	(24.25)	(11.07)	(12.40)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकित लाभ / (हानि)	25.18	(2.32)	0.09	(0.35)
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	**468.69**	**410.23**	**108.15**	**110.98**
4. बीमांकित लाभ / हानि के अभिनिर्धारण की सारणी				
संबन्धित अवधि के लिए देयताओं पर बीमांकक (लाभ) / हानियाँ	77.26	(35.12)	7.54	(20.35)
संबन्धित अवधि के लिए आस्तियों पर बीमांकक (लाभ) / हानियाँ	(25.18)	2.32	(0.09)	0.35
आय व व्यय विवरणी मे अभिनिर्धारित बीमांकित (लाभ) / हानियाँ	**52.08**	**(32.80)**	**7.45**	**(20.00)**
5. योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ				
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	33.28	31.34	8.06	8.43
योजनागत आस्तियों पर बीमांकित लाभ / (हानि)	25.18	(2.32)	(0.09)	(0.35)
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	**58.46**	**29.02**	**7.97**	**8.08**

(₹ करोड़)

	पेंशन		उपदान	
	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2020	वित्त 2019
6. तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित राशि				
वर्ष की समाप्ति पर देयताएँ	(529.88)	(439.65)	(99.64)	(91.36)
वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	468.69	410.23	108.15	110.98
अंतर	(61.19)	(29.42)	8.51	19.62
वर्ष की समाप्ति पर पिछली सेवा की अनिर्धारित लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष की समाप्ति पर अनिर्धारित अंतर्वर्ती देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित निवल राशि	**(61.19)**	**(29.42)**	**8.51**	**19.62**
7. आय विवरणी में अभिनिर्धारित व्यय				
मौजूदा सेवा लागत	13.79	12.05	5.18	4.47
ब्याज लागत	34.20	34.94	6.63	8.59
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(33.28)	(31.34)	(8.06)	(8.43)
वर्ष के दौरान अभिनिर्धारित पिछली सेवा लागत (गैर-अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान अभिनिर्धारित पिछली सेवा लागत (अंतर्वेशित हितलाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान अनिर्धारित अंतर्वर्ती देयताएँ	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकित (लाभ) / हानि	52.08	(32.80)	7.45	(20.00)
लाभ व हानि खाते में अभिनिर्धारित व्यय	**66.79**	**(17.15)**	**11.20**	**(15.37)**
8. तुलन-पत्र का मिलान				
आरंभिक निवल देयताएँ	29.42	46.57	(19.62)	(4.20)
यथोक्त व्यय	66.79	(17.15)	11.20	(15.37)
नियोजक का अंशदान	(35.02)	-	(0.09)	(0.05)
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित राशि	**61.19**	**29.42**	**(8.51)**	**(19.62)**

9. अन्य ब्यौरे

बैंक की सूचना के अनुसार वेतन में बढ़ोत्तरी को विचार में लिया गया है जो कि पदोन्नति और कर्मचारी आपूर्ति को ध्यान में लेकर उद्योग-क्षेत्र में प्रचलित व्यवहार के अनुसार है

(₹ करोड़)

	पेंशन		उपदान	
	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2020	वित्त 2019
10. आस्ति वर्ग				
भारत सरकार की आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
निगम बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
सूचीबद्ध कंपनियों के ईक्विटी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
संपत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमादाताओं द्वारा प्रबंधित निधियाँ	468.69	410.23	108.15	110.98
अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**468.69**	**410.23**	**108.15**	**110.98**

11. अनुभव समायोजन

	पेंशन					उपदान				
	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2018	वित्त 2017	वित्त 2016	वित्त 2020	वित्त 2019	वित्त 2018	वित्त 2017	वित्त 2016
योजना देयता पर (लाभ) / हानि	46.87	(22.03)	66.81	(5.53)	22.70	3.28	(19.71)	10.18	(7.91)	(6.20)
योजना आस्ति पर (लाभ) / हानि	25.17	(2.32)	0.32	0.58	(0.17)	(0.09)	(0.35)	(0.10)	0.29	(0.40)

(ग) स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रदत्त बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर अन्य योजनाबद्ध दीर्घकालिक हितलाभों के बारे में लाभ व हानि खाते को निम्नांकित राशियाँ प्रभारित की गई हैं

(₹ करोड़)

क्रम सं	विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
1	साधारण अवकाश नकदीकरण	23.43	20.63
2	रुग्णता अवकाश	(4.91)	0.00
3	पुनर्स्थापन व्यय	0.12	0.88
4	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना सुविधाएं	10.50	0.43

(ii) एसवीसीएल

वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹6,41,977/- की राशि का अंशदान अपने कर्मचारियों के लिए सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान योजना (ट्रस्ट) में किया है।

विवरण	नियोजनोंपरांत हितलाभ	नियोजनोंपरांत हितलाभ
	वित्त 2020	वित्त 2019
हितलाभ का स्वरूप	उपदान	उपदान
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित आस्तियाँ व देयताएँ		
गैर-निधि-निक्षेपित परिभाषित हितलाभ संबंधी देनदारियों का वर्तमान मूल्य	शून्य	शून्य
निधिदत्त या अंशत: निधिदत्त परिभाषित हितलाभ देनदारियों का मौजूदा मूल्य	₹69,31,504	₹57,95,242
योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	₹70,32,386	₹60,35,156
पिछला सेवा व्यय जिसे तुलन-पत्र में अधिमानित नहीं किया गया है	शून्य	शून्य
ऐसी राशि जिसे बतौर आस्ति अभिनिर्धारित नहीं किया गया है	शून्य	शून्य
ऐसे प्रतिपूर्ति अधिकारों का उचित मूल्य जिन्हें आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है।	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित अन्य राशियाँ, यदि कोई हों।	शून्य	शून्य
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में शामिल राशियाँ:		
स्वयं के वित्तीय लिखत	शून्य	शून्य
संपत्ति या अन्य प्रयुक्त आस्तियां	शून्य	शून्य
बीमादाता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	₹70,32,386	₹60,35,156
निवल देयताओं में बदलाव:		
आरंभिक निवल देयताएँ	(₹2,39,914)	₹13,20,072
व्यय	₹7,81,009	₹8,85,505
अंशदान	(₹6,41,977)	(₹24,45,491)
अंतिम निवल देयताएँ	(₹1,00,882)	(₹2,39,914)
लाभ व हानि विवरणी में अभिनिर्धारित व्यय		
मौजूदा सेवा लागत	₹3,75,677	₹3,51,414
ब्याज लागत	₹4,60,142	₹4,01,331
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(₹4,79,191)	(₹2,94,537)
प्रतिपूर्ति अधिकारों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	लागू नहीं	लागू नहीं
बीमांकीय लाभ / (हानियाँ)	(₹4,24,381)	(₹4,27,297)
लाभ व हानि विवरणी में अभिनिर्धारित कुल व्यय	₹7,81,009	₹8,85,505
पिछली सेवा की लागत	शून्य	शून्य
कटौती / निपटान का प्रभाव	शून्य	शून्य
पैरा 59(बी) की सीमा का प्रभाव	लागू नहीं	लागू नहीं
योजनागत आस्तियों और आस्ति के तौर पर अभिनिर्धारित प्रतिपूर्ति अधिकारों पर वास्तविक प्रतिलाभ	शून्य	शून्य
बीमांकिक धारणाएँ		
बट्टा दरें	7.94%	8.09%
योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.94%	8.09%
प्रतिपूर्ति अधिकारों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	शून्य	शून्य
वेतन में वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00%	5.00%
चिकित्सा लागत की प्रवृत्तियाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
मर्त्यशीलता	भारतीय बीमाकृत जीवन मर्त्यता (2006-08)	भारतीय बीमाकृत जीवन मर्त्यता (2006-08)
अपंगता	शून्य	शून्य
ह्रास	2.00%	2.00%
सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष	60 वर्ष

(iii) मुद्रा

(क) सभी कर्मचारी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, और मुद्रा में प्रतिनियुक्त इन कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और वेतन बकाया का ध्यान इस कंपनी में स्टाफ को प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाले नियोजको द्वारा ही रखा जाता है। तथापि मुद्रा द्वारा चालू वर्ष में लाभ और हानि खाते में ₹20.54 लाख (मार्च 2019 में ₹23.83 लाख) की राशि का प्रावधान किया गया है ताकि उपर्युक्त कंपनियों द्वारा जब भी इन खर्चों की मांग की जाती है तब इसे सिडबी को अदा किया जा सकेगा। संविदा कर्मचारियों के संबंध में कोई भी नियोजन पश्चात कर्मचारी लाभ लागू नहीं है।

ख. अतः कंपनियों के लेखांकन मानक नियम 2006 के अंतर्गत जारी पुनरीक्षित ए एस15- कर्मचारी हितलाभ के अनुसार कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

9 सिडबी और उसकी सहयोगी कंपनियों की लेखा नीति में अंतर:

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और उसके सहयोगी संस्थाओं की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं: -

(i) तैयारी का आधार

सिडबी

1) ये वित्तीय विवरण भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित व्यवहारों के सभी वस्तुगत पक्षों का अनुपालन करने के लिए तैयार किए गए हैं।

2) जब तक अन्यथा नहीं कहा जाता है, तब तक वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के अंतर्गत उपचित आधार पर तैयार किए जाते हैं।

आरएक्सआईएल

1) ये वित्तीय विवरण भारतीय वित्तीय मानकों (इंड एएस) के अनुसार कुछ वित्तीय लिखतों को छोड़कर, जो उचित मूल्यों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार अर्जित किए जाते हैं, ये ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए जाते हैं। इंड एएस को कंपनी के नियम 3 (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में संशोधित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित किया गया है।

2) ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, कुछ वित्तीय आस्तियों और देयताओं को छोड़कर, जिनका उचित मूल्य पर मापन किया जाता है, और सुपरिभाषित हितकारी योजनाओं - उचित मूल्य पर मापन की गई योजनागत आस्ति के अनुसार है।

किट्को

1) ये वित्तीय विवरण कंपनी नियम (भारतीय लेखा मानक) 2015 के नियम 3 और उसके बाद जारी प्रासंगिक संशोधन नियमों के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2) ये वित्तीय विवरण, कुछ वित्तीय आस्तियों और देयताओं को छोड़कर जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापन किए जाते है, उन्हें लेखांकन के उपचित आधार पर ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत तैयार और प्रस्तुत किया गया है।

(ii) राजस्व अभिनिर्धारण - ब्याज आय

सिडबी

अनर्जक आस्तियों को छोड़कर, जहां इसका प्राप्ति के पश्चात अभिनिर्धारण किया जाता है, दंडात्मक ब्याज सहित ब्याज आय का लेखांकन उपचित आधार पर किया जाता है।

आरएक्सआईएल

कर्ज़ लिखत से प्राप्त ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके अभिनिर्धारित किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वित्तीय आस्तियों के अनुमानित जीवन के माध्यम से वित्तीय आस्ति की सकल राशि के माध्यम से भविष्य में नकद प्राप्ति का अनुमान लगाती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय, कंपनी वित्तीय लिखत के अनुबंध की सभी शर्तों पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाती है, लेकिन अपेक्षित ऋण हानि पर विचार नहीं करती है।

(iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का मूल्यह्रास

सिडबी

पूंजीकरण की तारीख पर ध्यान दिए बिना पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है:

(i) फर्नीचर और जुड़नार: बैंक के स्वामित्व वाली आस्ति के लिए @ 100 प्रतिशत

(ii) कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, 100 प्रतिशत की दर से

(iii) बिल्डिंग 5 प्रतिशत दर पर अवलिखित मूल्य आधार पर

(iv) विद्युत प्रतिष्ठापन: बैंक के स्वामित्व वाली आस्तियां, 50 प्रतिशत अवलिखित मूल्य आधार पर

(v) मोटर कार - सरल रेखा पद्धति से 50 प्रतिशत दर पर

आरएक्सआईएल

निम्नानुसार मूल्यह्रास की गणना सरल रेखा पद्धति का उपयोग करके उनकी लागत, उनके अवशिष्ट मूल्यों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन से घटा कर की जाती है:

(i) फर्नीचर और जुड़नार के लिए 5 से 10 वर्ष की अवधि

(ii) कार्यालय उपकरण के लिए 4 से 5 वर्ष की अवधि

(iii) बिजली के उपकरणों के लिए 10 वर्ष की अवधि

(iv) कंप्यूटर सिस्टम ऑफिस ऑटोमेशन के लिए 3 वर्ष की अवधि

(v) कम्प्यूटर सिस्टम - अन्य और कम्प्युटर सॉफ्टवेर के लिए 4 वर्ष की अवधि

(vi) दूरसंचार प्रणाली के लिए 4 वर्ष की अवधि

किट्को

प्रबंधन द्वारा आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर अवलिखित मूल्य पद्धति से अचल आस्तियों का मूल्यह्रास किया जाता है। अवधि के दौरान खरीदी या बेची गई आस्तियों के लिए मूल्यह्रास आनुपातिक रूप से लिया जाता है। अधिग्रहण के वर्ष के दौरान कम लागत वाली आस्तियों (₹5000 या उससे कम) और पुस्तकालय की पुस्तकों और अन्य संदर्भ सामग्री की लागत पूरी तरह से मूल्यह्रास के लिए ली जाती है।

प्रबंधन अचल आस्तियों के उपयोगी जीवन का अनुमान निम्नानुसार लगाता है:

(i) फर्नीचर और जुड़नार के लिए 10 वर्ष की अवधि

(ii) कार्यालय उपकरण के लिए 5 वर्ष की अवधि

(iii) बिजली के उपकरणों के लिए 10 वर्ष की अवधि

(iv) वाहनों के लिए 8 वर्ष की अवधि

(v) कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ- एंड-यूज़र डिवाइस, डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए 3 वर्ष की अवधि

(vi) कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग यूनिट- सर्वर और नेटवर्क के लिए 6 वर्ष की अवधि

(vii) ऊर्जा / लेखा परीक्षा उपकरण के लिए 5 वर्ष की अवधि

अमूर्त आस्तियां 3 वर्ष की अवधि में परिशोधित की जाती है, यह अवधि कंपनी के उपयोग के लिए आस्ति की उपलब्धता से होती है

10 प्रति शेयर अर्जन*:

(राशि ₹ में)

	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
ईपीएस गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ	25,44,85,86,153	19,59,28,48,581
प्रति ₹10 के अंकित मूल्य पर ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	53,19,22,031	53,19,22,031
प्रति शेयर अर्जन	47.84	36.83

*चूंकि कोई विलेय संभावित ईक्विटी शेयर नहीं हैं, इसलिए मूल एवं विलयित ईपीएस एक समान हैं।

11 लेखांकन मानक 22, आय पर कर का लेखांकन, के अनुसार बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं की समीक्षा की है और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते में आस्थगित कर आस्ति के रूप में ₹9,68,48,720/- (गत वर्ष आस्थगित कर आस्ति ₹1,55,60,01,189/-) का निर्धारण किया है। इस वर्ष के दौरान, बैंक ने मानक आस्तियों के सम्पूर्ण प्रावधान पर अपने गैर-निर्धारित आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹96,34,90,214/- के आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण किया गया है:

यथा 31 मार्च, 2020 आस्थगित कर आस्ति / (देयता) की पृथक-पृथक राशियाँ निम्नवत है:

(राशि ₹ में)

क्रम सं	समय-अंतराल	वित्त 2019-20 आस्थगित कर आस्ति / (देयता)	वित्त 2018-19 आस्थगित कर आस्ति / (देयता)
1	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	37,17,630	39,60,413
2	आयकर अधिनियम 1961की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	(3,52,02,16,577)	4,70,90,89,576)
3	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	1,20,50,72,585	2,30,45,14,771
4	भारत सरकार के बाँण्डों पर प्रीमियम का परिशोधन	(2,12,98,854)	(4,44,56,921)
5	लेखों की पुनर्संरचना हेतु प्रावधान	1,63,22,587	1,22,49,123
6	अग्रानीत दीर्घावधि पूँजी हानि	-	22,05,17,373
7	गैर निष्पादक निवेश के लिए प्रावधान	-	85,10,68,098
8	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1,64,85,24,603	58,61,97,116
9	अन्य	1,52,43,68,776	1,53,46,81,634
	निवल आस्थगित कर आस्ति / (देयता)	**85,64,90,750**	**75,96,42,030**

12 पूंजीगत खाते में निष्पादन हेतु लंबित संविदाओं से संबन्धित प्राक्कलित राशि ₹21,02,888/- (गत वर्ष ₹2,92,86,993/-) (अदा किए गए अग्रिम को घटाकर) का प्रावधानीकरण नहीं किया गया है।

13 दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा:

बैंक ने 7 जून, 2019 दिनांक के भारतीय रिज़र्व बैंक के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा विषयक परिपत्र के अनुसार रिज़ॉल्यूशन प्लान (आर पी) लागू किया है, उसमें मामलों की संख्या शून्य है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा के अंतर्गत "कोविड 19 रेगुलेटरी पैकेज - समाधान समय की समीक्षा", के तहत खातों की संख्या 'शून्य' है।

14 कोविड 19 विनियामक पैकेज - 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के निबंधानानुसार अप्रकटीकरण:

नॉवेल कोरोना वायरस कोविड - 19 वैश्विक महामारी भारत सहित दुनिया भर में तेजी से फैल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड - 19 के प्रकोप को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। देश में कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण, देश भर में सामाजिक-आर्थिक मोर्चे पर अभूतपूर्व स्तर पर व्यवधान उत्पन्न हुआ है। जिस परिमाण में कोविड-19 वैश्विक महामारी बैंक के भावी परिचालनों और वित्तीय आंकड़ों को प्रभवित करेगी, वह भाविष्य की गतिविधियों पर निर्भर है, जो कि बहुत अनिश्चित है। वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का प्रभाव बैंक के वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख से भिन्न हो सकता है और बैंक भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के वस्तुगत बदलाव की निगरानी करता रहेगा जिससे बैंक पर कोई वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 27 मार्च, 2020 के परिपत्र के अनुसार, कोविड -19 वैश्विक महामारी के कारण उधारकर्ताओं को राहत देने के संबंध में, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार पात्र उधारकर्ताओं द्वारा देय ऋण किस्तों / ब्याज में अधिस्थगन की पेशकश की है।

तदनुसार, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के परिपत्र के अनुसार, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹13.99 करोड़ का प्रावधान किया है:

विवरण	राशि (₹ करोड़)
एसएमए / अतिदेय श्रेणियों में जहां ऋण स्थगन / अधिस्थगन प्रदान किया गया	620.66
संबंधित राशियाँ जहाँ आस्ति वर्गीकरण लाभ विस्तारित किया गया है	279.89
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	13.99
गिरावट और अवशिष्ट प्रावधानों के प्रति संबंधित लेखा अवधि के दौरान समायोजित प्रावधान	लागू नहीं

15 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण के दृष्टिगत, मूल और सहायक संस्थाओं के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट अतिरिक्त सांविधिक सूचनाओं का समेकित वित्तीय आंकड़ों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं पड़ता है और जो वस्तुएं भौतिक नहीं हैं उनसे संबंधित जानकारी का समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

अतिरिक्त समेकित प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार

1 पूंजी पर्याप्तता

(₹ करोड़)

क्रमांक	विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
i)	सामान्य ईक्विटी*	लागू नहीं	लागू नहीं
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी*	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	कुल टियर 1 पूँजी	19,873.61	17,271.00
(iv)	टियर 2 पूँजी	691.08	597.96
v)	कुल पूँजी (टियर 1 + टियर 2)	20,564.69	17,868.96
vi)	कुल जोखिम-भारित आस्तियाँ (जोभाआ)	72,454.94	54,145.42
vii)	सामान्य ईक्विटी अनुपात (कुल जोभाआ के अनुपात के रूप में सामान्य ईक्विटी)*	लागू नहीं	लागू नहीं
viii)	टियर 1 अनुपात (टियर 1 पूँजी जोभाआ के प्रतिशत में)	27.43%	31.90%
ix)	पूँजी व जोखिम भारिता आस्ति अनुपात (जोभाआअ) (कुल पूँजी जोभाआ के प्रतिशत में)	28.38%	33.00%
x)	भारत सरकार की अंशधारिता का प्रतिशत	15.40	15.40
xi)	जुटाई गई ईक्विटी पूँजी की राशि	-	-
xii)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से	-	-
	क) स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)	-	-
	ख) स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई)	-	-
xiii)	जुटाई गई टियर 2 पूँजी की राशि, जिसमें से	-	-
	क) ऋण पूँजी लिखतें	-	-
	ख) स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)	-	-
	ग) मोचन-योग्य गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)	-	-
	घ) शोध्य संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)	-	-

* बेसल-III के लागू न होने के कारण वर्तमान में आँकड़ों की गणना नहीं की जा रही है

2 निर्बंध आरक्षितियाँ एवं प्रावधान

(क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान (संचयी)	691.08	597.97

(ख) अस्थायी प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	FY 2019-20	FY 2018-19
अस्थायी प्रावधान खाते में अथशेष	1,348.53	1,742.21
लेखा-वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	0.00	0
लेखा वर्ष में किए गए आहरण की राशि *	248.57	393.68
अस्थायी प्रावधान खाते में इतिशेष	1,099.96	1,348.53

* अस्थायी प्रावधान के संबंध में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, उक्त राशि का उपयोग एनपीए / एनपीआई प्रावधान करने के लिए किया गया

3 आस्ति गुणवत्ता एवं विशिष्ट प्रावधान

(क) अनर्जक ऋण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i) निवल ऋण की तुलना में निवल एनपीए (%)	**0.42%**	**0.20%**
(ii) एनपीए (सकल) की प्रगति		
(क) अथ शेष	867.91	902.42
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	942.63	309.60
(ग) वर्ष के दौरान कमी	698.63	344.11
(घ) अंतिम शेष	**1,111.91**	**867.91**
(iii) निवल एनपीए में परिवर्तन		
(क) अथ शेष	292.55	250.63
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	516.84	108.62
(ग) वर्ष के दौरान कमी	79.68	66.70
(घ) अंतिम शेष	729.71	292.55
(iv) एनपीए हेतु प्रावधानों में परिवर्तन (मानक आस्तियों हेतु प्रावधान को घटाकर)		
(क) अथ शेष	575.35	651.78
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	500.18	201.51
(ग) बेशी प्रावधानों का बट्टे खाते डालना / प्रतिलेखन	622.27	277.94
(घ) अंतिम शेष	453.26	575.35

(ख) अनर्जक निवेश

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i) निवल निवेश की तुलना में निवल एनपीआई (%)	**3.02%**	**13.01%**
(ii) एनपीआई की प्रगति (सकल)		
(क) अथ शेष	1,577.17	410.03
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.01	1,240.69
(ग) वर्ष के दौरान कमी	948.56	73.55
(घ) अंतिम शेष	**628.62**	**1,577.17**
(iii) निवल एनपीआई की प्रगति		
(क) अथ शेष	993.44	0.00
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	993.44
(ग) वर्ष के दौरान कमी	708.44	0.00
(घ) अंतिम शेष	**285.00**	**993.44**
(iv) एनपीआई के प्रावधान की प्रगति (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) अथ शेष	868.73	410.03
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	708.45	532.25
(ग) बेशी प्रावधानों का बट्टे खाते डालना / प्रतिलेखन	948.56	73.55
(घ) अंतिम शेष	**628.62**	**868.73**

(ग) अनर्जक आस्तियाँ (क+ख)

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i) निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (ऋण + निवेश) (%)	**0.55%**	**0.83%**
(ii) अनर्जक आस्तियों की प्रगति (सकल ऋण + सकल निवेश)		
(क) अथ शेष	2,445.08	1,312.45
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	942.64	1,550.29
(ग) वर्ष के दौरान कमी	1,647.18	417.66
(घ) अंतिम शेष	**1,740.54**	**2,445.08**
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों की प्रगति		
(क) अथ शेष	1,285.98	250.63
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	516.84	1,102.05
(ग) वर्ष के दौरान कमी	788.12	66.70
(घ) अंतिम शेष	**1,014.70**	**1,285.98**
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में प्रगति (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
(क) अथ शेष	1,444.09	1,061.81
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,208.63	733.77
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते डालना / प्रतिलेखन	1,570.83	351.49
(घ) अंतिम शेष	**1,081.89**	**1,444.09**

3 (घ) पुनर्संरचति खाते

पुनर्संरचित खातों का प्रकटन

(₹ करोड़)

क्र सं	पुनर्संरचित प्रकार → / आस्ति वर्गीकरण → / विवरण ↓		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचित प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					कुल				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को पुनर्संरचित खाते (प्रारम्भिक संख्या)*	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	21	10	34	-	**65**	21	10	34	-	**65**
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.23	19.13	115.08	-	**216.43**	82.23	19.13	115.08	-	**216.43**
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.16	0.11	-	**0.55**	0.28	0.16	0.11	-	**0.55**
2	वर्ष के दौरान नये पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की संख्या					-					-	2	4	1	-	**7**	2	4	1	-	**7**
		बकाया राशि					-					-	1.06	16.27	1.83	-	**19.15**	1.06	16.27	1.83	-	**19.15**
		उस पर किए गया प्रावधान					-					-	0.05	2.03	-	-	**2.08**	0.05	2.03	-	-	**2.08**
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या					-					-	3	(2)	(1)	-	-	3	(2)	(1)	-	-
		बकाया राशि					-					-	10.55	(4.47)	(6.08)	-	-	10.55	(4.47)	(6.08)	-	-
		उस पर किए गया प्रावधान					-					-	0.01	(0.01)	-	-	-	0.01	(0.01)	-	-	-
4	पुनर्संरचित खाते, जिन पर विव के अंत में उच्चतर प्रावधान और/ इसलिए उन्हें अगले विव के आरम्भ में पुनर्संरचित मानक ऋणों के रूप में नहीं दर्शाना है	उधारकर्ताओं की संख्या					-					-	(6)				**(6)**	(6)				**(6)**
		बकाया राशि					-					-	(26.26)				**(26.26)**	(26.26)				**(26.26)**
		उस पर किए गया प्रावधान					-					-	(0.03)				**(0.03)**	(0.03)				**(0.03)**
5	विव के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या					-					-	(4)	(1)	5	-	-	(4)	(1)	5	-	-
		बकाया राशि					-					-	(21.14)	16.42	4.72	-	-	(21.14)	16.42	4.72	-	-
		उस पर किए गया प्रावधान					-					-	-	(0.13)	0.13	-	-	-	(0.13)	0.13	-	-
6	विव के दौरान पुनर्संरचित खातों का बट्टे खाते में डालना #	उधारकर्ताओं की संख्या					-					-	(1)	(1)	(25)	-	**(27)**	(1)	(1)	(25)	-	**(27)**
		बकाया राशि					-					-	(4.30)	(0.71)	(67.23)	-	**(72.24)**	(4.30)	(0.71)	(67.23)	-	**(72.24)**
		उस पर किए गया प्रावधान					-					-	0.25	(0.02)	(0.01)	-	**0.23**	0.25	(0.02)	(0.01)	-	**0.23**
7	31 मार्च को समाप्त विव को पुनर्संरचित खाते (अंतिम संख्या) *	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	10	14	-	**39**	15	10	14	-	**39**
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.15	46.63	48.32	-	**137.09**	42.15	46.63	48.32	-	**137.09**
		उस पर किए गया प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.56	2.03	0.23	-	**2.82**	0.56	2.03	0.23	-	**2.82**

* मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर, जिन पर उच्चतर प्रावधान या जोखिम भारित नहीं होता (यदि लागू हो)

नोट: क्रम सं. 6 के आंकड़ों में ₹15.60 करोड़ (27 उधारकर्ता और ₹0.28 करोड़ के प्रावधान) शामिल हैं, जो मौजूदा पुनर्संरचित खातों से कटौती / वसूली से संबंधित है और जहाँ वसूली के माध्यम से ₹6.79 करोड़ की राशि के 7 उधारकर्ताओं के खाते को बंद किया गया है

पुनर्संरचित खातों की कमी को शामिल कराते हुए

(घ) अनर्जक आस्तियों की प्रगति

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
लेखांकन अवधि की आरंभिक तिथि को सकल अनर्जक आस्तियां (अथ शेष)	1,152.91	902.42
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)	942.62	594.60
उप योग (क)	**2,095.53**	**1,497.02**
घटाएँ:-		
(i) उन्नयन	50.90	8.46
(ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	88.43	113.76
(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टा खाता	558.18	221.79
(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते में डाले गए	1.11	0.10
उप योग (ख)	**698.62**	**344.11**
यथा अगले वर्ष के 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां (इति शेष) (ए-बी)	**1,396.91**	**1,152.91**

(च) बट्टे खाते में डालना एवं वसूलियाँ

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
यथा 1 अप्रैल को तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में अथशेष	1,563.29	1,458.52
जोड़िए: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते	558.18	221.79
उप जोड़ (क)	**2,121.47**	**1,680.31**
घटाएँ: वास्तविक बट्टे खाते	12.24	87.51
घटाएँ: वर्ष के दौरान पिछली तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते से की गई वसूलियाँ	102.22	29.51
उप योग (ख)	**114.46**	**117.02**
31 मार्च को अंतिम शेष (क-ख)	**2,007.01**	**1,563.29**

(छ) विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां एवं राजस्व

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
कुल आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल अनर्जक आस्तियाँ	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

(ज) मूल्य ह्रास एवं निवेशों पर प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(1) (1) निवेश		
(i) सकल निवेश	10,066.31	10,113.03
(क) भारत में	10,066.31	10,113.03
(ख) भारत के बाहर	-	-
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	634.74	874.99
(क) भारत में	634.74	874.99
(ख) भारत के बाहर	-	-
(iii) निवल निवेश	9,431.57	9,238.04
(क) भारत में	9,431.57	9,238.04
(ख) भारत के बाहर	-	-
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में प्रगति		
(i) अथशेष	291.25	50.18
(ii) जोड़िए: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	7.28	291.65
(iii) वर्ष के दौरान निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति खाते में से कोई समायोजन, यदि कोई हो तो	7.08	6.36
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों को पुनरांकित / बट्टे खाते में डाले गए	-	-
(v) घटाएं: निवेश उतार चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण, यदि कोई हो तो*	7.41	50.58
(vi) अंतिम शेष	291.12	291.25

* निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए ₹0.34 करोड़ के प्रावधान और वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए ₹44.22 करोड़ के प्रावधान को घटाकर निवल है।

(झ) प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़)

लाभ-हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए 'प्रावधान एवं आकस्मिकताएं' का पृथक-पृथक विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
निवेश पर मूल्यह्रास / एनपीआई हेतु प्रावधान #	704.09	186.68
एनपीए हेतु प्रावधान #	189.57	(1.32)
आयकर के प्रति किया गया प्रावधान (आस्थगित कर-आस्ति / देयता सहित)	615.81	770.90
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ (विवरण सहित) $	119.28	102.61

अस्थिर प्रावधान के प्रतिलेखन पश्चात्

$ मानक आस्ति हेतु प्रावधान

(ट) प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)

	FY 2019-20	FY 2018-19
प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)*	80%	87%

* पीसीआर की गणना करते समय अस्थिर प्रावधान पर विचार नहीं किया गया

(ठ) वर्तमान ऋणों की लचीली संरचना संबंधी प्रकटन

(₹ करोड़)

अवधि	लचीली पुनर्संरचना हेतु लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की राशि		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की एक्सपोजर-भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना लागू करने के पूर्व	लचीली संरचना लागू करने के पश्चात्
पूर्ववर्ती वर्ष वि व 2018-19		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
चालू वर्ष वि व 2019-20		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ड) रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना संबंधी प्रकटन (ऐसे खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि में हैं)

(₹ करोड़)

उन खातों की संख्या जिनमें एसडीआर का अह्वान किया गया	रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि, जिनमें ऋण को ईक्विटी में रूपान्तरित किया जाना शेष है		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि, जिनमें ऋण को ईक्विटी में रूपान्तरित किया जा चुका है	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ढ) एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो अभी सुप्तावस्था अवधि में हैं)

उन खातों की सं. जहाँ बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावी करने के निर्णय किए हैं	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन / बंधक ईक्विटी शेयरों को वापस लिया गया है, रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ ऋण से ईक्विटी में परिवर्तन / बंधक ईक्विटी शेयरों को वापस लिया गया है, रिपोर्टिंग की तिथि को बकाया राशि		उन खातों के सन्दर्भ में जहाँ नये शेयर जारी कर / अथवा प्रवर्त्तकों के ईक्विटी की विक्री कर परिवर्तन अभिकल्पित है में रिपोर्टिंग की तिथि को बकाया राशि	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(त) परियोजना कार्यान्वयन के अंतर्गत स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटन (खाते जो अभी सुप्तावधि में हैं)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावी करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग की तिथि को बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	पुन:संरचित मानक के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(थ) यथा 31 मार्च 2020 दबावग्रस्त आस्तियों (एस 4ए) टिकाऊ संरचना योजना का प्रकटन

खातों की संख्या जहाँ एस4ए लागू किया गया है	सकल बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान
		भाग ए में	भाग बी में	
मानक के रूप में वर्गीकृत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4 निवेश पोर्टफोलियो: संगठन एवं परिचालन

(क) रेपो संब्यवहार

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च 2020 बकाया राशि
रेपो के तहत बेंची गयी प्रतिभूति				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii. कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii. कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) ऋण प्रतिभूतियों में निवेश हेतु जारीकर्ता के संघटन का प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

जारीकर्ता	राशि	की राशि			
		निजी प्लेसमेंट के जरिये किया गया निवेश	निवेश श्रेणी प्रतिभूति से निम्न में धारित	बिना रेटिंग के प्रतिभूति में धारित	असूचीबद्ध प्रतिभूति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	724.70	-	-	-	-
वित्तीय संस्थाएं	279.84	96.94	-	78.55	103.00
बैंक	3300.50	15.00	-	103.50	103.50
निजी कार्पोरेट्स	487.15	172.05	-	360.30	351.41
अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम	0.00	0.00	-	0.00	-
अन्य	4987.83	1,027.12	-	1,027.12	4,437.12
मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान	(348.45)	-	-	-	-
योग	**9431.57**	**1,311.11**	**0.00**	**1,569.47**	**4,995.03**

(ग) एच टी एम श्रेणी से प्रतिभूति की बिक्री एवं अंतरण

चालू वित्तवर्ष के दौरान, एचटीएम श्रेणी में / से कोई निवेश रूपांतरित नहीं किया गया

5 खरीदी / बेंची गयी आस्तियों का विवरण

(क) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्संरचना कंपनियों बेंची गयी आस्तियों के विवरण

(i) बिक्रियों का विवरण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i) खातों की संख्या (उधारकर्ता)	1	1
(ii) एस सी /आर सी को बेंचे गए खातों का (प्रावधान घटाकर) सकल मूल्य	0.56#	0.00
(iii) सकल प्रतिफल	3.72 (नकद-0.56)	15
(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंद्ध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	5.24	28.05
(v) निवल बही मूल्य के प्रति सकल लाभ / हानि	5.80	3.30

केवल नकदी घटक पर विचार किया गया है

(ii) प्रतिभूति रसीद में निवेश के बही मूल्य का विवरण

(₹ करोड़)

विवरण	प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	
	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i) अंतर्निहित के रूप में एआईएफआई द्वारा बेचा गया और अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	0.27	0.27
(ii) अंतर्निहित के रूप में बैंकों / अन्य वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा बेचा गया और अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	0.00	0.00
योग	**0.27**	**0.27**

(ख) खरीदी गयी / बेंची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(i) खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य
2. (क) वर्ष के दौरान इन पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	शून्य	शून्य

(ii) बेंची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
बेंचे गए खातों की संख्या	1	1
सकल बकाया	6.77	76.44
सकल प्राप्त प्रतिफल	3.72 (नकद-0.56)	15.00

6 परिचालित परिणाम

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i) औसत कार्यशील निधि का ब्याज आय प्रतिशत (%)	6.47	6.82
(ii) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज आय (%)	0.58	0.32
(iii) औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (प्रावधान पूर्व) (%)	2.23	1.87
(iv) औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कराधान प्रावधान के पूर्व) (%)	1.69	1.68
(v) प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	2.43	1.77

7 ऋण संकेन्द्रण जोखिम

(क) पूंजी बाजार एक्सपोजर

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों में प्रत्यक्ष निवेश और ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों के कार्पस की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जो कि विशिष्ट रूप से कारपोरेट ऋण में निवेश न किया गया हो	470.43	499.27
(ii) शेयरों / बांडों / ऋण पत्रों के एवज में अग्रिम अथवा व्यक्तिगत रूप से शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय ऋण पत्रों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों में व्यक्तिगत रूप से किया गया निवेश	-	-
(iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिमों जहां शेयरों, अथवा परिवर्तनीय बोंड्स अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधियों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	-	-
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जो कि संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों की प्रतिभूति से सुरक्षित है और जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति परिवर्तनीय बांडों एवं परिवर्तनीय ऋण पत्रों या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की इकाइयों की प्रतिभूति से अग्रिम आवरित नहीं है	-	-
(v) स्टाक ब्रोकरों और मार्केट मेकरों की ओर से स्टाक ब्रोकरों को प्रतिभूति सहित और प्रतिभूति रहित अग्रिम / गारंटियाँ जारी करना	-	-

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्त्तकों के अंशदान की प्रतिपूर्ति के लिए सीधा आधार पर अथवा ऋण पत्रों / बांडों शेयरों की प्रतिभूति के एवज में कार्पोरेट्स को मंजूर ऋण	-	-
(vii) अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह / जारी करने के लिए कंपनियों को ब्रिज ऋण देना	-	-
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल निधियों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टाक ब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
(x) वेंचर पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत) को सभी एक्स्पोजर	1,546.36	1,600.50
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**2,016.79**	**2,099.77**

(ख) देश जोखिम को एक्सपोजर

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक का विदेश में कोई एक्सपोजर नहीं था

(ग) विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमायें - एआईएफआई द्वारा एकल उधारकर्ता / सामूहिक उधारकर्ता सीमा को बढ़ाया जाना

(i) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक के एक्सपोजर की संख्या और राशि (उधारकर्ता का नाम नहीं)

क्र सं.	पैन संख्या	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कूट	उद्योग नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर निधिक राशि	पूंजी निधियों के प्रतिशत के रूप में एक्सपोजर
	-	-	-	-	-	-	-	-

ii) पूंजी निधियों का प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर और कुल आस्तियों के संबंध में उसका प्रतिशत

क्र सं.	विवरण	वि व 2019-20		वि व 2018-19	
		कुल आस्तियों का %	पूंजी निधियों का %	कुल आस्तियों का %	पूंजी निधियों का %
1	एकल बड़े उधारकर्ता	9.89	98.79	8.90	85.44
	बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋण दात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			
2	20 बड़े एकल उधारकर्ता	70.28	701.97	70.96	680.91
	20 बड़े उधारकर्ता समूह	चूँकि बड़े उधारकर्ता प्राथमिक ऋण दात्री संस्थाएं हैं, उधारकर्ता समूह इस पर लागू नहीं			

iii) समस्त ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पाँच बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदत्त ऋण

(₹ करोड़)

उद्योग का नाम	वि व 2019-20		वि व 2018-19	
	बकाया राशि	कुल ऋण आस्तियों का प्रतिशत	बकाया राशि	कुल ऋण आस्तियों का प्रतिशत
ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट	2,930.06	1.68	1,492.04	1.01
वाणिज्यिक वाहन	1,646.58	0.94	813.53	0.55
मेटल उत्पाद एन.ई.सी.	865.67	0.50	496.71	0.34
ऑटो अनुषंगी	602.87	0.35	815.70	0.55
मशीनरी छोड़ कर मेटल उत्पाद पार्ट्स	473.29	0.27	432.30	0.29

(iv) यथा 31 मार्च 2020 कुल अग्रिम राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अनुज्ञप्तियां, प्राधिकार आदि लिया गया है वह ₹15.11 करोड़ है और यथा 31 मार्च 2020 अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य शून्य है

(v) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक को फैक्टरिंग का एक्सपोजर नहीं था

(vi) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया

(घ) उधारियों / ऋण व्यवस्थाओं, ऋण जोखिम-राशि एवं अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(i) उधारियों और ऋण व्यवस्थाओं का संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां	1,34,526.27	96,518.43
बीस बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां का उधारियों में प्रतिशत	75.42%	65.83%

(ii) एक्सपोजर का संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	1,29,917.94	1,21,147.33
कुल अग्रिमों का बीस बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	74.45%	81.81%
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	1,44,358.89	1,10,673.09
कुल एक्सपोजर का बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों में एक्सपोजर का प्रतिशत	70.72%	74.82%

(iii) एक्सपोजर एवं अनर्जक आस्तियां का क्षेत्रवार संकेन्द्रण

(₹ करोड़)

क्र सं.	क्षेत्र	वि व 2019-20			वि व 2018-19		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का सकल प्रतिशत
I.	औद्योगिक क्षेत्र	1,59,652.52	340.45	0.21%	1,31,112.35	860.68	0.66%
	1 केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	
	2 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	-	-	-	-	
	3 राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	
	4 राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	112.92	-	-	295.25	111.05	37.61%
	5 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1,49,136.32	-	-	1,20,550.43	-	-
	6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	273.78	-	-	314.97	-	-
	7 सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-
	8 निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	10,129.50	340.45	3.36%	9,951.70	749.63	7.53%
II.	अल्प वित्त क्षेत्र	2,938.16	4.88	0.17%	1,657.27	7.23	0.00
III.	अन्य*	12,373.66	766.58	6.20%	15,883.04	-	-
	योग (I+II+III)	**1,74,964.34**	**1,111.91**	**0.64%**	**1,48,652.66**	**867.91**	**0.58%**

*गैरबैंकिंग वित्त कंपनियों को दिए गए अग्रिम शामिल हैं

8 व्युत्पन्नियाँ

क. वादा दर करार / ब्याज दर विनिमय

क्र. सं.	विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
i)	विनिमय करारों का अनुमानिक मूल्य	यूएसडी 40,310,000	यूएसडी 40,310,000
ii)	इस करार के तहत पक्षकार द्वारा देयता पूरी न कर पाने के कारण होने वाली हानियाँ	यूएसडी 1,709,172.73	यूएसडी 209,019
iii)	इस विनिमय में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित जोखिम	शून्य	शून्य
iv)	इस विनिमय से होने वाले जोखिम ऋणों का संकेन्द्रण	यूएसडी 1,910,722.73	यूएसडी 6,193
v)	विनिमय बही का उचित मूल्य	यूएसडी 1,709,172.73	यूएसडी (19,056)

ख. विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नियाँ

क्र. सं.	विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
i)	वर्ष के दौरान लिए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
ii)	यथा 31 मार्च बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	शून्य	शून्य
iii)	बकाया और अत्यंत प्रभावी नहीं एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार) और अत्यधिक प्रभावी नहीं	शून्य	शून्य
iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्नों का मार्केट मूल्य और लिखत-वार) और अत्यधिक प्रभावी नहीं	शून्य	शून्य

(ग) व्युत्पन्नियों में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(1) ब्याज दर तथा आस्ति एवं देयताओं में विसंगति से उत्पन्न विनिमय जोखिम की हेजिंग के लिए बैंक व्युत्पन्नियों का उपयोग करता है। बैंक द्वारा ली गयी सभी व्युत्पन्नियाँ हेजिंग के उद्देश्य से और ऐसी विदेशी मुद्रा के उधार के रूप में हैं जो एम् टी एम न होकर केवल रूपांतरित हैं / बैंक व्युत्पन्नियों का व्यापार नहीं करता।

(2) आंतरिक नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश तथा लेखांकन नीतियां बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित की जाती हैं। व्युत्पन्नी संरचना को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के पश्चात ही अपनाया गया है। व्युत्पन्नियों के सौदे संबंधी विवरणों की जानकारी आस्ति देयता प्रबंध समिति / बोर्ड को दी जाती है।

(3) बैंक ने व्युत्पन्नी सौदों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों को कम करने के लिए सिस्टम स्थापित किया है। बैंक व्युत्पन्नियों के सौदे से उत्पन्न होने वाले लेन-देन का लेखांकन के लिए उपचित विधि का पालन करता है।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वि व 2019-20		वि व 2018-19	
		मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
1	व्युत्पन्नियाँ (आनुमानिक मूल राशि)	6,467.78		7,875.32	
	(i) बचाव के लिए	6,467.78	-	7,875.32	-
	(ii) व्यापार के लिए	-	-	-	-
2	मार्केट स्थितियों के लिए चिह्नित [1]	645.81		134.09	
	(i) आस्ति (+)	645.81	-	134.09	-
	(ii) देयता (-)	-	-	-	-
3	ऋण एक्सपोजर [2]	999.34	-	698.06	-
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव से होने वाला प्रभाव (100* पी वी 01)	131.06		143.04	
	(i) व्युत्पन्नियों पर हेजिंग	131.06	-	143.04	-
	(ii) व्यापारिक व्युत्पन्नियों पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान परिलक्षित अधिकतम एवं न्यूनतम 100 * पी वी 01			-	
	(i) हेजिंग पर	186.29/131.05	-	170.56/143.04	-
	(ii) व्यापार पर	-	-	-	-

9 एआईएफ़आई द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट का प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान जारी कम्फर्ट पत्रों का विवरण, आकलित वित्तीय प्रभाव और पहले जारी किये गए कम्फर्ट पत्रों के आकलित संचयी वित्तीय देयताओं का विवरण निम्नवत है:

(₹ करोड़)

31 मार्च 2019 को एलओसी के बकाए		वर्ष के दौरान जारी एलओसी		वर्ष के दौरान भुनाई गयी एलओसी		यथा 31 मार्च 2020 बकाया एलओसी	
एलओसी की संख्या	राशि	एलओसी की संख्या	राशि	एलओसी की संख्या	राशि	एलओसी की संख्या	राशि
1	0.94	-	-	1	0.94	-	-

10 आस्ति देयता प्रबंध

(₹ करोड़)

	1 से 14 दिन /	15 से 28 दिन	29 से 3 महीना	3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	659	3,458	4,711	2,528	21,598	82,587	16	702	1,16,259
अग्रिम	5,719	9,086	20,917	20,535	42,756	68,089	3,826	762	1,71,690
निवेश	10,336	475	806	461	1,010	363	58	3,784	17,293
उधार	2,625	500	10,435	5,622	16,941	26,876	167	340	63,506
विदेशी मुद्रा आस्तियां	15	6	576	141	683	3,565	4,513	104	9,603
विदेशी मुद्रा देयताएँ	7	8	606	174	801	2,954	3,147	2,059	9,756

11 आरक्षितियों से आहरित

इस वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान आरक्षितियों में से आहरण द्वारा कोई कमी नहीं हुई है

12 व्यवसाय अनुपात

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
औसत ईक्विटी पर प्रतिफल (कर पूर्व प्रावधान) (%)	17.55	17.11
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (कर प्रावधान के पूर्व) (%)	1.69	1.98
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	2.43	1.77

13 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

पिछले वर्ष और न ही इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया

14 ग्राहक शिकायतें

विवरण	वि व 2019-20	वि व 2018-19
वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	10	2
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	216	183
वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	223	175
वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	3	10

15 प्रायोजित किये गए तुलन पत्रेतर एस पी वी

पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान बैंक के एस पी वी प्रायोजित कोई तुलन पत्रेतर आँकड़ा नहीं है

16 विशिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

क. लेखांकन मानक 5- अवधि का निवल लाभ अथवा हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

अनुसूची XIII में आय - वि व 2019-20 के दौरान अन्य आय में पूर्व अवधि कि आय ₹372,25,52,439 शामिल है [पिछले वर्ष में ₹3,21,69,155] और अनुसूची XIV में वर्णित अन्य व्यय- वि व 2019-20 के परिचालन व्यय मे पूर्व अवधि के व्यय ₹1,66,97,194 [पिछले वर्ष का व्यय (₹19,33,197)] शामिल है

ख. लेखांकन मानक 17- खंड रिपोर्टिंग

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश लेखांकन मानक 17 खंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत अपेक्षित है, बैंक ने व्यवसाय खंड का प्रकटन प्राथमिक खंड के रूप में किया है, चूंकि बैंक भारत में परिचालनरत है, अतः रिपोर्टिंग योग्य भौगोलिक खंड नहीं है, भौगोलिक खंड के अंतर्गत प्रत्यक्ष वित्त, अप्रत्यक्ष वित्त और ट्रेजरी- ये तीन रिपोर्टिंग खंड निर्धारित किये गए है। ये खंड उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति जोखिम स्वरूप, संगठनात्मक ढांचे तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था पर विचार के बाद निर्धारित किये गए हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू पद्धति के अनुसार बनाने के लिए पुनर्समूहित तथा वर्गीकृत किया गया है।

भाग क. कारोबारी खंड

(₹ करोड़)

	कारोबारी खंड	संपूर्ण परिचालन (प्रत्यक्ष ऋण)		संपूर्ण परिचालन (अप्रत्यक्ष ऋण)		राजकोष		योग	
	विवरण	वि व 2020	वि व 2019	वि व 2020	वि व 2019	वि व 2020	वि व 2019	वि व 2020	वि व 2019
1	**खंड राजस्व**	1,048	1,007	10,235	8,261	1,545	649	12,828	9,917
	असाधारण मदें							371	-
	योग							**13,199**	**9,917**
2	**खंड परिणाम**	165	191	2,975	2,293	(58)	220	3,082	2,704
	असाधारण मदें							371	-
	योग							**3,453**	**2,704**
	अविनिधानीय खर्चे							290	178
	परिचालन लाभ							3,163	2,526
	आयकर (पुनरांकन के बाद)							616	568
	सहयोगी संस्थाओं में लाभ का हिस्सा							(2)	1
	निवल लाभ							2,545	1,959
3	**अन्य सूचना**								
	खंड आस्तियां	10,121	9,526	1,66,227	1,29,971	26,520	14,236	2,02,868	1,53,733
	अविनिधानीय आस्तियां							2,527	17,721
	कुल आस्तियां							2,05,395	1,71,454
	खंड देयताएं	7,281	6,726	1,53,997	1,18,901	22,886	15,287	1,84,164	1,40,914
	अविनिधानीय देयताएं							1,905	13,977
	योग							**1,86,069**	**1,54,891**
	पूंजी आरक्षितियाँ	2,848	2,812	10,373	10,960	6,105	2,791	19,326	16,563
	योग							**19,326**	**16,563**
	कुल देयताएँ							**2,05,395**	**1,71,454**

भाग ख: भौगोलिक खंड - शून्य

ग. लेखांकन मानक 18 - संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण /

(₹ करोड़)

मदें संबंधित पक्ष	मूल (स्वामित्व के अनुसार नियंत्रण)	अनुषंगी	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंध कार्मिक@	मुख्य प्रबंधक कार्मिक के संबंधी	योग
उधारियां#	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
जमा#	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	13.92	0.27	-	14.19
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	13.92	1.00	-	14.92
जमा स्थान #	-	-	-	-	-	-
वर्ष केअंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-

(₹ करोड़)

मदें संबंधित पक्ष	मूल (स्वामित्व के अनुसार नियंत्रण)	अनुषंगी	सहयोगी / संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंध कार्मिक@	मुख्य प्रबंधक कार्मिक के संबंधी	योग
अग्रिम#	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
निवेश#	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	32.35		-	32.35
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	32.35		-	32.35
गैर निधिकरण वचन बद्धताएं#	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
ली गयी पट्टा व्यवस्था#	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
उपलब्ध कराई गयी पट्टा व्यवस्था#	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की खरीद	-	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की बिक्री	-	-	-	-	-	-
भुगतान किया गया ब्याज	-	-	0.52	0.08	-	0.60
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-	-
सेवा देना*	-	-	2.13	-	-	2.13
सेवाओं की प्राप्ति*	-	-	0.03	-	-	0.03
करारों का प्रबंध**	-	-	-	1.13	-	1.13

@ निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक
# वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम प्रकट किया जाए
* करारगत सेवायें, किन्तु रेमिटेंस सुविधाएँ, लाकर सुविधाएँ इत्यादि जैसी सेवायें नहीं हैं
** मुख्य प्रबंध कार्मिकों के पारिश्रमिक

17 पेंशन एवं उपदान देयताओं का अपरिशोधन

पेंशन एवं उपदान देयताओं को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रायोजना इकाई जमा आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। बीमांकिक लाभ हानि को तुरंत लाभ हानि लेखे में लिया जाता है, उनका परिशोधन नहीं होता है।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते **छाजेड़ व दोषी**
सनदी लेखाकर
फर्म का पंजीकरण सं. 101794डब्ल्यू

राजेन्द्र अग्रवाल
महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उदभाग)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

किरण के. दफ्तरी
साझीदार
सदस्य सं. 010279

जी गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

मार्च 31, 2019	विवरण	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2020
	1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
25,27,39,54,039	लाभ और हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		31,63,16,86,674
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
18,43,71,236	मूल्यह्रास	18,36,84,906	
(2,67,59,59,652)	निवेश में निवल मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	7,03,89,36,030	
5,92,27,06,235	किया गया प्रावधान (पुनरांकन के बाद)	3,98,96,93,639	
(3,24,91,18,727)	निवेश बिक्री से लाभ (निवल)	(8,98,38,31,402)	
(1,58,59,255)	स्थिर आस्तियों की बिक्री से लाभ	(44,18,585)	
(15,04,21,412)	निवेशों पर प्राप्त लाभांश	(43,63,34,432)	1,78,77,30,156
25,28,96,72,464	**परिचालनों से उपार्जित नकदी**		**33,41,94,16,830**
	(परिचालन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पूर्व)		
	निम्नलिखित में निवल परिवर्तन हेतु समायोजन:		
(19,31,46,34,266)	चालू आस्तियां	9,13,18,71,240	
(13,05,52,32,446)	चालू देयताएँ	1,93,54,28,554	
3,92,85,72,063	विनिमय बिल	3,96,15,78,214	
(4,25,40,24,27,769)	ऋण एवं अग्रिम	(2,66,36,38,25,532)	
1,30,90,67,95,800	बॉन्डों व ऋणपत्रों तथा अन्य उधारियों से निवल प्राप्तियाँ	(41,73,53,03,530)	
3,34,22,86,35,472	प्राप्त जमा	3,40,49,16,89,558	
11,29,17,08,854			**47,42,14,38,504**
36,58,13,81,318			80,84,08,55,334
(7,58,07,86,087)	कर अदायगी	(6,54,77,52,940)	(6,54,77,52,940)
29,00,05,95,231	**परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह**		**74,29,31,02,394**
	2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(61,84,35,555)	स्थिर आस्तियों का निवल (क्रय) / विक्रय	(19,13,56,938)	
(24,87,22,25,578)	निवेशों का निवल (क्रय) / विक्रय / शोधन	(21,88,40,35,324)	
39,74,12,153	निवेशों पर प्राप्त लाभांश	48,48,52,951	
(25,09,32,48,980)	**निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**		**(21,59,05,39,311)**
	3. वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
-	शेयर पूंजी एवं शेयर प्रीमियम के निर्गम से आय	-	
(1,62,57,07,281)	ईक्विटी शेयरों से लाभांश एवं लाभांश पर कर	(1,70,97,37,727)	
(1,62,57,07,281)	**वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी**		**(1,70,97,37,727)**
2,28,16,38,970	**4. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी / (कमी)**		**50,99,28,25,356**
69,83,29,32,942	**5. अवधि के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**72,11,45,71,912**
72,11,45,71,912	**6. अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य**		**1,23,10,73,97,268**

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

मार्च 31, 2019	विवरण	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2020
	7. अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी तुल्य राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं		
6,14,123	हाथ में नकदी		6,30,354
68,39,55,262	बैंक में चालू खाते में अतिशेष		36,70,28,055
9,00,00,00,000	म्यूचुअल फ़ंड		34,10,00,00,001
62,43,00,02,527	जमाराशियाँ		88,63,97,38,858

टिप्पणी: नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस-3 (संशोधित) 'नकदी प्रवाह विवरण' में विनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	XV
लेखा टिप्पणियाँ	XVI

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते **छाजेड़ व दोषी**
सनदी लेखाकर
फर्म का पंजीकरण सं. 101794डब्ल्यू

राजेन्द्र अग्रवाल
महाप्रबंधक
(निगमित लेखा उदभाग)

मनोज मित्तल
उप प्रबंध निदेशक

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

किरण के. दफ्तरी
साझीदार
सदस्य सं. 010279

जी गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

डिबेंचर ट्रस्टी

रुपया उधार के तहत सिडबी के बकाया अप्रतिभूत बांड निर्गम से संबंधित डिबेंचर ट्रस्टियों के संपर्क विवरण निम्नवत् हैं:-

वित्तवर्ष 2019

माइलस्टोन ट्रस्टीशिप सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
402 ए, हॉलमार्क बिजनेस प्लाजा, संत दँयानेश्वर मार्ग,
गुरु नानक अस्पताल के विपरीत, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
संपर्क: सुश्री ध्वनि अजूडिया
सीधा: +91 22 67167014
मोबाइल: +91 91724 47719
फैक्स: +91 22 67167077
ईमेल: dhvani@milestonetrustee.in
वेबसाइट: www.milestonetrustee.in

वित्तवर्ष 2020

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड (आईटीएसएल)
एशियन बिल्डिंग, भू-तल, 17, आर. कमानी मार्ग,
बालार्ड एस्टेट, मुंबई - 400 001
संपर्क: श्री रितोब्रत मित्रा
सीधा: +91 22 40807023
मोबाइल: +91 9892258709
फैक्स: +91 022 66311776
ईमेल: itsl@idbitrustee.com;response@idbitrustee.com
वेबसाइट: www.idbitrustee.com

नोट्स

सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

www.sidbi.in

@sidbiofficial SidbiOfficial SidbiOfficial

Concept, Content & Design
WYATTPrism COMMUNICATIONS (info@wyatt.co.in)